



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2002/फाल्गुन 22, 1923

No. 121]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2002/PHALGUNA 22, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2002

सा.का.नि. 204(अ).—पेट्रोलियम नियम, 2001 का एक प्रारूप पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 15 मई, 2001 में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 357(अ), तारीख 15 मई, 2001 के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको जनता को अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई थी, 45 दिन के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना जनता को 19 जून, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और कुछ सुझावों के सिवाय प्रारूप के संबंध में कोई आक्षेप केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए थे ;

और केन्द्रीय सरकार ने प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त सभी सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 14, धारा 21, धारा 22, और धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

भाग 1—संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम नियम, 2002 है।
2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (1) अधिनियम से पेट्रोलियम
 - (i) “अधिनियम” से अभिप्रेत है पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) अभिप्रेत है ;
 - (ii) “पर्याप्त” से—

(क) संवातन के संबंध में, वह स्थिति अभिप्रेत है जहां गैस वायु मिश्रण में ज्वलनशील गैस की सांद्रता निम्नतर ज्वलनशील सीमा तक न पहुंचे; या

(ख) जहां इसका प्रयोग अग्निशमन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में किया जाए, वहां अभिप्रेत है कि ऐसी व्यवस्था की गई सुविधाएं प्रचलित मान्यताप्राप्त मानकों या सुरक्षा के सिद्धान्तों के अनुसार हैं ;

(1)

(iii) "अनुमोदित" से -

(क) जहां इसका प्रयोग किसी विनिर्देश के लिए किया गया है वहां यह अभिप्रेत है कि उक्त विनिर्देश मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत है, जिसमें निम्नलिखित तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मानक ओ. आई. एस डी. - 105, ते.उ.सु.नि - 116 ते.उ.सु.नि - 117, ते.उ.सु.नि - 105, ते.उ.सु.नि 141 और ते.उ.सु.नि 156 भी है

(ख) जहां इसका प्रयोग किसी साधित्र या फिटिंग के लिए किया गया है, वहां यह अभिप्रेत है कि उस साधित्र या फिटिंग पर ऐसे अभिहित परीक्षण संगठन का लेबल है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वह मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित विनिर्देश के अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट के अनुरूप है ; या

(ग) जहां इसका प्रयोग पेट्रोलियम की बाबत किसी सुविधा के लिए किया गया है, वहां यह अभिप्राय है कि वह सुविधा, इन नियमों के अनुरूप है ;

(iv) "मुख्य नियंत्रक" से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है;

(v) "नियंत्रक" से विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है और इसमें संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और विस्फोटक नियंत्रक सम्मिलित है।

(vi) "सक्षम व्यक्ति" से मुख्य नियंत्रक द्वारा सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति, या वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास उस कार्य के लिए, मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षमता प्रमाणपत्र है,

(vii) "संरक्षक" में भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 7 के अधीन पत्तन संरक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(viii) "आधार" से एक हजार लिटर से अधिक क्षमता का पेट्रोलियम का पात्र अभिप्रेत है;

(ix) "संघ के रक्षा बलों" में महानिदेशक, सीमा सड़क के अधीन साधारण रिजर्व इंजीनियरी बल, गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधीन विशेष सुरक्षा ब्यूरो भी सम्मिलित है;

(x) "जिला प्राधिकारी" से अभिप्रेत है -

(क) पुलिस आयुक्त वाले नगर में, पुलिस आयुक्त या उपायुक्त ;

(ख) किसी अन्य स्थान में, जिला मजिस्ट्रेट;

(xi) "जिला मजिस्ट्रेट" से अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों में और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराइकल, माहें और येनम क्षेत्रों में उपखंड मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित है;

(xii) "विद्युत साधित्र" के अन्तर्गत मोटर, स्टार्टर, लेम्प, स्विच, जंकशन बाक्स, फ्यूज, कटआउट या कोई अन्य साधन, उपस्कर या फिटिंग जो विद्युत में चलते हो, भी हैं;

(xiii) "प्रारूप" से प्रथम अनुसूची में दिया हुआ कोई प्रारूप अभिप्रेत है;

(xiv) "तप्त कर्म" से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जिसमें वैल्विंग, दहन, टांका लगाना, पीतल का टांका लगाना और स्फोटन, स्फुलिंग उत्पादक औजारों से शकलन, कतिपय विद्युत चालित औजारों का उपयोग, अज्वाला सहाय्य विद्युत उपस्कर या आन्तरिक अन्तर्दहन इंजन वाले उपस्करों का प्रयोग अन्तर्फलित है और इसमें ऐसा कोई अन्य कार्य भी सम्मिलित है जिसमें ज्वलनशील गैसों के ज्वलित करने में सक्षम पर्याप्त ताप उत्पादित होने की संभावना है ;

(xv) "निरीक्षक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा 13 की उपधारा (1) के अधीन, प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(xvi) "संस्थापन" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें किसी स्थान को प्रपुंज पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, किंतु इसमें कूपशीर्ष टैंक (बैल हीटेड टैंक) या सर्विस स्टेशन सम्मिलित नहीं हैं ;

- (xvii) "ते. उ. सु. नि." से अभिप्रेत है तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, एक तकनीकी निकाय जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन गठित सुरक्षा परिषद की सहायता करता हो;
- (xviii) "ते. उ. सु. नि. मानक" से तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किए गए और तेल और गैस उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन गठित सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित (समय-समय पर यथा संशोधित) तकनीकी मानक अभिप्रेत है ।
- (xix) "प्रपुंज पेट्रोलियम" से टैंक में रखा हुआ पेट्रोलियम अभिप्रेत है भले ही टैंक में रखे हुए पेट्रोलियम की मात्रा कितनी भी क्यों न हो;
- (xx) "सुरक्षित क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो अनुज्ञप्ति की शर्तों के अंतर्गत किसी संस्थापन सर्विस स्टेशन या भंडारकरण शेड तथा किसी संरक्षित संकर्म के बीच की दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक है;
- (xxi) "संरक्षित संकर्म" में निम्नलिखित हैं -
- (क) ऐसे भवन, जिनमें व्यक्ति रहते हैं या एकत्रित होते हैं, डाक, जहाज घाट, टिम्बर कोयला यार्ड, भट्टी, भट्टा या चिमनी तथा ऐसे भवन या स्थान जो पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं किंतु इसमें ऐसे भवन या स्थान सम्मिलित नहीं हैं जो संस्थापन के भाग के रूप में हैं;
- (ख) कोई सार्वजनिक सड़क या रेल लाइन जो अनन्य रूप से तेल साइडिंग के रूप में के रूप में उपयोग की जाती हो; और
- (ग) ऊपर से गुजरने वाले उच्च वोल्टता (हाई टेंशन) विद्युत के तार ;
- (xxii) "अनुसूची" से उन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (xxiii) "सर्विस स्टेशन" से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जो मोटर यान में ईंधन भराई के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और इसमें परिसर के भीतर, के ऐसे स्थान सम्मिलित हैं जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मोटर यानों के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से अनुमोदित किए गए हैं.
- (xxiv) "नमूना लेने वाला अधिकारी" से अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (xxv) "भंडारकरण शेड" से ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है जिसका प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए उपयोग किया जाता है चाहे वह संस्थापन के भाग का रूप है या नहीं किंतु इसमें ऐसा भवन सम्मिलित नहीं है जो अधिनियम की धारा 7, 8 या 9 के अधीन अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है ;
- (xxvi) "टैंक" से एक हजार लीटर से अधिक क्षमता वाला पेट्रोलियम का पात्र अभिप्रेत है;
- (xxvii) "टैंक गाड़ी" से हाथ से खींचा जाने वाला या पशुओं द्वारा खींचा जाने वाला टैंक लगा हुआ यान अभिप्रेत है ;
- (xxviii) "टैंक अर्द्ध ट्रेलर" से इस प्रकार से बना हुआ टैंक ट्रेलर अभिप्रेत है कि जब वह पांचवें पहिए को जोड़कर ट्रेक्टर द्वारा खींचा जाता है तो भार का कुछ भाग खींचने वाले यान पर पड़ता है ;
- (xxix) "टैंक ट्रेलर" से ऐसा यान अभिप्रेत है जिस पर टैंक लगा हुआ हो या उसके भाग के रूप में ही बना हुआ हो तथा जो इस प्रकार से बनाया गया हो कि उस में कम से कम दो धुरे हों तथा उसका समस्त भार उसके अपने पहियों पर पड़ता हो ;
- (xxx) "टैंक ट्रक" से एकल स्वचालित यान अभिप्रेत है जिस पर टैंक लगा हुआ हो ;
- (xxxi) "टैंक यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जिसमें ऐसा टैंक वैगन भी है, जिसमें एक हजार लिटर से अधिक क्षमता का टैंक लगा हुआ हो और उसके अन्तर्गत वायुयान की पुनः भराई के लिए या भारी यान/मशीनरी/स्प्रि उपस्करों की स्थल पर भराई के लिए उपयोग में पुनः भरक (रिफ्यूलर) की है.
- (xxxii) "टैंक वैगन" से ऐसा रेल डिब्बा अभिप्रेत है जिस पर टैंक लगा हुआ है ;

- (xxxiii) "परीक्षण अधिकारी" से अधिनियम की धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पेट्रोलियम का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (xxxiv) "यान" से प्रपुंज या प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम के परिवहन के लिए सभी गाड़ियां अभिप्रेत हैं और उसके अन्तर्गत पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां भी हैं;
- (xxxv) "कूपशीर्ष टैंक" से ऐसा टैंक अभिप्रेत है जिसमें कूप से निकलता हुआ या पम्प किया गया कच्चा पेट्रोलियम आरम्भ में एकत्र किया जाता है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु उपनियम (1) में परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

भाग -2

साधारण उपबन्ध

3. पेट्रोलियम के परिदान और भेजे जाने पर निर्बंधन - (1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी की गई भंडारकरण अनुज्ञप्ति के धारक या उसके प्राधिकृत अधिकर्ता या पत्तन प्राधिकारी या रेल प्रशासन या किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो पेट्रोलियम का बिना अनुज्ञप्ति के भंडारकरण करने के लिए अधिनियम के अधीन प्राधिकृत है, भारत में पेट्रोलियम का परिदान नहीं करेगा या उसे नहीं भेजेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिदत्त या भेजा गया पेट्रोलियम उसी वर्ग का और उतनी मात्रा से अधिक नहीं होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसे पेट्रोलियम परिदत्त किया गया हो, अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति पर या बिना अनुज्ञप्ति के भंडारकरण के लिए प्राधिकृत है ।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास भंडारकरण अनुज्ञप्ति नहीं है, 1500 लिटर से अधिक मात्रा में ख वर्ग का पेट्रोलियम सीलबन्द वायुरोधी अनुमोदित आधानों में पैक करके भेजा जा सकता है परन्तु यह जबकि पेट्रोलियम भेजने वाले व्यक्ति ने अपना यह समाधान कर लिया है कि उस व्यक्ति ने जिसको पेट्रोलियम भेजा गया है, पेट्रोलियम के मूल सीलबन्द पैकजों में उसकी या उतनी मात्रा को जो पच्चीस सौ लिटर से अधिक्य में है, अविलम्ब निपटान की पूर्व व्यवस्था कर ली है परन्तु 2500 लिटर से अधिक वाले आधानों की दशा में, आपातकाल में अग्निशमन के साधन के रूप में शुष्क रासायनिक पाउडर अग्निशामक भी ले जाया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) और (2) की कोई बात संघ के रक्षा बलों को परिदत्त या भेजे गए पेट्रोलियम को तथा टैंकयान से कंटेनरों में निस्तारण के लिए प्ररूप 16 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को मिट्टी के तेल (वर्ग ख पेट्रोलियम) के परिदान या भेजे जाने को लागू नहीं होगी परन्तु यह कि मिट्टी का तेल भेजने वाले व्यक्ति का यह समाधान हो गया हो कि जिस व्यक्ति को मिट्टी का तेल भेजा जा रहा है, उसने 2500 लिटर या कम के लॉटों में तुरंत व्ययन के लिए पूर्व प्रबंध कर लिए हैं।

4. कंटेनरों का अनुमोदन - (1) वर्ग 'क' के पेट्रोलियम के लिए एक लिटर, से अधिक क्षमता वाले और वर्ग, ग के पेट्रोलियम के लिए पांच लिटर की क्षमता वाले कंटेनर उस प्रकार के होंगे जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

(2) जहां मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन इस प्रकार के कंटेनर की बाबत वांछित हो जो पहले अनुमोदित नहीं किया गया है, तो आवेदन के साथ कंटेनर के माप मानयुक्त आरेखण (ड्राइंग) की बारह प्रतियां जिनमें कंटेनरों की डिजाइन, प्रयोग किए जाने वाली सामग्री, सन्निर्माण की पद्धति और क्षमता दिखाई जाएंगी और साथ ही उसके दो नमूने आधानों तथा जांच के लिए एक हजार रुपए फीस मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत जाएगी ।

(3) उप नियम (1) और (2) की कोई बात संघ के रक्षा बलों कब्जाधीन कंटेनर को लागू नहीं होगी ।

5. वर्ग क के पेट्रोलियम के लिए कंटेनर - (1) वर्ग का पेट्रोलियम के लिए आधान टिन किए हुए, जस्तेदार या बाहर के जंगरोधी चादरी लोहे या स्टील के बने होंगे और इस प्रकार के होंगे जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया जाए

परन्तु यह कि 2.5 से अनधिक क्षमता वाली कांच की बोतल मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम वर्ग 'क' के रूप में वर्गीकृत प्रयोगशाला रसायनों के कंटेनर के रूप में प्रयोग की जा सकती है।

(2) कंटेनर इस प्रकार से सन्निर्मित किए जाएंगे और सुरक्षित होंगे ताकि या परिवहन के दौरान, घोर उपेक्षा या असाधारण दुर्घटना की परिस्थितियों के सिवाय, भूटिपूर्ण या चूने वाले या असुरक्षित न हो जाए। और उन्हें उचित मरम्मतशुदा रखा जाएगा।

(3) कंटेनरों में भली भाँति बनाया गया भरक छिद्र होगा जिनमें अच्छी प्रकार से फिट होने वाले तथा सुरक्षित वायुरोधी स्कू प्लग या स्कू कैप या अन्य कैप फिट की जाएंगी।

(4) चादरी लोहे या इस्पात के बने आधारों की धातु की मोटाई निम्नलिखित होगा अर्थात् :-

उपनयम (6) में विहित रिक्त क्षेत्र को छोड़कर कंटेनर की क्षमता	चादरी लोहे या स्टील की मिलीमीटर में न्यूनतम मोटाई
1	2
10 लीटर से अनधिक	0.443 (27 बी.जी.)
10 लीटर से अधिक किन्तु 25 लीटर से अनधिक	0.63 (24 बी.जी.)
25 लीटर से अधिक किन्तु 50 लीटर से अनधिक	0.80 (22 बी.जी.)
50 लीटर से अधिक किन्तु 200 लीटर से अनधिक	1.25 (18 बी.जी.)
200 लीटर से अधिक किन्तु 300 लीटर से अनधिक	1.59 (16 बी.जी.)

(5) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कंटेनरों से भिन्न, किसी कंटेनर की क्षमता 300 लीटर, से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रत्येक कंटेनर में उसकी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत रिक्त क्षेत्र रखा जाएगा।

(7) कंटेनर पर सुस्पष्ट अक्षरों में संप्रदर्शित "पेट्रोल" या "मोटर स्प्रिट" या पेट्रोलियम अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति की बाबत समतुल्य चेतावनी स्टाम्प किए हुए या उच्चित्रित किए हुए या पेंट के रूप में होगी।

(8) उपनियम (1), (3), (4), (5), (6) और (7) की कोई बात संघ के रक्षा बलों के कब्जाधीन कंटेनरों को लागू नहीं होगी।

6. वर्ग ख और वर्ग ग के पेट्रोलियम के लिए कंटेनर - (1) वर्ग ख और वर्ग ग के पेट्रोलियम के लिए आधान, स्टील या लोहे के बने होंगे और उस प्रकार के होंगे जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) वर्ग ख के पेट्रोलियम के लिए प्रत्येक कंटेनर में उसकी क्षमता का कम से कम 5 प्रतिशत और वर्ग ग के पेट्रोलियम के लिए प्रत्येक कंटेनर में उसकी क्षमता का कम से कम 3 प्रतिशत रिक्त स्थान रखा जाएगा।

(3) इस संघ की कोई बात रक्षाबलों के कब्जाधीन कंटेनरों को लागू नहीं होगी।

7. खाली पात्र - सभी खाली टैंक जिनमें वर्ग क या वर्ग ख का पेट्रोलियम रखा गया था तथा सभी खाली कंटेनरों जिनमें वर्ग क का पेट्रोलियम रखा गया था, सिवाय तब के जब उन्हें भर जाने या साफ करने के प्रयोजन के लिए और उन्हें पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त करने के प्रयोजन के लिए खोला जाता है, सुरक्षित ढंग से तब तक बंद रखे जाएंगे जब तक कि उन्हें पूरी तरह साफ नहीं कर दिया जाता और पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त नहीं कर दिया जाता।

8. पात्रों की मरम्मत - (1) कोई व्यक्ति किसी टैंक या कंटेनर की जिसमें पेट्रोलियम रखा गया था तब तक तप्त कर्म का प्रयोग करके मरम्मत नहीं कराएगा या करेगा जब तक कि उसे पूरी तरह साफ कर दिया जाता और पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त नहीं कर दिया जाता या प्रकार की तप्त मरम्मत सुरक्षित रूप से करने के लिए अन्यथा तैयार नहीं कर दिया जाता तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा लिखित में यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता कि उसे इस प्रकार से तैयार कर दिया गया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन, अपेक्षित प्रमाणपत्र मरम्मतकार द्वारा कम से कम तीन मास की अवधि तक परिक्षित रखा जाएगा और मांग किए जाने पर निरीक्षक के समक्ष पेश किया जाएगा।

9. पेट्रोलियम के निकलने का निवारण -

पेट्रोलियम के, किसी नाली, सीवर, हार्बर, नदी या जलमार्ग या किसी सार्वजनिक सड़क पर या रेल लाइन पर निकलने के निवारण के लिए सभी समयों पर सभी सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

10. बालकों और नशा किए हुए व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिबंध -

अट्ठारह वर्ष की आयु से कम कोई बालक तथा कोई ऐसा व्यक्ति जो नशों की हातल में हो, पेट्रोलियम की लदाई, उतराई या परिवहन के कार्य में, या इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त किसी परिसर में, नियोजित नहीं किया जाएगा।

11. धूम्रपान, आग, प्रकाश का प्रतिबंध -

किसी भी समय किसी ऐसे स्थल के निकट जहां पेट्रोलियम का परिष्करण या भण्डारण या उसकी उठाई-धराई की जाती है अथवा किसी ऐसे यान, गाड़ी या जल यान में जिसमें कि पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, जब तक कि इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धन किया गया हो कोई व्यक्ति व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा, और वहां पर कोई दियासलाई, आग, प्रकाश या ऐसी वस्तु या पदार्थ जो पेट्रोलियम को प्रज्वलित कर सकता है, अनुज्ञात नहीं होंगे।

12. दुर्घटना से बचाव के लिए विशेष पूर्वावधानियां -

(1) किसी ऐसे स्थान में या उसके पास जहां पेट्रोलियम का परिष्करण भण्डारण या उठाई-धराई की जाती है अथवा किसी ऐसे यान, गाड़ी या जल यान में जिसमें कि पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा या करने का प्रयत्न नहीं करेगा जिससे कि आग लग सके या विस्फोट हो सके।

(2) पेट्रोलियम भण्डारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और पेट्रोलियम के भण्डारण, उसकी उठाई-धराई और परिवहन का भारसाधक या उसमें लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों पर -

- (क) इन नियमों के उपबन्धों का और उसके सम्बंध में किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनपालन करेगा;
- (ख) आग या विस्फोट से दुर्घटना के निवारण के लिए सभी पूर्वावधानियां बरतेगा, और
- (ग) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य करने से हर व्यक्ति को निवारित करेगा।

13. फीस का संदाय -

(1) इन नियमों के अधीन मुख्य नियंत्रक को संदेय सभी फीस मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में लिखे गए क्रास किए गए बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त का जाएगी। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखा जाएगा और नागपुर में संदेय होगा। प्रत्येक मामले में सौ रुपए तक की फीस मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के कार्यालय में नकद की जा सकेगी।

(2) विस्फोटक नियंत्रक से संदेय फीस उस विस्फोटक नियंत्रक के पक्ष में लिखे गए क्रास किए गए बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जाएगी जिसे संदाय किया गया है। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखा जाएगा और उस स्थान पर संदेय होगा जहां उस नियंत्रक का कार्यालय अवस्थित है जिसे संदाय किया जाना है। प्रत्येक मामले में एक सौ रुपए तक की फीस संबद्ध नियंत्रक के कार्यालय में भी नकद संदत्त की जा सकेगी।

(3) इन नियमों के अधीन जिला प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को संदेय फीस ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) (i) यदि अनुज्ञप्ति के देने, नवीकरण या संशोधन करने का कोई आवेदन रद्द किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त फीस का :

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसे प्रतिदाय किया जाएगा, यदि फीस नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की गई है, या

(ख) जिला प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यदि फीस का संदाय ऐसे प्राधिकारी को उपनियम (3) के अधीन उपबंध के अनुसार किया गया है।

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा फीस का प्रतिदाय अधिमानतः वसूली के छह मास के भीतर किया जाएगा।

(5) अनुज्ञप्ति की मंजूरी, नवीकरण या संशोधन से भिन्न प्रयोजनों के लिए इन नियमों के अधीन देय फीस प्रति संदेय नहीं होगी।

अध्याय - 2

पेट्रोलियम का आयात

भाग 1 - साधारण

14. पेट्रोलियम का आयात करने के लिए अनुज्ञप्ति -

अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के अधीन जिस पेट्रोलियम का भंडारण अनुज्ञप्ति के बिना किया जा सकता है, उससे भिन्न पेट्रोलियम का भारत में आयात इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी आयात किए जा सकते हैं जिसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उक्त आयातित पेट्रोलियम उत्पाद को अनुज्ञप्त परिसरों में प्राप्त करने और भण्डारण करने के पर्याप्त अग्रिम इंतजाम कर लिए हैं।

15. छूट प्राप्त पेट्रोलियम - (1) इस अध्याय की कोई बात किसी जलयान के भण्डारों के और इस प्रकार दर्शाए गए वर्ग ख या वर्ग ग के पेट्रोलियम को लागू नहीं होगी।

(2) नियम 14, 19 और 26 की कोई बात संघ के रक्षा बलों द्वारा आयात किए गए पेट्रोलियम को लागू नहीं होगी।

भाग 2

समुद्र मार्ग से आयात

16. वे पत्तन जिनमें पेट्रोलियम का आयात किया जा सकता है -

(1) पेट्रोलियम भारत में समुद्र मार्ग से आयात नहीं किया जाएगा सिवाय उन पत्तनों के जिन्हें भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के परामर्श से सम्यक्तः अनुमोदित किया गया हो और सीमा शुल्क आयुक्त पत्तन के रूप में घोषित किया गया हो।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सीमा शुल्क आयुक्त, मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम वर्ग ख वर्ग ग के आयात की किसी अन्य पत्तन से अनुज्ञा दे सकता है।

(3) पेट्रोलियम की उठाई-धराई करने वाले पत्तनों में ओ.आई.एस.डी. मार्गदर्शी सिद्धान्त-156 के अनुसार पर्याप्त अग्निशमन सुविधाओं का उपबन्ध किया जाएगा।

(4) वे व्यक्ति जो, उपनियम (1) के अधीन आयात के प्रयोजन के लिए पेट्रोलियम की उतराई के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का या विद्यमान सुविधाओं के उपान्तरण के संबंध में अनुमोदन चाहते हैं वे मूल नियंत्रक को आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे -

(क) निम्नलिखित स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए मापमान के लिए बनाए गए विनिर्दिष्ट और आरेख चार प्रतियां में:

(i) सभी साइडों पर उतराई सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर का परिक्षेत्र और सभी संरक्षित संदर्भ जिसमें अवस्थिति, उपलब्ध ग्राहक, नौवहन चैनल, रनिंग सर्किल, पाइप लाइनों के स्थानान्तरण के मार्ग को दर्शित करते हुए किया गया हो,

(ii) लंगर डालने या घाट पर लगाने संबंधी सुविधाएं, सेवा प्लेटफार्म/घाट, उतराई की रीति, अग्निशमन सुविधाएं, प्रदीपन व्यवस्थाएं, नौवहन सुविधाएं, नियंत्रक कक्ष छलकाव संग्रहण/आधानसंबंधी व्यवस्थाएं आदि; और

(iii) उतराई क्षेत्रों में पेट्रोलियम पाइप लाइनों के पाइपिंग और उपकरणीय आरेख।

(ख) आपात, सुरक्षा और संरक्षा संबंधी विशिष्टताओं जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जो इस उपनियम के क (i) और (ii) में वर्णित हैं, की स्कीन और कार्यपद्धति का उल्लेख करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;

(ग) गुणात्मक तथा मात्रात्मक जोखिमों संभाव्य असफलता परिदृश्यों एल.एफ.एल दूरियों और परिणामी परिसंकट और नुकसानी दूरस्थता आदि सहित नुकसानियां और सिफारिश किए गए उपचारों को उपदर्शित करते हुए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट;

(घ) दो हजार रुपए की प्रतिभूति फीस; और

(ङ) निम्नलिखित प्राधिकारियों से अभिप्राप्त अनापत्ति प्रतियां :-

(i) यथास्थित, पोत परिवहन मंत्रालय या राज्य समुद्रीय बोर्ड।

(ii) यथास्थिति पर्यावरण और वन मंत्रालय या राज्य प्रदूषण बोर्ड, और

(iii) सीमाशुल्क आयुक्त।

(5) प्रपुंज पेट्रोलियम की उतराई मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित वाणिज्य व्यवस्था या कवचित हौज द्वारा की जाएगी। पेट्रोलियम की उतराई में प्रयुक्त सभी हौज, पाइपों और अन्य साधित्र वैद्युत रूप से या अभियांत्रिक रूप से जारी रहेंगे और उनका संहिताओं/मानकों के अनुसार सम्यक रूप से परीक्षण किया जाएगा।

17. पेट्रोलियम का वहन करने वाले जलयान के मास्टर द्वारा या जलयान के अभिकर्ताओं द्वारा घोषणा -

(1) पेट्रोलियम का वहन करने वाले प्रत्येक जलयान का मास्टर नियम 16 के उपनियम (1) के अधीन अनुमोदित किसी पत्तन में प्रवेश करने से पूर्व पाइलट को अपने हस्ताक्षर से एक लिखित घोषणा प्ररूप 1 में देगा :

परन्तु ऐसी घोषणा आवश्यक नहीं होगी यदि जलयान का अभिकर्ता अपना हस्ताक्षर करके ऐसी घोषणा ऐसे जलयान के आगमन से पूर्व संरक्षक को दे देता है।

(2) पाइलट उक्त घोषणा को संरक्षक को बिना विलम्ब के सौंप देगा और संरक्षक घोषणा को पत्तन के सीमा शुल्क आयुक्त को जितनी शीघ्र भेजना सुविधाजनक हो, भेजेगा।

18. पेट्रोलियम का वहन करने वाले जलयानों का लंगर स्थान -

(1) ऐसे प्रत्येक जलयान, जिस पर पेट्रोलियम हो, का लंगर ऐसे स्थान पर डाला जाएगा जो संरक्षक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए तथा वह ऐसे लंगर स्थान को संरक्षक के साधारण या विशेष आदेश के बिना नहीं छोड़ेगा तथा ऐसी शर्तों पर छोड़ेगा जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) ऐसा लंगर स्थान किसी भी दशा में वह नहीं होगा जो विस्फोटकों से लदे जलयानों के लिए हैं और विस्फोटकों से लदे जलयानों के लंगर स्थान पर होगा जिससे पहले लंगर स्थान पर आरम्भ होने वाली आग का बाद के लंगर स्थान पर लंगर डाले जलयानों को प्रभावित करना असम्भव हो:

परन्तु इस नियम की कोई बात उन जलयानों को लागू नहीं होगी जिनके पर वर्ग ग का पेट्रोलियम है।

19. आयात करने के लिए प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का प्रस्तुत किया जाना -

(1) पेट्रोलियम का आयात करने की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तिगत तौर पर अपने अभिकर्ता के माध्यम से सीमा-शुल्क कलेक्टर को -

(क) अपने या अपने अभिकर्ता के हस्ताक्षर से, प्ररूप 2 में, भण्डारकरण स्थान प्रमाणपत्र; और

(ख) ऐसे पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति की प्राधिकृत प्रति भेजेगा;

परन्तु इस नियम की कोई बात अधिनियम की धारा 7, 8, 9 और 10 के अधीन छूट प्राप्त प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम के आयात को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रस्तुत किया जाना वर्ग ग के प्रपुंज पेट्रोलियम के आयात की, अधिनियम की धारा 7 के अधीन छूट प्राप्त मात्रा की दशा में आवश्यक नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति वर्ग क पेट्रोलियम का प्रपुंज में आयात कर सकता है चाहे वह -

(i) आयात के पत्तन में भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति न रखता हो; या

(ii) उसके नाम में अनुज्ञप्त परिसरों में भण्डारकरण सुविधा, आयात किए जाने के लिए आशयित पेट्रोलियम की मात्रा धारण करने के लिए पर्याप्त न हो :

परन्तु यह कि दोनों मामलों में आयातकर्ता द्वारा, के पत्तन ऐसे पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्त परिसरों में वितरण करने का संरक्षक के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त अग्रिम इंतजाम किए गए हों।

20. पेट्रोलियम उतारने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त की अनुज्ञा -

(1) आयात किया कोई आयातित पेट्रोलियम सीमा शुल्क आयुक्त की अनुज्ञा के सिवाय नहीं उतारा जाएगा।

(2) यदि सीमा शुल्क आयुक्त का, -

(क) पेट्रोलियम की बाबत परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट;

(ख) यदि नियम 19 के अधीन अपेक्षित हो तो प्रारूप 2 में भण्डारकरण स्थान प्रमाणपत्र; और

(ग) यदि नियम 19 के अधीन अपेक्षित हो तो, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति की अधिप्रमाणित प्रति;

की प्राप्ति के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि पेट्रोलियम का विधिपूर्वक आयात किया जा सकता है और उसके लिए उपयुक्त स्थान है तो वह उसकी उतराई की अनुज्ञा प्रदान करेगा।

(3) यदि सीमा शुल्क आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रपुंज से भिन्न आयात किया गया पेट्रोलियम जो भारत में भण्डारकरण के लिए आशयित नहीं है किन्तु उतारे जाने के पश्चात् तुरंत भारत के बाहर किसी स्थान को भेजे जाने के लिए आशयित है तो वह नियम 14 और 19 की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है तथा लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों पर जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे ऐसे पेट्रोलियम के उस स्थान को भेजे जाने के प्रयोजन के लिए उतारे जाने की तुरंत अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। सीमा शुल्क आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि माल को तुरन्त गन्तव्य देश को भेज दिया जाए। मार्ग में आने वाली सड़कों, पुलों आदि की दशा में, माल की उतराई की तारीख से भारत से बाहर गन्तव्यों को भेजे जाने की तारीख तक अधिकतम तीस दिन का समय अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) इस नियम की कोई बात सीमा शुल्क आयुक्त की, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियम के अधीन, पेट्रोलियम को रोक रखने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

21. परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रत्याशा में वर्ग ख या वर्ग ग के पेट्रोलियम का उतारा जाना -

(1) नियम 20 में किसी बात के होते हुए भी, जहां परेक्षिती ऐसी गारंटी दे कि यदि परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट विपरीत होगी तो वह पेट्रोलियम को पुनः जलयान से भेज देगा वहां सीमाशुल्क आयुक्त, परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रत्याशा में, ऐसे पेट्रोलियम का, जिसकी बाबत उसे विश्वास है कि वह वर्ग ख या वर्ग ग का पेट्रोलियम है, नौकाओं में निकाले जाने या उतारने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा इस शर्त पर होगी कि जिन नौकाओं में पेट्रोलियम निकाला जाता है वे ऐसे स्थान पर रहेंगी जो संरक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या पेट्रोलियम उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक्तः विनिर्दिष्ट उतराई के स्थान पर उतारा जाएगा और उसका भण्डारकरण इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त अधिष्ठापन में किया जाएगा।

22. प्रपुंज पेट्रोलियम की उतराई - अध्याय 3 के भाग 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयात किया गया प्रपुंज पेट्रोलियम भण्डारकरण टैंकों में किनारे पर या तो सीधे ही या ऐसे बजरो या लाइटरो के माध्यम से जो प्रपुंज पेट्रोलियम के वहन के लिए विशेष रूप से निर्मित किए गए हों, निकाला जाएगा, और केवल ऐसे स्थानों पर निकाला जाएगा जो संरक्षक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट किए जाएं।

23. प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम की उतराई - (1) अध्याय 3 के भाग 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयात किया गया प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम या तो उस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की गई जैटियों पर, या बजरो या लाइटरो में तथा केवल ऐसे स्थानों पर उतारा जाएगा जो संरक्षक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(2) आधानों में रखा हुआ पेट्रोलियम केवल तभी उतारा जाएगा जब कन्टेनर चूने वाले न हों तथा ऐसे मजबूत या ऐसे बने हुए हों कि घोर उपेक्षा या असाधारण दुर्घटना की दशा के सिवाय, टूटें नहीं या चूएं नहीं:

परन्तु आधानों में रखा हुआ पेट्रोलियम जो इस उपनियम की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, अध्याय 3 के भाग 2 के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संरक्षक द्वारा अधिरोपित की जाए, उतराई के प्रयोजन के लिए अनुमोदित पृथक उतराई स्थान पर उतारा जा सकता है।

24. पेट्रोलियम का यानान्तरण- किसी अन्य पत्तन को प्रवहण के लिए, चाहे वह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर हो या बाहर, पेट्रोलियम का एक जलयान से दूसरे पर यानान्तरण अध्याय 3 के भाग 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किया जा सकता है।

भाग 3

भूमार्ग से आयात

25. पेट्रोलियम का भूमार्ग से केवल प्राधिकृत स्थानों को आयात किया जाना- भारत में पेट्रोलियम का भूमार्ग से आयात केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत स्थानों के सिवाय कहीं नहीं किया जाएगा।

26. भूमार्ग से पेट्रोलियम का आयात करने से पूर्व घोषणा पत्र और प्रमाणपत्र का भेजा जाना और अनुज्ञप्ति का प्रस्तुत किया जाना-भूमार्ग से पेट्रोलियम का आयात करने की वांछा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सीमा शुल्क आयुक्त को निम्नलिखित दस्तावेज भेजेगा:-

(क) स्वयं अपने या अपने अधिकर्ता के हस्ताक्षर से प्रारूप 1 में एक घोषणा पत्र;

(ख) स्वयं अपने या अपने अधिकर्ता के हस्ताक्षर से प्रारूप 2 में भण्डारकरण स्थान प्रमाणपत्र और

(ग) ऐसे पेट्रोलियम का आयात करने और भण्डारकरण के लिए धारित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति की अधिप्रमाणित प्रति भेजेगा:

परन्तु इस नियम की कोई बात अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के अधीन छूट प्राप्त पेट्रोलियम का आयात करने को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि खण्ड (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति भेजा जाना वर्ग ग के प्रपुंज पेट्रोलियम के आयात की अधिनियम की धारा 7 के अधीन छूट प्राप्त मात्रा की दशा में आवश्यक नहीं होगा।

27. पेट्रोलियम की उतराई के लिए सीमा-शुल्क आयुक्त की अनुज्ञा-(1) कोई पेट्रोलियम सीमा-शुल्क आयुक्त की अनुज्ञा के सिवाय नहीं उतारा जाएगा।

(2) यदि सीमा-शुल्क आयुक्त का-

(क) पेट्रोलियम की बाबत परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट:

(ख) यदि नियम 26 द्वारा अपेक्षित हो तो, प्रारूप 2 में प्रमाणपत्र और

(ग) यदि नियम 26 द्वारा अपेक्षित हो तो, अनुज्ञप्ति:

की प्राप्ति के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि पेट्रोलियम का विधिवत: आयात किया जा सकता है और उसके भण्डारकरण के लिए उपयुक्त स्थान है तो वह उसकी उतराई की अनुज्ञा प्रदान करेगा।

(3) यदि सीमा-शुल्क आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आयात किया गया कोई पेट्रोलियम भारत में भण्डारकरण के लिए आशयित नहीं है अपितु उतारे जाने के पश्चात् तुरन्त भारत के बाहर किसी स्थान को भेजे जाने के लिए आशयित है तो वह नियम 14 और 26 की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है तथा लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों पर जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसे पेट्रोलियम को ऐसे स्थान के लिए तुरन्त भेजे जाने के प्रयोजन के लिए उतारे जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(4) इस नियम की कोई बात सीमाशुल्क आयुक्त की, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियम के अधीन, पेट्रोलियम को रोक रखने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय 3

पेट्रोलियम का परिवहन

भाग - 1

साधारण

28. रिसने वाले पात्रों पर निर्बन्धन- पेट्रोलियम का कोई भी रिसने वाला टैंक या आधान परिवहन के लिए नहीं लाया जाएगा।

29. कंटेनरों की लदाई- पेट्रोलियम से भरे हुए बैरलों, ड्रमों और अन्य कंटेनरों की लदाई डाट वाला भाग ऊपर की ओर रखते हुए की जाएगी।

30. यात्रियों, दाह्य और ज्वलनशील स्थोरा पर निर्बन्धन: - नियम 38, 39, और 52 तथा नियम 60 के खण्ड (ख) में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई पोत, जलयान या यान प्रपुंज पेट्रोलियम का या प्रपुंज पेट्रोलियम वर्ग क या पेट्रोलियम वर्ग ख या वर्ग 3 का वहन नहीं करेगा यदि वह यात्री या पेट्रोलियम से किसी भिन्न दाह्य स्थोरा का वहन कर रहा है:

परन्तु इस नियम की कोई बात प्रपुंज से भिन्न वर्ग क के पेट्रोलियम के अनुत्तर परिवहन की दशा में पैकिंग के प्रयोजन के लिए निभार (डनेज) के प्रयोग का प्रतिषेध नहीं करेगी।

31. धूम्रपान, आग, प्रकाश का प्रतिषेध : कोई भी व्यक्ति जब वह की लदाई या उतराई या परिवहन में लगा हो, धूम्रपान नहीं करेगा या दियासलाईयां, लाइटर या ऐसे अन्य साधन नहीं रखेगा जिनसे प्रज्वलन या विस्फोट हो सकता है।

32. रात्रि के समय लदाई और उतराई पर निर्बन्धन : (1) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में किसी पोत, जलयान या यान पर पेट्रोलियम का लदान या उससे उतराई तब तक नहीं होगी जब तक कि-

(क) लदाई या उतराई के स्थान पर यथेष्ट विद्युत प्रकाश की व्यवस्था नहीं कर दी जाती और अध्याय 4 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जाता: और

(ख) लदाई के स्थान पर आग लगने की दशा में तुरन्त प्रयोग के लिए अग्नि के लिए पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं कार्मिकों के साथ तैयार नहीं रखी जाती।

2. इस नियम की कोई बात, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त जलयानों या यानों द्वारा, भारतीय वायुयान नियम, 1973 के

उपबन्धों के अनुसरण में, वायुयानों में पुनः ईंधन भरने को, या संघ के रक्षा बलों द्वारा वायुयान में पुनः ईंधन भरने को लागू नहीं होती।

स्पष्टीकरण-मुख्य नियंत्रक इस नियम के प्रयोजनों के लिए, विद्युत् प्रकाश और अग्निशमन की सुविधाओं की पर्याप्तता या अन्यथा का अवधारण करेगा।

भाग-2

जलमार्ग से परिवहन

33. जलमार्ग से प्रपुंज पेट्रोलियम के वहन की शर्तें- (1) प्रपुंज पेट्रोलियम का जलमार्ग से वहन प्रपुंज पेट्रोलियम के प्रवहन के लिए इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है) अनुज्ञप्त पोत या अन्य जलयान के सिवाय नहीं किया जाएगा तथा पेट्रोलियम का भण्डारकरण पोत या अन्य जलयान के ऐसे भाग में और ऐसी रीति से किया जाएगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मुख्य नियंत्रक से परामर्श करने के पश्चात् साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुमोदित किए जाएं:

परन्तु :-

(क) इस नियम की कोई बात पेट्रोलियम का आयात करने वाले, भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत जलयान को लागू नहीं होगी।

(ख) मुख्य नियंत्रक की लिखित अनुज्ञा से टैंक यान में पेट्रोलियम का परिवहन, ऐसी शर्तों के अधधीन जो मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, फैरी से नदी के आर-पार किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्रारूप 2 में मंजूर की जाएगी और उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

34. जलयानों के संनिर्माण की बाबत अपेक्षाएं- नियम 33 के उपनियम (1) के परन्तु क के खण्ड (ख) के अधीन टैंक यानों का परिवहन करने के लिए अनुज्ञात फैरी से भिन्न प्रपुंज पेट्रोलियम का वहन करने वाला प्रत्येक पोत या अन्य जलयान लोहे या इस्पात का बना होगा तथा जलयान के आकार के अनुपात में यथेष्ट लम्बाई-चौड़ाई वाले घटक भागों (स्केन्टलिंग) में भलीभांति और मजबूती से संनिर्मित होगा:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, ऐसी शर्तों के अधधीन जो वह मुख्य नियंत्रक के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे, लोहे या इस्पात से भिन्न सामग्री से संनिर्मित पोतों या अन्य यानों के उपयोग की अनुज्ञा दे सकेगा।

35. पोत या जलयान पर टैंक फिटिंग- पोतों या अन्य जलयानों में वर्ग ग के पेट्रोलियम से भिन्न पेट्रोलियम के परिवहन के लिए निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) सभी टैंकों में पृथक-पृथक अनुमोदित भराई (फिलिंग) और चूषण पाइपें और वाल्व या ब्लैक फ्लैज सहित स्टैंडपाइपें लगी होंगी: सभी पाइपें टैंक लगभग तल तक पहुंचनी चाहिए, और जब तक कि मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अन्यथा रूप से अनुज्ञात न किया जाए प्रपुंज पेट्रोलियम ऐसी पाइपों और वाल्वों से ही फलक पर ले जाया जाएगा या निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं:

(ख) सभी टैंकों में नरदार (मैनहोल) लगे होंगे जिन पर पेट्रोलियम रोधी जोड़ों वाले पेंचदार ढक्कन होंगे और वे वर्ग क के पेट्रोलियम के प्रयोग के लिए आशयित टैंकों की दशा में अनुमोदित नमूने के संवातक या रिलीफ वाल्व युक्त होंगे जो रेखीय सेंटीमीटर में कम से कम 11 छिद्र की तार की जाली से समुचित रूप से सुरक्षित होंगे; और

(ग) टैंक के चारों ओर सभी स्थानों में इसी प्रकार से सुरक्षित संवातक लगे होंगे।

36. स्वचालित बजरे- वर्ग ग के पेट्रोलियम से भिन्न पेट्रोलियम का परिवहन करने वाले स्वचालित बजरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा; अर्थात्-

(क) समस्त मशीन बजरे के स्टर्न पर होनी चाहिए और एक ज्वापरोध लगाकर, जिसमें कि कम से कम 15 सेंटीमीटर के अन्तर पर दो आड़े पेट्रोलियमरोधी सुरक्षा व्यवधान (ब्लक हैड) होंगे, स्थोरा से पूर्णतया पृथक किया जाएगा।

(ख) मशीन के प्रत्येक निर्वातन द्वार में अनुमोदित प्रकार का स्फुलिंग रोधक लगा हुआ होगा;

(ग) मुख्य इंजन के रूप में या किसी सहायक मशीनरी या पम्प को चलाने के प्रयोजन के लिए पेट्रोल से चलने वाले इंजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक ईंधन भरण पाइप में उनके ईंधन सर्विस टैंक के साथ जोड़ के स्थान पर ऐसा द्रुतकर्मि निमीलन वाल्व लगाया जाएगा जिसे मशीन के क्षेत्र के बाहर से चलाया जा सके;

(ङ) बजरे पर लकड़ी का भारी पट्टा चढ़ा होना चाहिए; और

(च) स्थोरा के स्थानों पर उपयुक्त संवातक लगे होने चाहिए।

37. बजरे तथा फ्लैटों पर प्रपुंज पेट्रोलियम-बजरे या फ्लैट में प्रपुंज पेट्रोलियम का परिवहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बजरा या फ्लैट स्वनोदित न हो या स्टीमर या टग द्वारा टोन किया जा रहा हो या वे उसके साथ न हों, तथा-

(क) उस पर तेल की आग को बुझाने के लिए कम से कम चार उपयुक्त अग्निशामक और एक ढक्कनदार बालू का बक्स, जिसमें कम से कम 0.20 क्यूबिक मीटर सूखी बालू हो, डोक पर न लगे हों;

(ख) एक स्फुलिंग रहित धातु का उपयुक्त हैमर न लगा हो;

(ग) लाल झंडा न लगा हो।

38. स्थोरा या यात्रियों पर निर्बन्धन- (1) कोई भी पोत या अन्य जलयान जो यात्रियों का या किसी पेट्रोलियम या कोयले से भिन्न किसी ज्वलनशील स्थोरा का वहन कर रहा है, प्रपुंज पेट्रोलियम का वहन नहीं करेगा।

(2) यह नियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त और ईंधन और बायलर कंपार्टमेंटों के नीचे कोशिकीय दो तलों में तथा सामान्य होल्डों के नीचे वहन किए जा रहे वर्ग ग के पेट्रोलियम को लागू नहीं होगा। ऐसे ईंधन तेल टैंक और उनसे सम्बद्ध संस्थापन भारतीय वाणिज्यपोत परिवहन (यात्री स्टीमरों का सन्निर्माण और सर्वेक्षण) नियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होंगे।

39. घाट पर न लगे यात्री पोतों में पेट्रोलियम का स्थोरा के रूप में वहन-वर्ग क पेट्रोलियम का परिवहन वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में यथा परिभाषित घाट पर न लगे यात्री पोत द्वारा स्थोरा के रूप में नहीं किया जाएगा:

परन्तु वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, (1958 का 44) की धारा 243 में किसी निर्दिष्ट प्रमाणकर्ता अधिकारी उन मामलों में जहां उसका समाधान हो जाता है कि पेट्रोलियम के परिवहन के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, वह 1250 लिटर से अनधिक मात्रा में वर्ग क पेट्रोलियम का प्रपुंज पेट्रोलियम का घाट पर न लगे यात्री पोत द्वारा परिवहन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात कर सकता है-

(क) पोत में उतने से अधिक व्यक्तियों का वहन नहीं किया जाएगा जितने जहाज की लाइफ बोटों में, दुर्घटना की दशा में, सुरक्षापूर्वक आ सकते हों; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तें जो प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा, मुख्य नियंत्रक से परामर्श के पश्चात्, अधिरोपित की जाएं:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक का खण्ड (क) उन घाट पर न लगे यात्री पोतों की दशा में लागू नहीं होगा जो ऐसी यात्राओं में लगे हों जिनमें वे भूमि से 32 किलोमीटर से परे नहीं जाते हैं।

40. देशी यानों द्वारा वर्ग क पेट्रोलियम के परिवहन का प्रतिषेध—किसी देशी यान में यदि यात्रियों का वहन किया जा रहा है तो उसमें वर्ग क पेट्रोलियम का वहन नहीं किया जाएगा।

41. पेट्रोलियम जलयानों कर्षण या उनकी देखभाल करने में लगाए गए स्टीमरों या कर्षकों पर निर्बन्धन—(1) वर्ग ग के प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न पेट्रोलियम का वहन करने वाले बजरे, फ्लैट या लाइटर का कर्षण करने या अन्यथा उसकी देखभाल करने में लगा हुआ स्टीमर या कर्षक एक ही समय में किसी अन्य जलयान को, जो पेट्रोलियम या कोयले से भिन्न ज्वलनशील स्थोरा का वहन कर रहा है, कर्षण नहीं करेगा या अन्यथा उसकी देखभाल नहीं करेगा।

(2) ऐसा स्टीमर या कर्षक पेट्रोलियम या कोयले से भिन्न किसी ज्वलनशील स्थोरा का वहन नहीं करेगा।

(3) ऐसे सभी स्टीमरों या कर्षकों पर दक्ष स्फुलिंगरोधक (स्पार्क एरेस्टर) लगे होंगे।

42. खावों और टैंकों का संवातन और उनकी सफाई—(1) पोत या जलयान से पेट्रोलियम निकालने से पूर्व ऐसे जलयान के खावों को पूर्णतया संवातित किया जाएगा:

परन्तु इस उपनियम की कोई बात 30 लिटर से अनधिक वर्ग क पेट्रोलियम या 2500 लिटर से अनधिक वर्ग ख पेट्रोलियम या वर्ग ग पेट्रोलियम का वहन करने वाले किसी जलयान को लागू नहीं होगी।

(2) किसी ऐसे जलयान में से पूरा पेट्रोलियम निकाले जाने के पश्चात् जलयान के खावों, टैंकों और नितलों को ज्वलनशील वाष्प से मुक्त कर दिया जाएगा।

(3) उपनियम (2) पेट्रोलियम का आयात करने वाले ऐसे पोत के टैंकों को लागू नहीं होगा जो स्थोरा की उतराई के पश्चात् बिना विलम्ब के पत्तन छोड़ दें या वहां केवल बंकरों, भण्डारों या स्थिरक भार लेने के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए रहता है जो संरक्षक द्वारा अनुमोदित किए जाएं, और प्रत्येक ऐसे पोत के टैंक स्थोरा उतारे जाने के पश्चात् तुरन्त सुरक्षित रूप से बन्द कर दिया जाता है।

(4) निरन्तर प्रपुंज पेट्रोलियम के परिवहन में लगे हुए बजरों या लाइटरों को उपनियम (2) लागू नहीं होगा यदि—

(क) उतराई और उसके पश्चात् अगली लदाई के कार्यों के बीच अधिक से अधिक 72 घंटों का अन्तराल होना सम्भावित है: और

(ख) टैंकों को उतराई के पश्चात् तुरन्त सुरक्षित रूप में बांध दिया जाता है।

(5) उपनियम (2), मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित विशेष तौर पर निर्मित ऐसे स्टील टैंक मोटर-जलयानों को लागू नहीं होगा जो उन नदियों से और ऐसे पत्तनों से जो मुख्य नियंत्रक द्वारा पत्तन की सीमाओं के बाहर के क्षेत्र में, या संरक्षक द्वारा पत्तन की सीमाओं के भीतर अनुमोदित किए जाएं, प्रपुंज पेट्रोलियम के परिवहन में लगे हुए हैं, यदि ऐसे जलयानों के टैंक उतराई के तुरन्त पश्चात् सुरक्षित रूप से बांध दिये जाते हैं और जलयान उतराई पूरी होने के पश्चात् अधिक से अधिक बारह घंटे के भीतर लदाई के अपने दूसरे स्थान के लिए रवाना हो जाते हैं।

(6) सभी पोत या अन्य जलयान जिन्हें उपनियम (3) या उपनियम (4) या उपनियम (5) द्वारा उपनियम (2) के लागू होने से छूट दी गई है, प्रपुंज पेट्रोलियम का वहन करते समय; पोतों या अन्य जलयानों को लागू सभी नियमों का तब तक अनुपालन करेंगे जब तक कि उनके खावों और टैंकों को ज्वलनशील वाष्प से मुक्त नहीं कर दिया जाता।

43. जलयान के मास्टर का विशेषरूप से उत्तरदायी होना— किसी ऐसे जलयान का जिसने पेट्रोलियम का, चाहे स्थोरा के रूप में या ईंधन के रूप में, फलक पर वहन किया है, या नियम 33 के अधीन अनुज्ञप्त किसी जलयान का मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी यह ध्यान रखने का उत्तरदायी होगा कि—

(क) पेट्रोलियम या पेट्रोलियम वाष्प के प्रज्वलित होने से दुर्घटनाओं के निवारण के लिए सभी सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाती हैं;

(ख) तब तक जब तक कि टैंक में पेट्रोलियम या पेट्रोलियम वाष्प है, वायुमंडल की ओर टैंक के खुलने वाले सभी द्वार, सिवाय गैस निकलने की लाइन के बन्द रखे जाते हैं और उनमें ताले लगाए जाते हैं या उन्हें अन्यथा सुरक्षित रूप से बन्द रखा जाता है; और जब भी उनमें से पेट्रोलियम का नाप लेना हो या उसके नमूने लेना आवश्यक हो तब इस प्रकार से पेट्रोलियम का नाप या उसके नमूने लेने के तुरन्त पश्चात् आपंक प्लगों को या दर्श पत्तनों को बन्द कर दिया जाता है;

परन्तु खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मास्टर या भार साधक अधिकारी, टैंकों की सफाई के लिए या अन्य पर्याप्त कारण से वर्ग ख या वर्ग ग के पेट्रोलियम को फलक पर ले जाने या उसकी उतराई के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी द्वारों को खुलवा सकता है या उनके ताले खुलवा सकता है;

(ग) जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा टैंक की परीक्षा वाष्प परीक्षण उपकरण की सहायता से न कर ली गई हो और उसके द्वारा लिखित में यह प्रमाणित न कर दिया गया हो कि उक्त टैंक या स्थान पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त है तब तक मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार का स्वसन साधित्र पहने बिना कोई व्यक्ति ऐसे किसी टैंक या संलग्न स्थान में प्रवेश नहीं करेगा जिसमें पेट्रोलियम है या होने का सन्देह है।

(घ) जलयान के किसी ऐसे टैंक या भाग या फिटिंग की जिसमें पेट्रोलियम या पेट्रोलियम वाष्प का होना सम्भावित है, तब तक उसकी तप्त संकर्म द्वारा मरम्मत नहीं की जाएगी जब तक कि, यथास्थिति, ऐसा प्रत्येक टैंक, भाग या फिटिंग का परीक्षण, खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम वाष्प परीक्षण उपकरण की सहायता से नहीं कर लिया जाता और लिखित में यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता कि वह टैंक भाग या फिटिंग पेट्रोलियम या पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त है;

(ङ) प्रपुंज पेट्रोलियम या स्थोरा के रूप में वहन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जलयान तब तक अन्य पोतों या सूखे डॉक के बीच नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि-

(i) वह जलयान तेलगोदी की ओर अग्रसर न हो रहा हो; और

(ii) खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता कि उसने अनुमोदित पेट्रोलियम वाष्प परीक्षण उपकरणों की सहायता से उन सभी टैंकों, जलापरोधों, पम्प-कक्षों और ऐसे अन्य भागों का जिन्हें आवश्यक समझा जाए, परीक्षण कर लिया है और ऐसे टैंक, जलापरोध, पंप-कक्ष और अन्य भाग पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त हैं तथा मास्टर की यह घोषणा प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार प्रस्तुत उपर्युक्त प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले जलयान के अन्य भागों में कोई पेट्रोलियम वाष्प नहीं है;

(च) खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन प्रमाणपत्र देने वाला अधिकारी ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसी सिफारिशें कर सकेगा जो अनुप्रमाणित टैंकों, स्थान या भागों की गैसमुक्त दशा में बनाए रखने के लिए आवश्यक हो;

(छ) खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत फीस प्राप्त हो जाए;

(ज) ऐसे जलयान पर टो करने वाले या उसकी अन्यथा देखभाल करने वाले जलयान या किसी स्टीमर या टग पर सहजदृश्य रूप से -

(i) सूर्योदय से सूर्यास्त तक, वर्ग क पेट्रोलियम के वहन की दशा में कम से कम 90 सेंटीमीटर वर्ग का लाल झंडा जिसमें 15 सेंटीमीटर व्यास का एक सफेद गोला बना हो, तथा वर्ग ख पेट्रोलियम के वहन की दशा में, कम से कम 90 सेंटीमीटर के वर्ग का लाल झंडा फहराया जाता है; तथा

(ii) सूर्यास्त से सूर्योदय तक, ऐसा चेतावनी प्रकाश किया जाता है जैसा कि संरक्षक द्वारा अपेक्षित हो;

टिप्पण : संबंधित पतन प्राधिकारी, खण्ड (ग), (घ) और (ङ) के प्रयोजनार्थ अंतिम अनुज्ञा जारी करने वाली प्राधिकारी होगा चाहे इस नियम के खण्ड (ग) के अधीन संबद्ध अधिकारी से गैस मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

44. प्रपुंज पेट्रोलियम की लदाई और उतराई

(1) प्रपुंज पेट्रोलियम की किसी पोत, बजरा में या से किसी स्थान पर लदाई या उतराई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि—

(क) आपात की दशा में नियम 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अवस्थान को अधिसूचित या अनुज्ञात न कर दिया गया हो और मुख्य नियंत्रक द्वारा सुविधाएं अनुमोदित न कर दी गई हो, या

(ख) आयात से भिन्न दशाओं में लदाई और उतराई के लिए अवस्थान और सुविधाएं मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हो।

(2) वे व्यक्ति जो उपनियम (1) के अधीन अनुमोदन चाह रहे हैं, वे मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे—

(क) निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए मापमान के लिए बनाए गए विनिर्देश और आरेख चार प्रतियां में—

(i) सभी साइडों पर लदाई या उतराई सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर परिक्षेत्र और सभी संरक्षित संकर्म जिसमें अवस्थिति, पोत का आकार, उपलब्ध प्रारूप, नौवहन चैनल टर्निंग सर्किल पाइप लाइनों के स्थानांतरण के मार्ग दर्शित किया गया हो;

(ii) लंगर डालने (मूरिंग) या घाट पर लगाने की सुविधाएं, सेवा प्लेटफार्म, घाट लदाई और उतराई की रीति, अग्निशमन सुविधाएं, प्रदीपन व्यवस्थाएं नियंत्रक कक्ष, छलकाव संग्रहण, आधान संबंधी व्यवस्थाएं आदि; और

(iii) लदाई और उतराई क्षेत्रों में पेट्रोलियम पाइपलाइनों के पाइपिंग और उपकरणों के आरेख;

(ख) पेट्रोलियम की लदाई या उतराई, सुरक्षा और संरक्षा संबंधी विशिष्टताओं जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो इस उपनियम के (क) (i) (ii) और (iii) में वर्णित हैं, की स्कीम और कार्यपद्धति का उल्लेख करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;

(ग) क्वालिटी और मात्रात्मक जोखिम, संभाव्य असफलता परिदृश्य और नुकसानी दूरस्थता आदि सहित परिणामी परिसंकट और नुकसानी और सिफारिश किए गए उपचारों को उपदर्शित करते हुए जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट,

(घ) दो हजार रुपये की प्रतिभूति फीस, और

(ङ) निम्नलिखित प्राधिकारियों से अभिप्राप्त अनापत्ति की प्रतियां

(i) यथास्थिति, पोतपरिवहन मंत्रालय या राज्य समुद्रीय बोर्ड;

(ii) यथास्थिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(3) प्रपुंज पेट्रोलियम की लदाई या उतराई मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित वाणिज्य या कवचित होज धातु की पाइपों से की जाएगी।

(4) पेट्रोलियम की लदाई या उतराई में प्रयुक्त सभी होजों, पाइपों और अन्य साधित्र अविच्छिन्न विद्युततः और यांत्रिकतया होंगे और संहिताओं, मानकों के अनुसार सम्यक्तः परीक्षण किए होंगे।

(5) प्रपुंज पेट्रोलियम की लदाई और उतराई में प्रयुक्त होज और धातु पाइपें आवधिक परीक्षण के अध्यधीन होंगे।

45. लदाई या उतराई के निलंबन के संबंध में पूर्वावधानियां - जब पेट्रोलियम की लदाई या उतराई आरम्भ कर दी जाए तो ऐसी लदाई या उतराई सम्यक् तत्परता के साथ की जाएगी और, यदि उसे रोक दिया जाए तो पोत या अन्य संबंधित जलयानों के टैंकों और खावों को तथा सभी लदाई या उतराई वाल्वों को तुरन्त बन्द कर दिया जाएगा।

46. जलयान के फलक पर अनावृत प्रकाश, अग्नि और धूम्रपान का प्रतिषेध, - ऐसे किसी बजरे, प्लैट या लाइट पर जिसमें प्रपुंज में पेट्रोलियम का वहन किया जा रहा हो या ऐसे किसी जलयान के फलक पर जो प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम वर्ग क के परिवहन के लिए प्रयोग किया जा रहा हो या किस पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी जलयान को या पेट्रोलियम के स्थानान्तरण के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, ज्वलन या विस्फोटन और धूम्रपान के लिए कोई अग्नि, अनावृत प्रकाश, फ्यूज, दियासलाई या अन्य साधित्र अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात स्वचालित बजरे पर किसी मशीनरी या प्रोपेलशन के प्रयोग की निवारित नहीं करेगी।

47. लदाई या उतराई के दौरान धूम्रपान, अग्नि और प्रकाश का प्रतिषेध - किसी पोत या अन्य जलयान पर लदाई या उतराई के दौरान सभी समयों पर और तब तक जब तक कि खावों या टैंकों में पेट्रोलियम भर नहीं दिया जाता या उनमें निकाल नहीं लिया जाता तथा खावों और टैंकों को सुरक्षित रूप से बन्द नहीं कर दिया जाता और, उतराई की दशा में, तब तक जब तक कि उन्हें ज्वलनशील वाष्प मुक्त नहीं कर दिया जाता, ऐसे पोत या अन्य जलयान के फलक पर या जिस स्थान पर पेट्रोलियम की लदाई या उतराई हो रही है वहां से तीस मीटर के भीतर कोई आग या कृत्रिम प्रकाश या धूम्रपान नहीं होना चाहिए:

परन्तु इस नियम की कोई बात -

(i) उन लैम्पों, कुकरों या समरूप साधित्रों को, जो वैद्युत हों अथवा अन्यथा इस प्रकार डिजाइन, संनिर्मित किए गए हैं या रखे गए हैं कि उनसे ज्वलनशील वाष्प का प्रज्वलन नहीं हो सकता या और वर्ग ग के पेट्रोलियम की दशा में, गैली आग के प्रयोग लागू नहीं होगी;

(ii) संरक्षक द्वारा अनुमोदित शतों के अधीन, पोतों के अपने वायलरों से भाप या स्थोरा खावों और पम्प कमरों से रखे गए विद्युत मोटरों या अन्तर्दहन इंजिनों द्वारा उत्स्रित विद्युत से या ऐसी विद्युत मोटरों से जो इस प्रकार डिजाइन निर्मित हों और रखी गई हों कि उनसे ज्वलनशील वाष्प का प्रज्वलन नहीं हो सकता, और जो लायड या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य पोत सर्वेक्षों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में रखी गई हों, पोत की उतराई या उसकी लदाई को लागू नहीं होगी।

48. अग्निशामक साधित्रों को उपयोग के लिए तैयार रखा जाना - पेट्रोलियम की उतराई या लदाई कर रहे जलयानों में अग्निशामक साधित्र पर्याप्त मात्रा में इस प्रकार से रखे जाएंगे कि इनका तुरन्त उपयोग किया जा सके।

49. पेट्रोलियम के विभिन्न वर्गों का साथ-साथ वहन करने पर निर्बन्धन - (1) वर्ग क का पेट्रोलियम, वर्ग ख या वर्ग ग पेट्रोलियम के साथ एक ही जलयान पर न तो लादा जाएगा न किनारे से वहन किया जाएगा।

(2) मुख्य नियंत्रक, लिखित आदेश द्वारा, किसी विशिष्ट संक्रिया को उपनियम (1) के उपबंधों से विशेष तौर पर छूट दे सकता है यदि वर्ग क पेट्रोलियम सी साथ-साथ वर्ग ख या वर्ग ग पेट्रोलियम की लदाई या उतराई के लिए पृथक-पृथक और सुभिन्न पाइप लाइनों और पम्पों की व्यवस्था की गई है।

50. परीक्षण न किए गए पेट्रोलियम का समुद्र मार्ग द्वारा परिवहन - पेट्रोलियम जो नियम 16 के उपनियम (1) और (2) के अधीन अनुमोदित किसी पत्तन पर आयात किया गया है तथा जिसका ऐसे पत्तन पर परीक्षण 10 में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसरण में नहीं किया गया है, उसका परिवहन, ऐसे पत्तन से भिन्न पत्तन को नहीं किया जाएगा जिस पर नियम 16 के उपनियम (1) के अधीन और अध्याय 2 में सभी नियमों के उपबंधों के अनुसरण में, आयात अनुज्ञात किया जाता है।

भाग - 3

वर्ग क के प्रपुंज से अन्यथा भिन्न पेट्रोलियम का तटवार परिवहन

51. लागू होना - (1) इस भाग के नियम केवल वर्ग क के प्रपुंज से अन्यथा भिन्न पेट्रोलियम के तटवार परिवहन को लागू होते हैं।

(2) जब तक किसी भाग में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, इस अध्याय के भाग 2 में की कोई बात इस भाग 2 में की कोई बात इस भाग के अनुसार परिवहन किए गए किसी पेट्रोलियम को लागू नहीं होगी।

52. घाट पर न लगे यात्री पोत द्वारा परिवहन की शर्तें - वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में यथा अथवा परिभाषित घाट पर न लगे यात्री पोत द्वारा वर्ग क के प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम का परिवहन, नियम 29, 30, 39 और 45 से 60 तक जिसमें दोनों सम्मिलित हैं के उपबंधों के अनुसार किया जा सकेगा।

53. परिवहन के लिए अनुज्ञात अधिकतम मात्रा - वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में यथा परिभाषित घाट अन्यथा पर न लगे यात्री पोत से भिन्न देशी यान या भाष या मोटर जलयान द्वारा वर्ग क के प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम का परिवहन नियम 29, 30, 39 और 54 से 60 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा यदि पेट्रोलियम की मात्रा -

(क) देशी यान की दशा में, पेट्रोलियम का वहन जिन बैरलों या टिनों में किया जाता है उनका वजन गणना में लेने के पश्चात जलयान की अनुज्ञात वहन क्षमता, से अधिक नहीं; या

(ख) भाष या मोटर जलयान की दशा में, पन्द्रह टन से अधिक न हो।

54. डेकों के नीचे वहन - (1) वर्ग क के पेट्रोलियम का वहन डैक वाले जलयानों में डेक के नीचे तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि खाव में दक्ष संवातक (वैटीलेटर) न हों।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट संवातकों में से आधे, खावों के लगभग तल के निकट ले जाए जाएंगे और ऐसे संवातकों में से शेष आधे डैक के नीचे केवल कुछ ही दूर पर समाप्त हो जाएंगे, छोटे संवातकों पर "निर्गम या प्रतिपवन" लेबल लगाया जाएगा और बड़े संवातकों पर "अन्तर्गम, या पवनाभिमुख" लेबल लगाया जाएगा। ऐसे संवातकों में बड़े काउल शीर्ष होने चाहिए और उनके खुलने वाले स्थान तांबे या असंक्षणशील धातु की दोहरी जाली से जिसमें प्रति रेखीय सेंटीमीटर में कम से कम 11 छिद्र होंगे, ढके होने चाहिए।

55. बल्कहैड की व्यवस्था - देशी यान से भिन्न सभी जलयानों में द्वार रहित ठोस गैसरुद्ध बल्कहैड, तथा देशी यानों में द्वार रहित ठोस बल्क हैट खाव तथा डैक पश्च (आफ्टर डैक) के बीच में जहां नौबाहकों के लिए स्थान रहता है, फिट किया जाएगा, और नौ पृष्ठ (पूप) फिट किए हुए जलयानों में बल्कहैड ठीक नौ पृष्ठ (पूप) से सामने रहेगा। डैक युक्त जलयानों में बल्क हैड डैक तक होगा, अन्य सभी जलयानों में बल्कहैड-ऊपरी पट्टी (गन वेल) के पन्द्रह सेंटीमीटर के भीतर तक पहुंचना चाहिए।

56. आग, प्रकाश और धूम्रपान का प्रतिषेध - (1) वर्ग क के पेट्रोलियम का परिवहन करने वाले जलयान के किसी भी भाग पर सिवाय ठोस बल्क हैड के पिछले भाग में, अग्नि किसी भी प्रकार का अनावृत्त प्रकाश और धूम्रपान अनुज्ञात नहीं होगा।

(2) किसी ऐसे जलयान पर नौवहन प्रकाश बल्कहैड के पिछले भाग में रखा जाएगा।

57. अग्निशामकों की व्यवस्था - वर्ग क पेट्रोलियम का परिवहन करने वाले किसी जलयान पर सुगम स्थानों पर तेल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयुक्त रूप से अग्निशामक रखे जाएंगे। डैक पश्च भाग में ऐसे कम से कम दो

अग्निशामक रखे जाएंगे।

58. भाप या मोटर जलयान की संरचना - पेट्रोलियम के वहन के लिए विशेष रूप से संनिर्मित न किए गए भाप या मोटर जलयानों पर पेट्रोलियम का वहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वे लोहे इस्पात या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किस अन्य सामग्री से संनिर्मित न हों।

59. भाप या मोटर जलयानों में परिवहन - पेट्रोलियम के वहन के लिए विशेष रूप से निर्मित न किए गए भाप या मोटर जलयानों पर न हों और -

(क) किसी पेट्रोलियम का वहन या तो पृथक कम्पार्टमेंटों में किया जाएगा जो कि गैस रोधी होगी और प्रभावशाली ढंग से सील बंद की जाएगी या खाव में किया जाएगा जिसमें प्रभावशाली संवातक नियम 54 के उपनियम (2) के अनुसार हैं या नियम 60 के अनुसार डैक पर किया जाएगा;

(ख) वर्ग क पेट्रोलियम नियम 4 और नियम 5 के उपबन्धों के अनुरूप आधानों में पैक किया जाएगा।

(ग) जब स्थोरा की लदाई या उतराई चल रही हो या जब हैच बन्द हों, या कोई डेक द्वार खुले हुए हो तब धूम्रपान न करने और किसी भी प्रकार के प्रकाश या अग्नि का प्रयोग करने के सम्बंध में विशेष पूर्वावधानियां बरती जाएंगी, किसी कम्पार्टमेंट में, जिसमें कि पेट्रोलियम है, किसी प्रकाश का प्रयोग करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वावधानियां बरती जाएंगी कि वह स्थान वाष्प मुक्त है और ऐसे सभी खाली आधानों जिनमें कि वर्ग क पेट्रोलियम है, सुरक्षित रूप से बन्द रखे गए हैं।

60. डैक पर परिवहन - पेट्रोलियम के वहन के लिए विशेष रूप से निर्मित न किए गए भाप या मोटर जलयानों में डैक पर पेट्रोलियम का वहन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जा सकता है :-

(क) स्थोरा पोतों में वर्ग क पेट्रोलियम, खुले डैक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक स्थान में नहीं होना चाहिए और उसका संचय इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पोत के नौवहन में कोई बाधा न पड़े तथा पोत समुद्र गमन के लिए अयोग्य न हो जाए;

(ख) यात्री पोतों में वर्ग क पेट्रोलियम का सीमित मात्रा में वहन किया जा सकता है परन्तु यह तब जब कि संचयन तथा पैकेजों को यात्रियों के विचरणस्थान या डैकस्थान से दूर रखने के संबंध में समुचित पूर्वावधानियां बरती गई हैं;

(ग) पेट्रोलियम की कैनवास का वितान लगातार अथवा अन्य प्रकार से सूर्य की सीधी किरणों से रक्षा की जाएगी; और

(घ) डैक स्थोरा के निकट धूम्रपान या दियासलाई जलाने से उत्पन्न होने वाले खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सहज दृश्य नोटिस लगाए जाएंगे।

61. देशी यान द्वारा परिवहन की शर्तें - वर्ग क पेट्रोलियम का परिवहन तब तक देशी यान में नहीं किया जाएगा जब तक निम्नलिखित शर्तें का समाधान न कर दिया गया हो अर्थात् :-

(क) पेट्रोलियम का वहन -

(i) 200 लीटर की क्षमता वाले स्टील के बैरलों में किया जाएगा; ऐसे बैरलों के पेचीले डॉट ठीक प्रकार से लगे हुए और सील बन्द होने चाहिए; या

(ii) 200 लीटर की क्षमता के सीलबन्द इस्पात ड्रमों में किया जाएगा, जिसके अधिक से अधिक तीन टीयरों का वहन एक जलयान पर किया जा सकता है; या

(iii) 10 लीटर की क्षमता वाले सीलबन्द टिनों में किया जाएगा, जिसके अधिक से अधिक छः टीयरों का वहन एक जलयान पर किया जा सकता है;

(ख) सभी बैरलों या टिनों की सावधानीपूर्वक परीक्षा की जाएगी और कोई भी रिसाव वाला बैरल या टिन यान के फलक पर नहीं ले जाया जाएगा;

(ग) डैक रहित जलयानों की दशा में डैक पश्च के 1-2 मीटर के भीतर, जहां नौ बाहकों के लिए स्थान है, तथा डैक युक्त जलयान की दशा में डैक पर कोई भी बैरल, ड्रम या टिन नहीं रखे जाएंगे; और

(घ) यान के फलक पर यात्रियों का वहन नहीं किया जाएगा।

भाग 4

यानों द्वारा भूमार्ग से परिवहन

62. लागू होना-इस भाग के उपबन्ध निम्नलिखित के परिवहन के सिवाय पेट्रोलियम यानों द्वारा भूमार्ग से परिवहन पर लागू होंगे-

(क) वर्ग क पेट्रोलियम जो मात्रा में 100 लिटर से अधिक न हो और किसी प्रपुंज से भिन्न अन्य वर्ग पेट्रोलियम, नियम 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए;

(ख) संघ के रक्षा बलों द्वारा परिवहन किया जाने वाला किसी वर्ग का पेट्रोलियम।

63. टैंक यान- (1) भूमार्ग से प्रपुंज पेट्रोलियम के परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक टैंक यान तृतीय अनुसूची में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुसार बनाए जाएंगे और रखे जाएंगे तथा उनका परीक्षण किया जाएगा तथा वे उस प्रकार के होंगे जो मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित किया जाए;

परन्तु मुख्य नियंत्रक आपवादिक परिस्थितियों में जो लेखबद्ध की जाएंगी, उस अनुसूची की किन्हीं अपेक्षाओं को अधित्यक्त कर सकेगा। इसमें अन्य बात के साथ, बेहतर क्वालिटी के यानों के परीक्षण के लिए अनुमोदन भी है जिससे भारतीय दशाओं के अधीन सड़क द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन की सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान मिलेगा।

(2) टैंक, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित विनिर्माता द्वारा बनाया जाएगा और यान के चैसिस पर आरोहण किया जाएगा। ऐसा विनिर्माता मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा जिसमें वह अपनी सुविधाओं और उसके पास उपलब्ध सक्षम व्यक्तियों के ब्यौरे देगा और पाँच सौ रुपये की संवीक्षा फीस जमा कराएगा। प्रत्येक प्रकार के टैंक यान के लिए टैंक गढ़ाई और आरोहण के आरेखों सहित एक सौ रुपये की संवीक्षा फीस अनुमोदन के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पास जमा की जाएगी। ऐसा अनुमोदन पाँच सौ रुपये भी फीस का संदाय किए जाने पर अनुमोदन दिए जाने की तारीख से तीन वर्ष तक विधिमान्य होगा और तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरणीय होगा।

(3) यदि मुख्य नियंत्रक का, उपनियम (2) के अन्तर्गत आरेखण प्राप्त होने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, टैंक यान या विशेष सुरक्षा फिटिंग, तृतीय अनुसूची में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह आरेखण का अनुमोदन करेगा और उसकी एक प्रति को सम्यक् रूप से पृष्ठांकित करके आवेदक को वापस कर देगा।

(4) इस नियम की कोई बात रेल द्वारा पेट्रोलियम के वहन के लिए टैंक वैगनों को लागू नहीं होगी।

64. टैंक क्षमता- (1) इस भाग में "टैंक यान के भागरूप टैंक" में, एक चैसिस पर कितने भी टैंक क्यों न हों, सम्मिलित समझे जाएंगे तथा टैंक की क्षमता के सम्बंध में इसमें विनिर्दिष्ट किसी भी परिसीमा का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो टैंक में विनिर्दिष्ट मात्राएं विभिन्न डिग्रियों के तापमान के अन्तर्गत अनुज्ञात हैं।

(2) टैंक की शुद्ध वहन क्षमता, उसकी समग्र वहन क्षमता का वर्ग क और वर्ग ख पेट्रोलियम की दशा में 97 प्रतिशत और वर्ग ग पेट्रोलियम की दशा में 98 प्रतिशत होगी।

(3) टैंक ट्रक या टैंक अर्द्ध-ट्रेलर की शुद्ध वहनीय क्षमता 25 किलोलीटर पेट्रोलियम से अधिक नहीं होगी। परन्तु ऐसे

वायुयान पुनः फ्यूलर के मामले में छोड़कर जिसमें वह 50 किलोलीटर से अधिक नहीं होगी और किसी टैंक ट्रेलर की कुल वहनीय क्षमता 5 किलोलीटर पेट्रोलियम से अधिक नहीं होगी।

(4) टैंक यान में वहन किए जाने वाले पेट्रोलियम की अधिकतम सुरक्षित वहनीय क्षमता (भार में) समुचित परिवहन विनियमों के अधीन उस वर्ग के यान के लिए अनुज्ञात अधिकतम सकल भार और यान अनलदे भार के बीच के अंतर से अधिक नहीं होगी।

65. अन्य प्रकार के प्रयोग पर निर्बन्धन- प्रपुंज पेट्रोलियम के वहन के लिए आशयित टैंक यान का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए तक के सिवाय नहीं किया जाएगा जब मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में ऐसा प्राधिकृत किया जाए।

66. ट्रेलर- (1) ऐसा टैंक ट्रेलर जो केवल पेट्रोलियम के परिवहन के लिए प्रयोग में न आता हो, पेट्रोलियम के परिवहन के लिए किसी यान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

(2) पेट्रोलियम के परिवहन में प्रयुक्त टैंक ट्रेलर केवल पेट्रोलियम के परिवहन के लिए प्रयुक्त यान से भिन्न किसी यान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा और एक से अधिक ट्रेलर या ट्रेलर के साथ टैंक ट्रेलर नहीं जोड़ा जाएगा।

(3) टैंक अर्ध ट्रेलर या ट्रेलर के साथ टैंक ट्रेलर नहीं जोड़ा जाएगा।

(4) टैंक ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर में सभी पहियों में ऐसे भरोसे योग्य ब्रेक होने चाहिए जिनका प्रयोग ट्रेलर को टो करने वाले यान के चालक की सीट पर से प्रभावशाली ढंग से किया जा सके।

(5) टैंक ट्रेलर या टैंक अर्ध ट्रेलर की चौड़ाई टो करने वाले यान की चौड़ाई से कम होनी चाहिए।

(6) टैंक ट्रेलर टो करने वाले यान के साथ इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि ट्रेलर पूरी तरह उसी मार्ग का अनुसरण करे जिस पर कि टो करने वाला यान चल रहा है और टैंक ट्रेलर को एक ओर से दूसरी ओर को खतरनाक रूप से डगमगाने या मुड़ने से रोका जा सके।

(7) यदि वर्ग क पेट्रोलियम का वहन करने वाला टैंक ट्रेलर को वर्ग ख या वर्ग ग पेट्रोलियम का वहन करने वाले यान के साथ जोड़ा जाता है तो टो करने वाले यान को, वर्ग क पेट्रोलियम के परिवहन के लिए यान के सम्बंध में नियमों के सभी उपबन्धों का, अनुपालन करना होगा।

(8) टैंक ट्रेलर से भिन्न किसी टैंक ट्रक के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

(9) जहां टैंक ट्रक के साथ टैंक ट्रेलर जोड़ा जाता है, वहां टैंक ट्रेलर और टैंक ट्रक में परिवहन की जाने वाली पेट्रोलियम की कुल मात्रा पन्द्रह किलोलिटर से अधिक नहीं होगी।

(10) ऐसे टैंक ट्रक के साथ जिसकी पेट्रोलियम की शुद्ध वहन क्षमता 12 किलोलिटर से अधिक है, कोई टैंक ट्रेलर नहीं जोड़ा जाएगा।

(11) टैंक ट्रक के साथ जुड़ा हुआ कोई टैंक ट्रेलर घनी बस्ती वाले क्षेत्र के भीतर जिला प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं चलाया जाएगा।

67. प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम के परिवहन के लिए यान- (1) ऐसा प्रत्येक यान जिस पर प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम का परिवहन किया जाए, मजबूत बना होगा और उसके किनारे तथा पृष्ठ भाग यथेष्ट ऊंचाई वाले होंगे, और वह अच्छी दशा में रखा जाएगा।

(2) पशु-चालित यानों, धकेलों और पैदल गाड़ियों की दशा में यान के किनारों और पृष्ठ भाग की बाबत उपनियम (1) में की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी यदि भार को यान के साथ सुरक्षित रूप से बांधा जाता है।

(3) सभी कन्टेनरों को इस प्रकार से पैक किया जाएगा ताकि वे यान के किनारों या पृष्ठभाग से बाहर न निकले रहें।

(4) प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम वर्ग क किसी यान से संलग्न ट्रेलर में नहीं ले जाया जाएगा।

68. संयुक्त यान- पेट्रोलियम के वहन के लिए प्रयुक्त किसी टैंक यान पर सड़क मार्ग से क्रेनों या अन्य कंटेनरों में पेट्रोलियम का परिवहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यान इस प्रकार का न बनाया गया हो की प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम के लिए लागू होने वाले नियमों और साथ ही प्रपुंज पेट्रोलियम के परिवहन के लागू होने वाले नियमों का अनुपालन हो।

69. अन्य वस्तुओं के वहन का प्रतिषेध- पेट्रोलियम का वहन करते समय यान में किसी अन्य वस्तु का वहन तब के सिवाय नहीं किया जाएगा जब मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्टतः प्राधिकृत किया जाए।

70. मशीन चालित यानों के ईंधन-(1) वर्ग ख प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम या वर्ग ग पेट्रोलियम से भिन्न पेट्रोलियम का सड़क मार्ग से परिवहन करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक मशीन चालित यान में -

- (i) ईजन, डीजल ईजन या अन्तर्दहन (इन्टर्नल कम्ब्यूशन) प्रकार का होना चाहिए;
- (ii) निष्कासक, यथास्थिति, टैंक या भार के पूर्णतया सामने होगा और ईंधन पद्धति तथा दहन सामग्री से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए कि ईंधन या उत्पाद के रिसाव या गिरने का या ग्रीस या तेल जमा होने का कोई प्रभाव न पड़े;
- (iii) निष्कासक पाइप के साथ अनुमोदित स्फुलिंगरोधक लगा होगा;
- (iv) निशब्दक या साइलेंसर निष्कासक पद्धति से अलग नहीं होगा;
- (v) ईंधन वायु अन्तर्ग्रहण (एयर इनटेक) के साथ प्रभावशील ज्वालाप्रग्राहक लगा होना चाहिए या संस्थापित के रूप में प्रभावशील ढंग से कार्य करने वाला वायुशोधक, जो कि भली भांति संस्थापित किया गया हो और ज्वाला को ईजन की ओर से बैंक फायरिंग होने की स्थिति में रोक रखने में समर्थ हो, लगा होना चाहिए।
- (vi) यान का चालक कक्ष पूर्णतया धातु निर्मित होना चाहिए और उसकी पिछली खिड़की, यदि उपबन्धित हो, पूरी तरह तारदार शीशे से ढकी होनी चाहिए; इसके स्थान पर, यह भी किया जा सकता है कि चालक कक्ष और ईजन, यथास्थिति, टैंक या भार से एक अग्निरोधक शील्ड द्वारा, जो कि टैंक या भार को पूरी तरह ढके हो, प्रत्येक किए हुए होने चाहिए।

(2) ऐसे प्रत्येक यान का ईंधन टैंक, यदि वह यान के चालक कक्ष के पिछले भाग में लगा हो तो-

(क) वह ऐसी डिजाइन का होगा, इस प्रकार से निर्मित होगा तथा इस प्रकार से लगाया गया होगा कि कोई अप्रायिक परिसंकट पैदा न हो जाए, और वह इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए कि उन्हें माउंटिंग के स्थान से हटाए बिना ही ईंधन निकाला जा सके; और

(ख) मजबूत लोहे के रोधक लगाकर धक्कों से सुरक्षित होना चाहिए तथा भराई द्वार पर ताला लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(3) वर्ग क पेट्रोलियम से चलने वाले प्रत्येक ईजन में एक द्रुत कर्मी अतक वाल्व, ईंधन जाने की पाइप पर सुगमता से पहुंचा जा सकने वाले स्थान पर लगा होना चाहिए और वह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, उपनियम (1) के खंड (i) और (ii) को छोड़कर उपनियम (1) से (3) के उपबन्ध केवल वाल्व फसल छिड़काव के प्रयोजनार्थ अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले हेलीकाप्टरों और वायुयानों के प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम वर्ग क के परिहन हो लागू नहीं होंगे।

71. बिजली के संस्थापन- वर्ग ग पेट्रोलियम से भिन्न पेट्रोलियम का सड़क मार्ग से परिवहन करने में प्रयुक्त किसी यान में, जिसमें ट्रेलर भी आता है, यदि विद्युत प्रकाश या यंत्र या विद्युत से चलने वाला कोई अन्य उपस्कर लगा हो तो-

(i) विद्युत सर्किट का दबाव 24 वोल्ट से अधिक नहीं होगा;

(ii) विद्युत की तारें:-

(क) भली भांति इन्स्युलेट होनी चाहिए और अधिकतम भार का वहन करने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए;

(ख) उपयुक्त अतिधारा संरक्षण के लिए फ्यूजों या स्वचालित परिपथ विच्छेदकों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें इस प्रकार संस्थापित किया जाएगा जिससे के वे अपनी अवस्थिति या धातु कवच को अन्य तेल रोधी संरचना ढकने के कारण वास्तविक नुकसान और संभव उत्पाद अधिल्यावन से संरक्षित रह सके; और

(ग) सभी जोड़ बॉक्स सील बन्द होने चाहिए;

(iii) जहां जनरेटर बैटरी, स्विच, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर यान के चालक कक्ष में या इंजन कम्पार्टमेंट में रखे जाएंगे और बैटरी सहजगम्य स्थिति में हैवी ड्यूटी स्विच के साथ लगी होनी चाहिए ताकि बैटरी को अलग किया जा सके;

(iv) उसके जनरेटर मोटर और स्विच जो उसके इंजन कम्पार्टमेंट के भीतर लगे हुए न हों, अनुमोदित ज्वालासह प्रकार के होने चाहिए;

परन्तु जहां ऐसे जनरेटर या मोटरों या उनके स्विचों को किसी घिरे हुए क्षेत्र में संस्थापित किया जाए वहां अतितापन को और ज्वलनशील वाष्प के इक्टा होने की संभावना के निवारण के लिए वायु संचरण की यथेष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए।

परन्तु यह और कि इस नियम के उपबंध खंड (i) और खंड (ii) के उपखंड (क) को छोड़कर केवल वायुयान से फसल छिड़काव के प्रयोजनार्थ अनन्य रूप से प्रयुक्त हेलीकाप्टरों और वायुयानों के लिए प्रपुंज से भिन्न वर्ग क पेट्रोलियम के परिवहन को लागू नहीं होंगे।

72. अग्निशमन के साधनों का वहन किया जाना- सड़क द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन करने वाले प्रत्येक यान पर पेट्रोलियम अग्निशमन के लिए उपयुक्त एक सुवाह्य अग्निशामक (10 किलोग्राम शुष्क रासायनिक चूर्ण या समतुल्य) सहज पहुंच में और पृथक्करणीय स्थिति में तथा स्त्रावन टोंटियों से दूर रख के ले जाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यान के चालक केबिन में एक शुष्क रासायनिक चूर्ण प्रकार का 1 किलोग्राम क्षमता वाला अग्निशामक ले जाया जाएगा।

73. यानों की निरन्तर देखभाल-(1) सड़क मार्ग से पेट्रोलियम का परिवहन करने में लगे हुए प्रत्येक यान की कम से कम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस भाग के नियमों से परिचित हो, निरन्तर देखभाल की जाएगी:

परन्तु ऐसा यान, यदि उसके टैंक या कम्पार्टमेंट पेट्रोलियम से खाली हों किन्तु पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त नहीं तो, मुख्य नियंत्रक, द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित में पहले से ही अनुमोदित स्थान पर बिना किसी देख-भाल के छोड़ा जा सकता है।

(2) वर्ग ग पेट्रोलियम से भिन्न पांच किलोलिटर पेट्रोलियम से अधिक का सड़क मार्ग से वहन करने वाला प्रत्येक यान या ऐसा यान जो वर्ग ग पेट्रोलियम से भिन्न पेट्रोलियम का सड़क मार्ग से वहन करते समय किसी अन्य यान से जुड़ा हुआ हो, तब तक कि वह गतिशील रहे, उसकी देख-भाल चालक द्वारा तथा कम से कम एक और व्यक्ति द्वारा की जाएगी और वे दोनों इस भाग के नियमों से परिचित होने चाहिए।

74. यान को ठहराने के संबंध में प्रतिषेध- सड़क मार्ग से पेट्रोलियम का वहन करने वाला कोई यान सार्वजनिक सड़क पर या किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में या किसी आग वाले स्थान से 9 मीटर के भीतर नहीं ठहराया जाएगा।

75. वर्ग क और ख प्रपुंज पेट्रोलियम के परिवहन के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति-(1) कोई भी व्यक्ति वर्ग क या वर्ग ख के प्रपुंज पेट्रोलियम का सड़क मार्ग से परिवहन इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं।

(2) इस नियम की कोई बात रेल प्रशासन द्वारा उस पेट्रोलियम के परिवहन को, जो वाहक की हैसियत से उसके कब्जे

मे हैं, या एक ही हवाई अड्डे के भीतर के स्थानों के बीच पुनः ईंधन भरक में पेट्रोलियम के परिवहन को, जिसके लिए इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति है, लागू नहीं होगी।

76. टैंक यानों की लदाई और उतराई पर निर्बन्धन—(1) कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग के पेट्रोलियम के टैंक यान की लदाई या उतराई उस स्थान के सिवाय नहीं करेगा जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त परिसर के भीतर स्थित है और उस वर्ग के पेट्रोलियम की लदाई या उतराई के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित किया गया है:

परन्तु वर्ग ग पेट्रोलियम की लदाई या उतराई ऐसे यान पर की जा सकती है जहां ऐसे पेट्रोलियम का अधिनियम की धारा 7 और 10 के अधीन बिना अनुज्ञप्ति के भंडारकरण अनुज्ञात है:

परन्तु यह और कि—

(क) टैंक वैगन की, इस प्रयोजन के लिए निश्चित की गई रेलवे साइडिंगों में, लदाई या उतराई की जा सकती है; और

(ख) टैंक यान से उतराई किसी अन्य स्थान पर, आग से बचाव की सभी सम्यक पूर्वावधानियां बरतते हुए तथा यथेष्ट पर्यवेक्षण के अन्तर्गत, की जा सकती है यदि ऐसी उतराई दुर्घटना के कारण या किसी खराबी के कारण आवश्यक हो।

(2) लदाई या उतराई के दौरान प्रत्येक टैंक यान की देखभाल, तब तक जब तक कि उसके वाल्व बन्द न कर दिए गए हों और भरपाई तथा विसर्जन टॉटी बन्द न कर दी गई हों, इस भाग में के नियमों से परिचित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(3) किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी मोटर यान या अन्तर्दहन इंजन के ईंधन टैंक की किसी टैंक यान से सीधे भराई या पुनरावृत्ति की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु इस उपनियम की कोई बात वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में किसी वायुयान के ईंधन टैंक की भराई या पुनर्पूर्ति को निर्बन्धित नहीं करेगी।

77. चूने वाली या त्रुटिपूर्ण टैंक यानों या अनुज्ञप्त टैंक यानों की लदाई का प्रतिषेध - कोई व्यक्ति -

(i) टैंक यान में किसी वर्ग के पेट्रोलियम की लदाई नहीं करेगा यदि कोई टैंक, उसका कम्पार्टमेंट, वाल्व, पाइप या सुरक्षा फिटिंग चूने लगते हैं या त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं और जब तक कि ऐसे चूने वाला स्थान की मरम्मत नहीं कर दी जाती या त्रुटि दूर नहीं कर दी जाती, तथा किसी टैंक या कम्पार्टमेंट के चूने की दशा में, तब तक जब तक कि सभी टैंकों या कम्पार्टमेंटों की पुनः परीक्षा तृतीय अनुसूची के पैरा 5 में अधिकथित रीति से नहीं से नहीं कर ली जाती और वे परीक्षण में ठीक नहीं पाए जाते;

(ii) टैंक वैगन से भिन्न किसी टैंक यान में, जो कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त न हो, वर्ग क या वर्ग ख के पेट्रोलियम की लदाई नहीं करेगा।

78. स्थैतिक चार्ज से बचाव के लिए पूर्वावधानियां - (1) किसी टैंक यान लदाई या उतराई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी पेट्रोलियम पाइप लाइनें वैद्युततः अविच्छिन्न होंगी और भलीभांति भूसंपर्कित होंगी।

(2) लदाई स्थान के ठीक पास में लोचदार केबल युक्त भूमिज ग्रसिका धार की व्यवस्था होगी जिसमें मजबूत बंधन युक्तियों की व्यवस्था होगी चाहिए।

(3) टैंक यान की लदाई या उतराई के लिए मजबूत और वैद्युततः अविच्छिन्न होजों या धातु की पाइपों का ही प्रयोग किया जाएगा। जहां स्टैंड पाइपें या धातु की भरण शाखाओं की व्यवस्था हो वहां स्विचैल जौड़ वैद्युततः अविच्छिन्न होने चाहिए।

(4) टैंक यान लदाई के दौरान टैंक, भराई पाइप और टैंक यान के चैसिस उपनियम (2) में निर्दिष्ट भूमिज ग्रसिका धार के साथ धातु के लोचदार तार या टेप से भली भांति बंधे और जुड़े हुए होने चाहिए।

(5) जब तक टैंक यान की लदाई पूरी नहीं हो जाती और भराई तथा उसकी भराई और विमजी पाइपें सुरक्षित रूप से

बन्द नहीं कर दी जातीं, तब तक बांधने वाले और भूसम्पर्क संयोजनों को असम्बद्ध नहीं किया जाएगा।

(6) पेट्रोलियम की लदाई आरम्भ होने से पूर्व विमजी रॉड को, यदि उसका प्रयोग किया जाए, टैंक या कम्पार्टमेंट में डाला जाएगा, ऐसी रॉड को ऐसी लदाई के पूरा होने के दौरान या उसके बाद एक मिनट के भीतर द्रव स्तर के ऊपर पूरी तरह नहीं उठाया जाएगा।

(7) किसी टैंक यान की लदाई, भराई पाइप के डिलीवरी सिरे पर एक मीटर प्रति सेकंड से अधिक की दर पर तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि भराई पाइप को पूरी तरह से पेट्रोलियम में डुबा नहीं दिया जाता और तत्पश्चात् लदाई की गति धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है किन्तु किसी भी समय वह भराई पाइप के डिलीवरी सिरे पर छः मीटर प्रति सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु मुख्य नियंत्रक, कच्चे पेट्रोलियम की बाबत और ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों की बाबत जिनकी चालकता की दर अपेक्षाकृत उच्चतर हो, लदाई की द्रुततर गति विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(8) ऐसे किसी टैंक यान के टैंक या कम्पार्टमेंट में, जिसमें अन्तिम बार वर्ग क पेट्रोलियम का वहन किया गया हो, यदि उसके अन्तर्भाग में कोई ज्वलनशील असंचालक या श्लिय पदार्थ या जल है तो, किसी अन्य वर्ग का पेट्रोलियम नहीं भरा जाएगा।

79. बिजली से होने वाले परिसंकट और चालित ईजन से होने वाले परिसंकट के संबंध में पूर्वावधानियां - पेट्रोलियम के परिवहन के लिए किसी यंत्रचालित यान की लदाई या उससे उतराई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ईजन बन्द नहीं कर दिया जाता और बैटरी को विद्युत् सर्किट से अलग नहीं कर दिया जाता। ईजन तब तक पुनः नहीं चलाया जाएगा और बैटरी तब तक विद्युत् सर्किट के साथ नहीं जोड़ी जाएगी जब तक कि सभी टैंकों और वाल्वों को सुरक्षित रूप से बन्द नहीं कर दिया जाता :

परन्तु यह नियम टैंक यान में से वायुयान के ईंधन टैंक में वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, पेट्रोलियम की लदाई की दशा में अथवा किसी ऐसी दशा में, जिसे मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में, उन शर्तों पर जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पेट्रोलियम की निकासी प्राधिकृत की जाए, लागू नहीं होगा।

80. लदाई या उतराई के दौरान यान के चालन के संबंध में पूर्वावधानियां - यान में पेट्रोलियम की लदाई या उससे उतराई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पहिए प्रभावशाली ब्रेकों द्वारा या आड़ लगाकर रोक न दिए जाएं और जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले यानों की दशा में, जब तक कि जानवरों को खोल नहीं दिया जाता और हटा नहीं दिया जाता।

81. उत्पाद संदूषण के सम्बन्ध में पूर्वावधानियां - (1) कोई व्यक्ति किसी टैंक यान की लदाई या उससे उतराई तब तक नहीं करेगा जब तक उसके सही भराई होज़ का चयन न कर लिया हो और अन्यथा अपना समाधान कर लिया हो कि इस प्रकार की लदाई या उतराई से एक वर्ग के पेट्रोलियम का किसी दूसरे वर्ग के पेट्रोलियम से इस प्रकार से संदूषण न होगी जिसका परिणाम खतरनाक हो।

(2) ऐसे टैंक या कम्पार्टमेंट में जिसमें वर्ग क पेट्रोलियम का वहन किया गया है, किसी अन्य वर्ग का पेट्रोलियम तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कि ऐसे टैंक या कम्पार्टमेंट में से अवशिष्ट तेल को पूरी तरह से निकाल नहीं दिया जाता और उसकी विसर्जन टोंटी को तथा आपात नियंत्रण वाल्व को भली भांति बन्द नहीं कर दिया जाता।

82. भराई विसर्जन टोटियों तथा निमज्जी पाइपों का बन्द रखा जाना - सिवाय तब के जब कि टैंक यान की लदाई या उसके खाली किए जाने का कार्य चल रहा हो, भराई पाइपों, विसर्जन टोटियों और निमज्जी पाइपें सुरक्षित रूप से बन्द रखी जाएंगी। जहां भराई पाइपों में द्रवसील की व्यवस्था नहीं की गई है वहां, सिवाय तब के जब कि टैंक यान की लदाई का कार्य चल

रहा हो, ढक्कनों में ताले लगाए जाएंगे या उन्हें सीलबन्द किया जाएगा और चाबियां यान या ट्रेलर में नहीं ले जायी जाएंगी।

83. रात्रि के समय पेट्रोलियम की लदाई और उतराई पर निर्बन्धन - सिवाय वहां के जहां अध्याय 4 में विनिर्दिष्ट अनुमोदित विद्युत प्रकाश का अनन्य रूप से प्रयोग किया जाता है वहां पेट्रोलियम का वहन करने वाले टैंक यानों की लदाई या उनसे उतराई का कार्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच किया जाएगा।

84. आग और धूम्रपान का प्रतिषेध - (1) प्रपुंज पेट्रोलियम वर्ग क, वर्ग ख और वर्ग ग या पेट्रोलियम युक्त किसी यान पर आग या ऐसा कृत्रिम प्रकाश जो ज्वलनशील वाष्प को प्रज्वलनशील वाष्प को प्रज्वलित कर सकता है, अनुज्ञात नहीं होगा।

(2) ऐसे यान पर या उसकी देख-रेख करने वाला कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा।

(3) ऐसे यान पर ऐसे किसी पदार्थ या वस्तु का वहन नहीं किया जाएगा जिससे आग लगने या विस्फोट होने की संभावना हो।

85. टैंक की मरम्मत - (1) ऐसे टैंक की मरम्मत, जिसमें पेट्रोलियम का वहन किया गया है, तब तक झलाई करके, ब्रेजिंग करके, सोल्डरिंग करके या तप्त रिवेटिंग से नहीं की जाएगी, जब तक कि किसी सक्षम उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसकी जांच नहीं कर ली जाती और लिखित में यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता कि ऐसा टैंक ज्वलनशील वाष्प या तेल से मुक्त है।

(2) सक्षम तथा उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उपनियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र को मरम्मतकार कम से कम तीन मास तक रखेगा और निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर उसे जांच के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) उन टैंकों की, जिनमें पेट्रोलियम रखा गया हो, सभी प्रकार की मरम्मत अर्हित और अनुभवी व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(4) टैंक के सभी कम्पार्टमेंटों का प्रत्येक मरम्मत के पश्चात् परीक्षण तृतीय अनुसूची के पैरा 5 में उपवर्णित रीति से किया जाएगा।

86. मोटरगाड़ियों के लिए विशेष उपबन्ध - (1) ऐसी मोटरगाड़ी में, जिसमें यात्रियों का किराए पर प्रवहण किया जा रहा हो, निम्नलिखित से भिन्न पेट्रोलियम का वहन नहीं किया जाएगा अर्थात्:

(क) गाड़ियों में लगे हुए टैंक में रखा हुआ पेट्रोलियम, और

(ख) उस यान के प्रवहण के लिए गत्यात्मक शक्ति पैदा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए आशायित 100 लिटर से अनधिक मात्रा में पेट्रोलियम जो कि अधिनियम की धारा 8 के उपधारा (2) में उपबन्धित रीति से रखा गया है।

(2) छह यात्रियों से अधिक की किराए पर सवारी के लिए अनुज्ञात मोटरगाड़ी के ईंधन टैंक के भरे जाने के आपूरण के दौरान ऐसी गाड़ी का प्रभारी चालक या अन्य व्यक्ति उसमें किसी यात्री को नहीं रहने देगा।

(3) यात्रियों का किराए पर वहन करने वाली मोटरगाड़ी में वहन किए जा रहे सभी पेट्रोलियम कन्टेनर ऐसे होंगे जो चूते न हो और सुरक्षित रूप से बन्द किए गए हो तथा उन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए पात्रों में, जिन तक, ऐसी गाड़ियों के यात्रियों की पहुंच न हो, और छत से भिन्न स्थान पर रखा जाएगा।

भाग-5

पाइपलाइनों द्वारा परिवहन

87. **लागू होना** - इस भाग के नियम किसी ऐसे क्षेत्र में की जिस क्षेत्र में प्राकृतिक पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के प्राप्त करने लिए सक्रियाएं चल रही हों, या परिष्करण शाला और अधिष्ठापनों की सीमाओं के भीतर की पाइपलाइनों से भिन्न पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम के परिवहन को ही लागू होंगे।

88. **मार्गाधिकार का अर्जित किया जाना** - कोई पाइपलाइन या पाइपलाइन से संबंधित कोई प्रतिष्ठापन तब तक सन्निर्मित नहीं किया जाएगा। जब तक उसके निर्माण के लिए तथा निरीक्षण, रख-रखाव, मरम्मत, प्रतिस्थापन और गश्त के लिए निर्बाध रूप से उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक भूमि, सुखाचारों और अधिकारों को अर्जित नहीं कर लिया जाता।

89. **पाइपलाइन के डिजाइन और मार्ग का अनुमोदन** - पाइपलाइन मार्ग उसके डिजाइन, सन्निर्माण और कार्यकरण मुख्य नियंत्रक का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई जाएगी।

(2) यदि पाइपलाइन बिछाने के लिए मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन मांगा जाए तो पाइपलाइन बिछाने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को -

(क) एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट, सभी आवश्यक आरेखों, मान्यता प्राप्त कोड वर्ग उल्लेख करने वाली संगणना के साथ या बाद में डिजाइन, सन्निर्माण और पाइपलाइनों तथा उसके संघटकों के परीक्षण के पूरे ब्यौरे देते हुए; वह मार्ग जिस पर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और उसे बिछाने की रीति; पाइपलाइन के परिवहन किए जाने के लिए प्रस्थापित पेट्रोलियम का वर्ग या अनेक वर्ग तथा पाइपलाइन के अनुरक्षण और पेट्रोलिंग के लिए प्रस्थापित व्यवस्थाएं भेजी जाएगी;

(ख) 500 रु. की संवीक्षा फीस प्रस्तुत करेगा।

90. **पाइपलाइनों और उसके उपांगों की डिजाइन** - (1) पाइपलाइन उपयुक्त स्टील की बनी होगी जो ऐसी हो कि जिस दशाओं में उसका प्रयोग किया जाना है, उनमें सुरक्षित रह सके।

(2) पाइपलाइनों और उनके संघटक, मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यताप्राप्त संहिता के या क्रास कंट्री हाइड्रो कार्बन पाइपलाइनों के लिए डिजाइन और सन्निर्माण अपेक्षाओं से संबंधित एक्सपेंड मानक 141 के अनुसरण में अभिकल्पित और सन्निर्मित होंगे और ये उतना दबाव सहने में समर्थ होंगे जो उसके कार्यकारी अधिकतम दबाव तथा प्रत्याशित क्षणिक दबाव से कम नहीं होगा।

(3) पाइपलाइनों के तापीय प्रसार या संकुचन के लिए तथा पाइपलाइन या उसके स्थिरणों पथ निर्धारित्रों और संबंधनों पर अतिशय प्रतिबलों के निवारण के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(4) पाइपलाइन की रक्षा उस पर स्टील पाइप का केस लगाकर या उसकी दीवारों की मोटाई में वृद्धि करके या मुख्य नियंत्रक तथा अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से की जाएगी ताकि पाइपलाइन की अप्रामिक बाह्य परिस्थितियों से क्षति को रोका जा सके जो रेल क्रासिंग सड़क, नदी या जल प्रवाह क्रासिंगों या पुलों, लम्बे स्वआधारित स्पांनों, अस्थिर भूमि, कम्पनों, विशेष उपांगों के भार या तापीय शक्तियों के कारण मार्ग में आए।

(5) पाइपलाइन में किसी भी समय जो दबाव है उसे उतने दबाव तक, जो अभिकल्पित आन्तरिक दबाव के दस प्रतिशत से अधिक हो, बढ़ने से रोकने के लिए पाइपलाइन में अनुमोदित डिजाइन के उपपथ मोचन वाल्व, दाब सीमक केन्द्रों स्वचालित विराम उपस्कर लगाए जाएंगे।

(6) विलगाव वाल्व निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर संस्थित किए जाएंगे :-

(क) पंप स्टेशन के भागान्त और स्त्रावण अंत पर ऐसी रीति से जो आपात काल में पंप स्टेशन उपस्कर का विलगन अनुज्ञात करेगा।

(ख) संस्थापन में प्रवेश करने वाली या वहां से जाने वाली प्रत्येक लाईन पर ऐसी रीति से जो अन्य सुविधाओं से संस्थापन पर विलगन अनुज्ञात करेगा।

(ग) प्रत्येक मुख्य लाइन पर पाइपलाइन प्रणाली के साथ-साथ ऐसे स्थानों पर जिससे दुर्घटनावश उत्पाद स्राव से न्यूनतम क्षति हो और जो खुले प्रदेश के भूभाग या नगरों अथवा अन्य बसे हुए क्षेत्रों के निकट स्थानों के लिए उचित हो।

(घ) किसी ट्रंक लाइन से प्रत्येक पार्श्विक उत्प्रस्थान पर ऐसी रीति से लगाए जाएंगे जिससे ट्रंक लाइन में प्रवाह के अंतरायन के बिना पार्श्विक को बंद किया जा सके।

(ङ) उच्चतम ज्वार चिह्न से उच्चतम ज्वार चिह्न तक तीस मीटर से अधिक चौड़े भाग के प्रत्येक किनारे पर।

(च) मानव खपत के लिए जल धारण करने वाले जलाशय के प्रत्येक छोर पर।

91. पाइपलाइनों का बिछाया जाना - (1) पाइपलाइन सर्वाधिक अनुकूल मार्ग पर, जहां तक सम्भव हो ऐसी ज्ञात बाधाओं और क्षेत्रों से बचते हुए जिनमें असामान्य बाह्य परिस्थितियां हों, बिछाई जाएंगी।

(2) पाइपलाइनें भूमि तल के नीचे बिछाई जाएंगी सिवाय वहां के जहां उनका भूमि तल के ऊपर बिछाया जाना, स्थलाकृतिक, मितव्ययता या अन्य विशेष कारणों से वांछित है।

(3) जहां किसी भूमिगत पाइपलाइन को किसी विद्यमान भूमिगत जल या गैस लाइन, केबल, नाली या अन्य सेवाओं को पार करना हो वहां पाइपलाइन ऐसी सेवाओं से कम से कम 30 सेंटीमीटर नीचे ऐसी रीति से बिछाई जाएगी ताकि उसके कारण ऐसी सुविधाओं तक, उनके निरीक्षण, मरम्मत या रख-रखाव के लिए पहुंचने में कठिनाई न हो।

(4) पाइपलाइनों में घुमावों की संख्या क्रासिंगों और अन्य बाधाओं पर खाइयों के उचित तल संतुलन द्वारा या आधारों द्वारा न्यूनतम रखी जाएगी।

(5) पाइपलाइन के भूमिगत सेक्शनों का मार्ग संकेत चिह्नों द्वारा दिखाया जाएगा और ऐसे कम से कम दो संकेत चिह्न मार्ग पर हर किसी स्थान से दिखाई पड़ने चाहिए।

92. संक्षारण से बचाव - पाइपलाइन का संक्षारण से बचाव उपयुक्त कोटिंग स्ट्रेपिंग, और जहां आवश्यक हो, कैथोडी संरक्षण द्वारा किया जाएगा।

93. पाइपलाइन का उत्प्लावन परीक्षण - (1) प्रथम बार पेट्रोलियम का परिवहन करने से पूर्व प्रत्येक पाइपलाइन या उसके पूरे किए गए सेक्शनों को जल से भरा जाएगा और यथा-स्थित, लाइन या सेक्शन में दबाव को, अभिकल्पित आन्तरिक दबाव का 1.1 गुणा बढ़ाया जाएगा और कम से कम 24 घंटे की अवधि तक या मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यताप्राप्त सुसंगत पाइप लाइन डिजाइन कोड में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यह दबाव बनाए रखा जाएगा। परीक्षण की अवधि में पाइप लाइन या उसके सेक्शन में दबाव में यदि कोई विशेष कमी होती दिखाई पड़े तो उसे पेट्रोलियम के परिवहन के लिए तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि आवश्यक मरम्मत न कर दी जाए और सन्तोषप्रद रूप में पुनर्परीक्षण न कर लिया जाए।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार प्रत्येक पूरी की गई पाइपलाइन/सेक्शन पर जो क्षेत्र से होकर जाती हो जहां किसी च्यवण के कारण जल प्रदूषण का खतरा है, किया जाएगा।

परन्तु मुख्य नियंत्रक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, पाइपलाइनों के सेक्शनों के पुनः परीक्षण को अनुज्ञात कर सकेगा जो स्लीवस द्वारा अथवा

(i) लम्बे अन्तरालों तक धारण करने या रिसाव को रोकने के लिए

(ii) परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उनमें जल की जगह पेट्रोलियम भरकर, अन्यथा संरक्षित किए जाते हैं।

(3) उपनियम (2) क्रास कंट्री पाइपलाइनों को लागू नहीं होगा जिसके लिए नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

94. पाइपलाइनों को विरामावस्था में रखना - सिवाय तब के जब पाइपलाइन को रख-रखाव के कार्यों के लिए विरामावस्था में रखा गया हो जब भी पाइपलाइन क्रियाशील न हो उसे दबाव द्वारा विरामावस्था में रखा जाएगा और विरामावस्था की अवधि के दौरान दबाव को सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाएगा। दबव में कोई विशेष गिरावट होने से पाइपलाइन पेट्रोलियम

के परिवहन के लिए तब तक अनुपयुक्त समझी जाएगी जब तक कि उसकी मरम्मत न की जाए और वह नियम 91 में विनिर्दिष्ट परीक्षण में ठीक न पाई जाए तथा विरामवस्था दबाव में कोई महात्वपूर्ण गिरावट दर्ज नहीं की जाती है और वही नियम 93 में विनिर्दिष्ट परीक्षण में सही पाई जाती है।

95. पाइपलाइन की पतरील - (1) समस्त पाइपलाइन की पाइप लाइन की स्वामी कंपनी द्वारा दक्षता के साथ पतरील की जाएगी।

(2) पाइपलाइन के साथ-साथ थोड़े अन्तरालों पर तार या टेलीफोन या रेडियो संचार सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी:

परन्तु एक दूसरे के निकट बिछाई गई समान्तर पाइपलाइनों की एक श्रृंखला के लिए एक संचार चैनल यथेष्ट होगा :

परन्तु यह और कि इस उपनियम की कोई बात उस पाइपलाइन पर लागू नहीं होगी इसकी लम्बाई दो किलोमीटर से अधिक नहीं है।

96. गेजों की जांच - टैंक गेजों या अन्तर्वर्ती या बूस्टर पम्प स्टेशनों के गेजों को जांच वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी।

97. पाइपलाइन में वृद्धि और परिवर्तन - (1) पाइपलाइन में कोई वृद्धि या परिवर्तन मुख्य नियंत्रक के लिखित में पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किए जाएंगे।

(2) किसी पाइपलाइन में कोई वृद्धि या परिवर्तन करने की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को एक आवेदन -

(क) प्रस्थापित वृद्धियों और परिवर्तनों का, ऐसा करने के प्रयोजनों सहित, एक पूर्ण विवरणात्मक टिप्पणी और मापमान सहित आरेखण की तीन प्रतियां; और

(ख) पांच सौ रुपए की संवीक्षा फीस के साथ; भेजेगा

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत आरेखण और फीस प्राप्त होने पर और ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी अपेक्षित हो, प्राप्त कर लेने पर मुख्य नियंत्रक, यदि उसका समाधान हो जाता है तो, वृद्धियों या परिवर्तनों का ऐसी शर्तों पर अनुमोदन करेगा जैसी कि वह ठीक समझे।

98. पाइपलाइन की मरम्मत और रख-रखाव - किसी पाइपलाइन का ऐसा रख-रखाव या ऐसी मरम्मत जिसमें उसकी कटाई या पुनः झलाई करनी पड़े, निम्नलिखित शर्तों पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं अर्थात् :

(i) कार्य को आरम्भ करने से पूर्व एक अनुभवी इंजीनियर उस सैक्शन का निरीक्षण करेगा जिसका रख-रखाव या जिसकी मरम्मत अपेक्षित है और एक लिखित अनुज्ञापत्र जारी करेगा जिसमें कार्य को करने के लिए उन पूर्वावधानियों का और प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा जिनका अनुपालन करना होगा। इस प्रकार जारी किया गया अनुज्ञापत्र पाइपलाइन के स्वामी द्वारा छः मास की अवधि तक परीक्षित रखा जाएगा;

(ii) ऐसे सभी कार्य, जिनमें कटाई या झलाई करनी पड़े, खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञापत्र के अनुसार अनुभवी व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे;

(iii) मरम्मत या रख-रखाव आरम्भ करने से पूर्व पाइपलाइन का वह सैक्शन अलग कर दिया जाएगा और खाली कर लिया जाएगा;

(iv) पाइपलाइन या उसके किसी कनेक्शन को काटने के लिए तब तक केवल यांत्रिक कटाई यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा जब तक कि पाइपलाइन के सैक्शन और उसके कनेक्शन का अक्रिय गैस से सारण न कर दिया गया हो;

(v) पाइपलाइन में तब तक कोई तप्त कार्य नहीं किया जाएगा तब तक कि उसका वह सैक्शन जिसमें मरम्मत अपेक्षित है, अलग नहीं कर लिया जाता, खाली नहीं कर लिया जाता और उसका अक्रिय गैस या भाव से सारण नहीं कर

दिया जाता या उसे जल से भरकर नहीं रखा जाता या जब तक कि ऐसे सैक्शन को, किसी अनुभवी इंजीनियर द्वारा लिखित में अनुमोदित रीति से, तैयार नहीं कर लिया जाता।

- (vi) पाइपलाइन का वह सैक्शन जिसमें मरम्मत या रख-रखाव कार्य किया गया है तब तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि उन सैक्शनों का पूर्व उत्पलावन परीक्षित सैक्शनों से प्रतिस्थापन न कर दिया गया हो और मरम्मत किए गए झलाईकृत जोड़ रेडियोग्राफी परीक्षण उत्तीर्ण न कर लें।
- (vii) किसी पाइपलाइन का कोई सैक्शन और उसमें लगा हुआ कोई वाल्व तब तक अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रकार अलग किए जाने वाले भागों के बीच एक बंध नहीं लगा दिया जाता और वह बंध तब तक नहीं तोड़ा जब तक किए गए भागों को पुनः जोड़ नहीं दिया जाता।

99. लोक हित में पाइपलाइनों का पुनः बिछाया जाना या मरम्मत - जहां मुख्य नियंत्रक की यह राय है कि ऐसा करना लोक सुरक्षा के हित में है वहां वह पाइपलाइन के स्वामी को लिखित सूचना देकर, ऐसी पाइपलाइन को, ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार जो विनिर्दिष्ट की जाएं, पुनः बिछाने की उनका पुनः नवीकरण करने की या मरम्मत करने की ऐसी स्वामी से अपेक्षा कर सकता है।

100. निरीक्षण और परीक्षण करने की शक्ति - मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक किसी भी समय किसी भी पाइपलाइन का निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है, और पाइपलाइन का स्वामी या उसे चलाने वालों या उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसकी भूमि पर ऐसी पाइपलाइन अवस्थित है या उसका प्रतिनिधि ऐसे निरीक्षण और परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा तथा मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा उस पाइपलाइन की बाबत की गई समस्त पूछताछ का उत्तर देगा।

101. आग या बड़े रिसाव की रिपोर्ट - पाइपलाइन और उससे सम्बन्धित सुविधाओं में लगने वाली किसी आग या होने वाले बड़े रिसाव की रिपोर्ट तुरन्त पाइपलाइन के तत्समय प्रभारी व्यक्ति द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी को तथा तार द्वारा मुख्य नियंत्रक को उसके तार पते, अर्थात् "विस्फोटक, नागपुर" पर की जाएगी।

अध्याय 4

वैद्युत संस्थापन

102. वैद्युत संस्थापन और साधित्र पर निर्बन्धन - इस अध्याय में यथा उपबन्धित उस के सिवाय किस परिष्करण शाला संस्थापन भण्डार शेड, सर्विस स्टेशन या किसी ऐसे अन्य स्थान में जहां पेट्रोलियम का परिष्करण सम्मिश्रण, भण्डारकरण, लदाई या उतराई की जाती है, कोई वैद्युत तार नहीं लगाया जाएगा और किसी विद्युत साधित्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

103. परिसंकटमय क्षेत्र - इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, उस क्षेत्र को परिसंकटमय क्षेत्र समझा जाएगा, जहां -

(i) 65 डिग्री से निम्न स्फुरांक वाले पेट्रोलियम या किसी सान्द्रण में किस ज्वलनशील गैस या वाष्प के विद्यमान होने की संभावना है जो कि प्रज्वलित हो सकता है;

(ii) किसी ऐसे पेट्रोलियम या ज्वलनशील द्रव को जिसका स्फुरांक बिंदु 65 डिग्री सेंग्रे. से अधिक है, इसके स्फुरांक बिंदु से अधिक पर परिष्कृत सम्मिश्रित, हथालने या भंडार करने की संभावना है।

104. परिसंकट क्षेत्र का वर्गीकरण - (1) परिसंकटमय क्षेत्र को -

(i) जोन '0' क्षेत्र समझा जाएगा यदि यह सम्भावना है कि उस क्षेत्र ज्वलनशील गैसों या वाष्प निरन्तर विद्यमान रहेंगी; या

(ii) जोन '1' क्षेत्र समझा जाएगा यदि इस बात की सम्भावना है कि सामान्य प्रचालन की दशा में उस क्षेत्र में ज्वलनशील गैस या वाष्प विद्यमान रहेगी; या

- (iii) जोन '2' क्षेत्र समझा जाएगा यदि इस बात की सम्भावना है कि केवल असामान्य प्रचालन दशाओं में या उपस्कर के कार्य न करने या उस के संविदारण की दशा में उस क्षेत्र ज्वलनशील गैस या वाष्प विद्यमान रहेंगी।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई परिसंकटमय क्षेत्र जोन "0" क्षेत्र है या जोन "1" क्षेत्र या जोन "2" क्षेत्र तो उस पर मुख्य नियंत्रक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

105. परिसंकट क्षेत्र का विस्तार

परिसंकटमय क्षेत्र का विस्तार चतुर्थ अनुसूची में अधिकथित के अनुसार होगा :

परन्तु मुख्य नियंत्रक विशेष परिस्थितियों में, परिसंकटमय क्षेत्र के विस्तार में वृद्धि या कमी कर सकता है यदि उस की राय में परिस्थितियों के अनुसार ऐसी वृद्धि या कमी अपेक्षित हो और प्रभावित व्यक्तियों को उसके विनिश्चय की सूचना दी जाएगी।

106. स्थिर वैद्युत साधित्र

- (1) जोन '0' क्षेत्र में कोई वैद्युत साधित्र अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु यह उपनियम जोन '0' क्षेत्र में मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित प्रकार के सुरक्षित साधित्र के प्रयोग का और आन्तरिक रूप से सुरक्षित सर्किट के संयोजन में, वहां जहां ऐसे साधित्र को पूर्णतया नहीं किया जा सकता, उन के प्रयोग का प्रतिषेध नहीं करता।

- (2) जोन '1' क्षेत्र में संस्थापित या प्रयोग में लाए गए सभी वैद्युत साधित्र -

- (i) या तो मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित प्रकार का ज्वलासह या आन्तरिक रूप से सुरक्षित साधित्र होगा; या
- (ii) औद्योगिक प्रकार का साधित्र होगा जो ऐसे अहाते या कमरे में रखा गया हो जिसे दाब द्वारा या वायुमण्डल के प्लेनम से, रेचन कर के किसी ज्वलनशील गैस या वाष्प की महत्वपूर्ण सांद्रता से मुक्त कर के सुरक्षित कर दिया गया है और जिसकी इस प्रकार से व्यवस्था की गई हो और उससे अन्तः बद्ध किया गया हो ताकि दाब डालने वाले या रेचन करने वाले कारक के कार्य न करने की दशा में विद्युत की आपूर्ति स्वतः ही कट जाए या साधित्र की देखभाल करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही ऐसी चेतावनी प्राप्त हो जाए और वह परिसंकट को रोकने के लिए युक्तियुक्त कदम उठाए।

- (3) जोन '2' क्षेत्र में संस्थापित किए गए या प्रयोग में लाए गए सभी विद्युत साधित्र -

- (i) या तो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार का स्फुलिंगहीन साधित्र होगा; या
- (ii) उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञात में से किसी प्रकार का साधित्र होगा।

(4) जहां किसी परिसंकटमय क्षेत्र में प्रयोग के लिए किसी प्रकार के वैद्युत साधित्र के लिए मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन मांगा जाता है वहां साधित्र का विनिर्माण करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :-

(i) एक व्यापक रिपोर्ट जिसके साथ अनुसारित मान्यता प्राप्त कोड या कोडों के प्रति निर्देश करते हुए सभी आवश्यक आरेखण, संगणनाएं और साधित्र तथा उसके संघटकों की बाबत मान्यता प्राप्त निकायों से निर्माण और आवश्यक परीक्षण प्रमाणपत्र।

- (ii) पांच सौ रुपए की संवीक्षा फीस।

107. पक्की विद्युत वायरिंग -

- (1) किसी परिसंकटमय क्षेत्र में आन्तरिक रूप से सुरक्षित साधित्र के संबंध में संस्थापित किए गए आन्तरिक रूप से सुरक्षित सर्किट के सभी कंडक्टर इस प्रकार से लगाए जाएंगे ताकि किसी अन्य सर्किट से सम्पर्क द्वारा या स्थिर

वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरणा से ऐसे सर्किट में विद्युत धारा के प्रवेश को रोका जा सके। आन्तरिक रूप से सुरक्षित सर्किटों के कंडक्टरों को यांत्रिक क्षतियों से प्रभावशाली ढंग से सुरक्षित रखा जाएगा।

- (2) परिसंकटमय क्षेत्र में, आन्तरिक रूप से सुरक्षित सर्किट के कंडक्टरों से भिन्न, समस्त वैद्युत तार (वायरिंग), सभी जोड़ों पर भली भंति सील किए जाएंगे, यांत्रिक तौर पर सुरक्षित किए जाएंगे और उसकी सम्पूर्ण लम्बाई में यथेष्ट सपोर्ट लगाई जाएंगी तथा वह -

- (i) अनुमोदित कवचित केवल के होंगे जिसके अंतिम भाग ठीक प्रकार से डिजाइन किए गए हों, और कवचित क्लैम्पों से परिपूर्ण हों, कवचन इस प्रकार से किया गया हो कि केबल को यांत्रिक सपोर्ट प्राप्त हो सके और विद्युत अविच्छिन्न रहे; या
- (ii) केबल अनुमोदित धातु से आच्छादित होंगे जिनके अंतिमभाग ठीक प्रकार से डिजाइन किए गए और संस्थापित हों; या
- (iii) एकल या अनेक तारों वाले केबलों के होंगे जिन्हें भारी गेज के स्कू किए गए और गल्वीनीकृत कंड्यूटों में रखा गया हो और जो अनुमोदित ज्वालासह फिटिंगों के साथ संयोजनों में प्रयोग किए गए हों। कंड्यूटों को दोनों सिरों पर सील किया जाना चाहिए और इस प्रकार से संस्थापित किया जाना चाहिए ताकि आन्तरिक संघनन ऐसे स्थान या स्थानों तक पहुंच सके जहां से उसे दूर किया जा सके; जहां कंड्यूट जोन '1' क्षेत्र से जोन '2' क्षेत्र तक या ऐसे क्षेत्र तक जाते हैं जो परिसंकटमय क्षेत्र नहीं है, वहां जोन '1' क्षेत्र की सीमा के बाहर यथेष्ट सील लगाई जानी चाहिए।
- (iv) एकल या अनेक तारों वाले अनुमोदित प्रकार के खनिजरोधी केबल होंगे जो कि सभी जोड़ों और अंतिम भागों पर अनुमोदित ज्वालासह प्रकार की ग्रन्थियों (ग्लेण्डस) के साथ लगाए गए हों।
- (v) अनुमोदित ज्वालासह या आन्तरिक रूप से अंतर्विष्ट सुरक्षित सरकिट के भाग में मात्र संयोजक है।

- (3) किसी परिसंकटमय क्षेत्र में, धातु आच्छादन या कवच रहित विद्युतरोधी केबल, किन्तु जो कंड्यूट में रखे गए हों, खुली जमीन में नहीं दबाए जाएंगे।

- (4) परिसंकटमय क्षेत्र में प्रत्येक विद्युत पम्प के विद्युत आपूर्ति सर्किट -

- (i) फ्यूज द्वारा या सर्किट ब्रेकर द्वारा पृथकतः रक्षित किए जाएंगे जो इस प्रकार लगाए जाएंगे ताकि जब सर्किट में करंट नियत करंट से इतनी अवधि तक अधिक रहे कि खतरा पैदा हो जाए, वे कार्य करने लगें; और
- (ii) प्रत्येक विद्युत पम्प के लिए, जिस में उसकी आन्तरिक प्रकाश पद्धति, यदि कोई हो, सम्मिलित है, मुख्य आपूर्ति स्थान पर अलग-अलग पृथकरण स्विच लगाए जाएंगे।

- (5) यदि मुख्य नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ग की वैद्युत वायरिंग में उपनियम (1) और (2) की अपेक्षाओं में उपान्तरण किया जा सकता है या छूट दी जा सकती है तो वह ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, ऐसा उपान्तरण या ऐसी छूट प्राधिकृत कर सकता है।

108. भूसम्पर्क और आबंधन -

- (1) ऐसे किसी स्थान में जहां पेट्रोलियम का परिष्करण, सम्मिश्रण, भंडारण, लदाई या उतराई की जाती हो, सभी वैद्युत प्रणालियों और उपस्कर तथा प्रमुख वैद्युत साधित्र के सभी स्ट्रेक्चर, प्लॉट और अन्य करंट के अप्रवहणकारी धातुज भाग या धातुज बड़ी वस्तुएं भली-भांति भूसंपर्कित होनी चाहिए, पृथ्वी की साधारण संहति का प्रतिरोध मान और भूसंपर्क प्रणाली निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी।

- (क) विद्युत प्रणालियों और उपस्कर की दशा में 4 ओम्स से या किसी वाल्व से जिससे कि विद्युत सर्किट में रक्षात्मक युक्ति का संचालन सुनिश्चित किया जा सके, दोनों में से जो निम्नतर हो उससे, अधिक नहीं होगा; और

(ख) प्रमुख विद्युत साधित्र या किसी बड़ी धातुज वस्तु के करंट के अप्रवहणकारी समस्त धातुज भागों की दशा में, 10 ओम्स से अधिक नहीं होगा।

- (2) पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइनों, वाल्वों भण्डारण टैंकों और सहयोजित सुविधाओं और उपस्करों में सभी जोड़ों आबंधन द्वारा या अन्यथा विद्युततः अविच्छिन्न होने चाहिए, प्रत्येक जोड़ के बीच प्रतिरोधमान 1 ओम्स से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (3) ऐसी पाइपें, जो सहयोजित टैंक या यान के साथ विद्युततः जुड़ी हुई न हों, ऐसे टैंक या जलयान के साथ लोचदार कंडक्टर लगा कर भली भाँति जोड़ी जाएंगी और भूसंपर्कित की जाएंगी।

109. कैथोडीय सुरक्षा -

- (1) जहां भी कैथोडीय सुरक्षा प्रणाली प्रयोग में लाई जाए वहां वह मान्यताप्राप्त विद्यमान रुढ़ि के अनुसार डिजाइन की जाएगी और संस्थापित की जाएगी और उसका रख-रखाव इस प्रकार से होगा कि -
 - (क) संरक्षित क्षेत्र में स्थित धातुज वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; और
 - (ख) परिसंकटमय क्षेत्र में स्फुरलिंगन होने के खतरे को टाला जा सके।
- (2) कैथोडीय संरक्षण के अधीन धातुज संरचनाएं पाइपलाइनें, वाल्व, संयंत्र और सहयोजित उपस्कर, मरम्मत या रख-रखाव के लिए तब तक नहीं तोड़े जाएंगे जब तक कि तोड़े जाने के लिए आशयित स्थान के प्रत्येक और, उनके बीच एक विद्युत बंध स्थापित करने के लिए, भारी गेज का चालक केबल न लगा दिया जाए; केबल तब तक लगा रहेगा जब तक कि मरम्मत या रख-रखाव का कार्य पूरा नहीं हो जाता है और टूटा हुआ स्थान जोड़ नहीं दिया जाता है।

110. अवांछित करंट से रक्षा -

- (1) जहां अवांछित करंट के ऊंचे परिमाण में विद्यमान होने की सम्भावना हो वहां स्पर लाइनों की दोनों रेलें उस रेल साइडिंग से विद्युत रोधित कर दी जाएंगी जिसका प्रयोग टैंक वेगनों की लदाई या उतराई के लिए किया जा रहा हो।
- (2) विद्युतचालित रेल प्रणाली की दशा में, सजीव सम्पर्क रेलें और शिरोपरि विद्युत लाइनें उस क्षेत्र के बाहर समाप्त होनी चाहिए जहां टैंक वेगनों की लदाई या उतराई होती है, ऐसी रेल या शिरोपरि लाइन परिष्करणशाला या संस्थापन के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगी।
- (3) पाइपलाइन या सहयोजित उपस्कर का कोई जोड़ नियम 109 के उपनियम (2) में यथा उपबन्धित के विचार में नहीं तोड़ा जाएगा।

111. सुवाह्य विद्युत साधित्र -

- (1) कोई भी व्यक्ति किसी परिसंकटमय क्षेत्र में तो संस्थापित करेगा और न उनका प्रयोग करेगा किन्तु मुख्य नियंत्रक द्वारा ऐसे परीक्षण और ऐसी जांच के पश्चात्, और ऐसे उपयोग के लिए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, उसके द्वारा अनुमोदित प्रकार के सुवाह्य लैम्प या साधित्र से भिन्न सुवाह्य विद्युत लैम्प या साधित्र संस्थापित नहीं करेगा या उसका प्रयोग नहीं करेगा।
- (2) कोई भी मुख्य तार संचालित सुवाह्य लैम्प 25 वाल्ट से अधिक वोल्टता पर पृथ्वी के ऊपर संचालित नहीं किए जाएंगे :

परन्तु मुख्य नियंत्रक, अपने विवेकानुसार, पृथ्वी के ऊपर 55 वाल्ट से अनधिक उच्चतर संचालन वोल्टता की अनुज्ञा दे सकता है।

- (3) स्वयं में पूर्ण लैम्प या साधित्र से भिन्न सभी सुबाह्य लैम्प या साधित्र मुख्य तारों से ऐसी रीति से जोड़े जाएंगे और ऐसी शर्तों पर प्रयोग में लाए जाएंगे जो मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

112. अनुमोदित विद्युत साधित्र और तारों का रख-रखाव -

परिसंकटमय क्षेत्र के सभी वैद्युत साधित्रों और तारों का रख-रखाव सदैव इस प्रकार से किया जाएगा ताकि उन में वह मुख्य विशेषताएं बनी रहें जिन पर उनका अनुमोदन किया गया था।

113. मरम्मत और जांच कार्य -

- (1) किसी ज्वालासह या आन्तरिक रूप से सुरक्षित साधित्र को तब तक नहीं खोला जाएगा और तब तक कोई कार्य जिससे ऐसे साधित्र या उससे जुड़े वैद्युत तारों की सुरक्षा संबंधी मुख्य विशेषताओं में कमी आने सम्भावना है, नहीं किया जाएगा, जब तक कि उक्त साधित्र या तार से सभी वोल्टता काट नहीं दी जाती वोल्टता तब तक पुनः स्थापित नहीं की जाएगी जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता और उस साधित्र और तार के संयोजन से संबंधित सुरक्षा विशेषताएं पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं कर दी जाती।
- (2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, जोन '1' क्षेत्र में मरम्मत और परीक्षण तथा परिवर्तनों को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए टांका लगाने के साधित्र या किसी ऐसे अन्य साधन का प्रयोग जिसमें ज्वाला, अग्नि या ताप औद्योगिक प्रकार के साधित्र के प्रयोग अन्तर्वर्तित है अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परन्तु यह तब जब ऐसा क्षेत्र, जिसमें ऐसा साधित्र या ताप संस्थापित किया गया है, पहले सुरक्षित कर दिया जाता है और सक्षम व्यक्ति उसके सुरक्षित होने की जांच अनुमोदित गैस परीक्षण साधित्र से करने के पश्चात् यह प्रमाणपत्र दे देता है कि वह क्षेत्र ज्वलनशील वाष्पों, गैसों या द्रवों से सुरक्षित और मुक्त है तथा उसे ऐसी दशा में तब तक बनाए रखा जाता है जब तक कि कार्य चलता रहे।

114. विद्युत् संस्थापन का प्रमाणपत्र -

- (1) परिसंकटमय क्षेत्र में किसी विद्युत् सर्किट और किसी विद्युत् साधित्र में प्रथम बार विद्युत् प्रवाहित करने से पूर्व और ऐसे सर्किट या साधित्रों प्रत्येक मरम्मत और रख-रखाव या परिवर्तन संबंधी किए गए कार्य के पश्चात् सक्षम व्यक्ति अपने हस्ताक्षर सहित इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि सर्किट और साधित्र में सुरक्षा की वे मुख्य विशेषताएं विद्यमान हैं जिन के कारण उनका उस क्षेत्र में प्रयोग अनुमोदित किया गया है।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, परिसर के अधिभोगी द्वारा परिरक्षित रखा जाएगा और निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु प्रत्येक मरम्मत और रख-रखाव कार्य के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र को छः मास से अधिक अवधि के लिए परिरक्षित रखना आवश्यक नहीं है;

115. संक्षारण से बचाव के लिए पूर्वावधानियां - (1) जहां आवश्यक हो वहां परिसंकटमय क्षेत्र में विद्युत् तारों को ले जाने वाले तथा सभी विद्युत् साधित्रों उपस्करों और कंड्यूटों पर नियमित रूप से उपयुक्त प्रकार का रक्षात्मक रोगन किया जाएगा।

- (2) साधित्र या उपस्कर के ज्वालासह होने या आन्तरिक रूप से सुरक्षित प्रकृति की बाबत प्रमाणन के लेबल पर रोगन नहीं किया जाएगा या किसी प्रकार की ऐसी संक्रिया नहीं की जाएगी जिससे कि ऐसे लेबल पर लिखी हुई, स्थापित या उच्चित्रित विशिष्टियों की सुपाठ्यता कम हो जाए।

अध्याय 5

अनुज्ञप्ति अपेक्षित पेट्रोलियम का भंडारकरण

116. भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति - अधिनियम की धारा 7; 8, और 9 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति पेट्रोलियम का भंडारकरण इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय नहीं करेगा;

परन्तु -

- (i) कूपशीर्ष टैंकों में पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए; या
- (ii) पत्तन की सीमाओं के भीतर मार्गस्थ स्थोरा के रूप में, संरक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए,

कोई अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं होगी।

117. आग से बचाव के लिए पूर्वावधानियां - (1) कोई व्यक्ति किसी संस्थापन, भंडारकरण शेड या सर्विस स्टेशन में, उन सभी स्थानों के सिवाय जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए हो, धूम्रपान नहीं करेगा।

(2) पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले किसी संस्थापन या भंडारकरण शेड में कोई व्यक्ति दियासलाइयां, फ्यूज या अन्य चीजें जिनसे प्रज्वलन या विस्फोटक होना संभावित हो, नहीं ले जाएगा।

(3) किसी संस्थापन, भंडारकरण शेड या सर्विस स्टेशन में, सिवाय उन स्थानों के जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए हों, कोई अग्नि, भट्ठी या ताप या प्रकाश का अन्य साधन जिससे ज्वलनशील वाष्पों के प्रज्वलित होने की संभावना हो, अनुज्ञात नहीं होंगे।

(4) (i) प्रत्येक भंडारकरण शेड और वर्ग ख या वर्ग ग के छोटे संस्थापनों में महत्वपूर्ण स्थानों पर तेल अग्नि को बुझाने में सक्षम सुवाह्य शुष्क रासायनिक पाउडर या कोई अन्य अग्निशामक सदैव रखे जाएंगे तथा ऐसे स्थानों में नियोजित सभी व्यक्ति ऐसे अग्निशामकों के प्रयोग से सुपरिचित होंगे।

(ii) संस्थापनों के अन्य क्षेत्रों में व्यवस्था किए जाने वाले अग्निशमन का मापमान मूल मानक ओ.आई.एस.डी. - 117 प्रकाशन के पश्चात् मुख्य नियंत्रक द्वारा सभी संस्थापनों के लिए अग्निशमन सुविधाओं में इस मानक को ध्यान में रख कर संभव सीमा तक सुधार किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

118. संस्थापन, सर्विस स्टेशन या भंडारकरण शेड के भीतर संक्रियाओं का पर्यवेक्षण - संस्थापन, सर्विस स्टेशन या भंडारकरण शेड के भीतर समस्त संक्रियाएं ऐसे अनुभवी, उत्तरदायी अभिकर्ता या पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत की जाएंगी जो, यथास्थिति, संस्थापन हे सर्विस स्टेशन या भंडारकरण शेड के लिए धृत अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों से सुपरिचित हो और वे व्यक्ति उचित सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए।

119. संस्थापन सर्विस स्टेशन या भंडारकरण शेड में स्वच्छता - संस्थापन या सर्विस स्टेशन के भीतर की भूमि संस्थापन, सर्विस स्टेशन या भंडारकरण शेड के चतुर्दिक संरक्षित क्षेत्र को स्वच्छ रखा जाएगा तथा सभी पेड़-पौधों, रद्दी सामग्री और कचरे से मुक्त रखा जाएगा।

120. जल निकासी - (1) संस्थापन में भूमोपरि टैंकों के चतुर्दिक समस्त अहातों में समुचित जल निकास की सुविधाएं इस प्रकार से प्रदान की जाएंगी कि अहाते में जल जमा न होने पाए।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अहाते का कोई भाग संरक्षित क्षेत्र के भीतर चतुर्दिक भूमि के स्तर से नीचा नहीं होगा।

(3) जहां जल निकासी पाइपों के माध्यम से की जाए वहां पाइपों में ऐसा वाल्व लगाया जाएगा जिसका संचालन आहाते

के बाहर से किया जा सकता हो या मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।

(4) जल निकासी के लिए सभी वाल्व और अन्य द्वार सिवाय तब के जब जल निकासी की जा रही हो, बंद रखे जाएंगे।

(5) जल निकासी व्यवस्था की प्रकृति और उसके सभी द्वारों और वाल्वों की स्थिति अनुज्ञापि के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शों में दिखाई जाएगी।

121. अप्राधिकृत व्यक्तियों का अपवर्जन - (1) प्रत्येक संस्थापन और भंडारकरण शेड के चतुर्दिक संरक्षित क्षेत्र को दीवार या बाड़ से, जो कम से कम 1.8 मीटर ऊंची हो घेरा जाना चाहिए।

(2) सर्विस स्टेशन की दशा में, सवारी मार्ग को छोड़कर किनारों पर 1.2 मीटर ऊंची दीवार या बाड़ लगाई जाएगी।

(3) अप्राधिकृत व्यक्तियों की किसी भंडारकरण शेड या संस्थापन में पहुँच को रोकने के लिए पूर्वावधानियाँ बरती जानी चाहिए।

122. केवल पेट्रोलियम का ही भंडारण किया जाना - मुख्य नियंत्रक की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी संस्थापन, सर्विस स्टेशन या भंडारकरण शेड का प्रयोग पेट्रोलियम के भंडार और वितरण तथा उनसे प्रत्यक्षतः संबंधित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

123. टैंकों की क्षमता अंकित करना - किसी संस्थापन में स्थित प्रत्येक भूमिपरि टैंक की क्षमता लिटरों/किलोलिटरों में टैंक पर सुदृश्य रूप से अंकित की जाएगी।

124. टैंकों का सन्निर्माण - (1) प्रपुंज पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए, कूप-शीर्ष से भिन्न प्रत्येक टैंक या पात्र, भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुमोदित कोड या विनिर्देशों के अनुसार या मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित द्वारा लिखित में अनुमोदित किसी अन्य कोड या विनिर्देशों के अनुसार लोहे या स्टील का बनाया जाएगा :

परन्तु यदि भंडारकरण किए जाने वाले पेट्रोलियम के गुणधर्मों के अनुसार ऐसा अपेक्षित हो या किसी अन्य कारणवश ऐसा करना आवश्यक हो तो टैंक या अन्य पात्र लोहे या स्टील से भिन्न सामग्री के बनाए जा सकते हैं।

(2) टैंकों या अन्य पात्रों को मजबूत नीवों या अदाह्य सामग्री के स्तंभों पर इंजीनियरी की ठोस रूढ़ियों के अनुसार खड़ा किया जाएगा।

(3) भंडारकरण टैंक की ऊंचाई उसके व्यास के आधे से या 20 मीटर से, दोनों में से जो कम हो, अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए टैंक की ऊंचाई उसके तल से उच्चतम वक्र कोण तक की ऊंचाई होगी।

(4) प्रत्येक टैंक में टैंक की कुल क्षमता के 5 प्रतिशत से अन्यून या कोड में विहित जगह या उपनियम (1) विनिर्देश में विहित, दोनों में से जो कम हो, वायु क्षेत्र रखा जाएगा।

125. संक्षारण से रक्षण - प्रपुंज पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए, भूमि के ऊपर या नीचे संस्थापित, किंतु कूप-शीर्ष टैंकों से भिन्न, सभी टैंक या अन्य पात्रों का संरक्षणात्मक कोटिंग या कैथोडीय संरक्षण या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य साधन का प्रयोग करके, संक्षारण से संरक्षण किया जाएगा।

126. टैंकों का परीक्षण - (1) प्रपुंज पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए कूप-शीर्ष टैंकों से भिन्न, भंडारकरण टैंकों या अन्य पात्रों के लगाए जाने के पश्चात् और उन्हें अंतिम रूप से सुरक्षित करने के पश्चात् अथवा उन्हें पुनः लगाने या उनमें कोई बड़ी मरम्मत करने के पश्चात् इसके पूर्व कि उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जाए, उनका परीक्षण सक्षम व्यक्ति द्वारा जल के दबाव से किया जाएगा।

(2) परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जल पेट्रोलियम से मुक्त होगा और किसी ऐसी पाइप या पंप से होकर नहीं गुजारा जाएगा जो सामान्यतया पेट्रोलियम के वहन के लिए प्रयोग में लाया जाता हो :

परन्तु जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जल का उन पाइपों या पंपों से, जिनका पेट्रोलियम के वहन के लिए सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, भिन्न पाइपों या पंपों से वहन युक्तियुक्त रूप से संभव नहीं है, वहां वह जल के वहन के लिए पेट्रोलियम पाइप या पंप के प्रयोग की अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकता है जैसी वह अधिरोपित करे।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति नीचे दिए गए प्रारूप में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा इस प्रकार दिया गया प्रमाणपत्र अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए आवेदन के साथ अथवा किसी बड़ी मरम्मत की दशा में प्रत्येक ऐसी मरम्मत के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

टैंक परीक्षण प्रमाणपत्र

का प्रोफार्मा

(नियम 126 देखिए)

श्री ने

(संस्थापन सर्विस स्टेशन के अधिभोगी का पूरा नाम)

पर स्थित यथास्थिति

(स्थान, थाने, जिला, राज्य का नाम)

संस्थापन/सर्विस स्टेशन (जो लागू न हो उसे काट दीजिए) के भीतर लगाए गए, अनुज्ञप्ति संख्या

के अंतर्गत आने वाले

(प्रत्येक टैंक का

आकार के और

व्यास और ऊंचाई अथवा लंबाई)

(प्रत्येक टैंक का

क्षमता के (टैंकों की संख्या) टैंकों की बाबत।

लिटरों में क्षमता)

(अनुज्ञप्ति के संशोधित अथवा टैंक की मरम्मत की दशा में भरा जाना चाहिए)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम 126 के अनुसरण में ऊपर वर्णित टैंकों का, उनके संस्थापित किए जाने और अंतिम रूप से सुरक्षित किए जाने/मरम्मत किए जाने के पश्चात् जल दबाव द्वारा कर लिया और और वे व्यव-मुक्त और पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए उपयुक्त हैं (जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिए)।

परीक्षण की तारीख प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम व्यक्ति के पूरे हस्ताक्षर

..... की मान्यता प्राप्त अर्हता

..... उसका पूरा नाम और डाक पता

127. टैंकों का भूसंपर्क - (1) प्रपुंज पेट्रोलियम के भंडारकरण के भंडारकरण के लिए कूप-शीर्ष टैंक अथवा वर्ग ग पेट्रोलियम से युक्त 50 हजार लिटर की क्षमता से कम के टैंकों से भिन्न प्रत्येक टैंक या अन्य पात्र प्रभावशाली रीति से कम से कम दो पृथक और भिन्न संयोजनों द्वारा जो कि ऐसे टैंक या पात्र के दो भिन्न छोरों पर लगाए जाएंगे, वैद्युततः भूसंपर्कित किया जाएगा। ऐसे टैंक या पात्र की छत और सभी धातु के संयोजन ऐसे टैंक या पात्र की बोर्डो के साथ प्रभावशाली रूप से वैद्युततः संपर्कित होने चाहिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित संयोजनों और सम्पर्कों में जहां तक सम्भव हो, कम जोड़ होंगे। सभी जोड़ों की यांत्रिक और वैद्युततः मजबूती सुनिश्चित करने के लिए रिबेंट किया जाएगा, झलाई की जाएगी या बोल्स्ट किया जाएगा और टांके भी लगाए जाएंगे।

(3) पृथ्वी से प्रतिरोध 7 ओम्स से अधिक नहीं होना चाहिए और फिटिंग के किसी भाग का भूप्लेट से या किसी अन्य भाग या फिटिंग से प्रतिरोध 2 ओम्स से अधिक नहीं होना चाहिए।

128. भूसम्पर्क कनेक्शनों का परीक्षण - (1) नियम 127 के अधीन अपेक्षित टैंकों या पात्रों का कनेक्शनों और सम्पर्कों का निरीक्षण और परीक्षण प्रत्येक बारह मास से कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष पठन यंत्र से किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट परीक्षण यंत्र, यदि उस में से स्फुलिंग उत्पन्न होने की संभावना हो तो, इस प्रकार से शील्ड किया जाएगा कि उस से पेट्रोलियम के वाष्प प्रज्वलित न हो सके।

(3) ऐसे निरीक्षणों और परीक्षणों का अभिलेख अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त परिसरों में रखा जाएगा और किसी निरीक्षक द्वारा मांग लिए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

129. रात्रि के समय काम - सिवाय वहां के जहां अध्याय 4 के उपबन्धों के अनुरूप केवल अनुमोदित विद्युत प्रकाश मात्र का प्रयोग किया जाता है, कोई संस्थापन या भण्डारकरण शेड सूर्यास्त और सूर्योदय के समय के बीच न तो खुलेगा ही और न उसमें कोई काम करने की अनुज्ञा होगी।

130. सुरक्षा प्रमाणपत्र - (1) किसी संस्थापन या सर्विस स्टेशन में प्रथम बार पेट्रोलियम का भण्डारकरण करने से पूर्व अथवा जब भी चारदीवारी में और तटबंधों में कौी वृद्धि या परिवर्तन किए जाएं अथवा कोई टैंक लगाया जाए, या उसका स्थान बदला जाए, इस नियम में नीचे दिए गए प्रारूप में एक सुरक्षा प्रमाणपत्र, जिस पर सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सुरक्षा प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा

(नियम 130 देखें)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने तारीख को नीचे वर्णित पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन/संस्थापन का निरीक्षण किया है और यह मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक नियंत्रक द्वारा तारीख को पत्र सं. द्वारा अनुमोदित संयंत्र के अनुसार पूरा किया गया है तथा मेरी राय में, उक्त सर्विस स्टेशन, संस्थापन पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए सुरक्षित है।

1. अधिभोगी का नाम और पता

2. सर्विस स्टेशन/संस्थापन की अवस्थिति

(प्लॉट सं., गांव/शहर, जिला, राज्य)

3. सर्विस स्टेशन /संस्थापन की सुविधाओं का वर्णन

(अ): टैंक :-

(i) भूमोपरि टैंक :-

(क) पहचान सं., आकार, क्षमता, उत्पाद, पेट्रोलियम का वर्ग

(ख) क्या अहाता दीवार की व्यवस्था की गई है, यदि हाँ तो अहाता दीवार की प्रकृति, इसकी क्षमता, निकासी पाइप और वाल्व की व्यवस्था

(ग) उपलब्ध फिटिंग की प्रकृति और उसका वर्णन

(ii) भूमिगत टैंक :-

(क) पहचान सं., आकार, क्षमता, उत्पाद, पेट्रोलियम का वर्ग

(ख) शर्त, मिट्टी के आवरण, स्थिरक व्यवस्था की प्रकृति

(ग) ऊपरी आवरण की प्रकृति (क्या मिट्टी का है या आर सी सी का)

(घ) उपलब्ध फिटिंग की प्रकृति और उसका वर्णन

(आ) फिटिंग/भंडारकरण शेड :-

क्या अनुमोदित प्लान के अनुसार व्यवस्थित हैं

(इ) टैंक लारी और/या टैंक वैगन की लदाई और उतराई

(i) उपलब्ध कारण गए रास्तों और स्थानों की संख्या

(ii) लदाई और उतराई सुविधाओं की किस्म

(ई) पाइपलाइनें

(i) पाइपलाइन (नौ) का आकार और विनिर्देश

(ii) पाइप लाइन का परीक्षण दबाव -----कि.गा./से.मी.2

(----- को ----- द्वारा परीक्षित किया गया है)

(उ) वैद्युत फिटिंग/उपस्कर

(i) पम्प (प्रत्येक के लिए विनिर्देश, बनावट और सी सीई अनुमोदन निर्देश)

(ii) स्टार्टर

(iii) संयोजन बाक्स

(iv) स्विचें

(v) लाइट फिटिंग

(vi) अन्य

(ऊ) भूसंपर्क, जोड़ और वैद्युत निरंतरता

(i) टैंकों, पम्पों, प्रपुंज लदाई/उतराई सुविधाएं

(ii) पाइप लाइन जॉइंटों का जोड़ लगाना

(iii) प्रत्येक बिन्दु पर भूसंपर्क संरोध

(ए) बाड़/चारदीवारी की प्रकृति

(ऐ) उपलब्ध अग्निशामक सुविधाओं का विवरण

4. टिप्पणियां

स्थाप :

तारीख :

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर

मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता की विशिष्टियां

(2) (i) सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यताप्राप्त करने का आशय रखने वाले किसी व्यक्ति के पास प्रारूप 18 के भाग (क) में विहित अर्हताएं और अनुभव होंगे और मुख्य नियंत्रक को उसी प्रारूप के भाग (ख) में विहित प्रारूप में एक एक आवेदन देगा। प्रत्येक आवेदन के साथ 500 रुपये संवीक्षा फीस दी जाएगी। मुख्य नियंत्रक उक्त आवेदन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और आवेदन प्राप्त करने के साठ दिन की अवधि के भीतर और उसकी सक्षमता तथा शक्ति सदाचार के संबंध में अपना समाधान करने के पश्चात् या तो आवेदक को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता देगा या उसके लिए कारण विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन को नामंजूर कर देगा।

(ii) मुख्य नियंत्रक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मान्यता को प्रतिसंहरित कर सकेगा :

(क) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि सक्षम व्यक्ति ने मान्यतापत्र में अनुबंधित किसी शर्त का उल्लंघन किया है या इन नियमों के आशय या प्रयोजन से असंगत रीति से कोई परीक्षण, परीक्षा या निरीक्षण किया है या वैसा कार्य किया है; या

(ख) लेखबन्द किए जाने वाले किसी अन्य कारण से।

131. अनुज्ञापन के लिए प्रस्तावित परिसरों के विनिर्देशों और प्लान का पूर्वानुमोदन—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो पेद्रोलियम के आयात और भण्डारकरण के लिए, यथा स्थिति, प्रारूप 4, प्रारूप 6 या विशेष प्रारूप में अनुज्ञापन प्राप्त करने की वांछा करता है, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करेगा:—

(क) स्पष्ट रूप से निम्नलिखित तथ्यों, से युक्त, दो प्रतियों में विनिर्देशों का विवरण और मापन सहित प्लान—

(i) वह रीति जिस से इन नियमों में विहित उपबन्धों का अनुपालन किया जाएगा ;

(ii) अनुज्ञापन के लिए प्रस्तावित परिसर, जिसका क्षेत्र स्पष्ट रूप से रंग कर या अन्यथा अंकित करके दिखाया जाएगा ;

(iii) अनुज्ञापन के लिए प्रस्तावित सभी सुविधाओं के छोर से 100 मीटर के भीतर स्थित चतुर्दिक् क्षेत्र और सभी संरक्षित निर्माण ;

(iv) अनुज्ञापन के लिए प्रस्तावित परिसरों के भागस्वरूप सभी भण्डारकरण टैंकों, टैंकों के चारों ओर के आहातों, सभी वाल्वों, भराई, और निकासी द्वारों, वैंट पाइपों, निमजी पाइपों, भण्डारकरण और भराई शैडों, पम्पो, अग्निशमन

सुविधाओं और सभी अन्य भवनों और सुविधाओं, की स्थिति, क्षमता सामग्री और भूमिका तथा उन्नयन चित्र;

(v) पेट्रोलियम के विभिन्न वर्गों, जिस के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त पेट्रोलियम भी है, के लिए आरक्षित क्षेत्र; और

(ख) चार सौ रुपए की संवीक्षा फीस जो कि नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से दी जाएगी।

(2) यदि मुख्य नियंत्रक का विनिर्देशों और प्लान की संवीक्षा करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यदि मुख्य नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञापन के लिए पुनः स्थापित परिसरों में पेट्रोलियम का भण्डारकरण किया जा सकता है तो वह आवेदक को वापस कर देगा।

132. पम्प करना- किसी संस्थापन में पेट्रोलियम को पम्प करने के लिए परिचायक पम्पों के प्रयोग के लिए अन्तर्दहन ईजन (कम्ब्यूशन ईजन) या वैद्युत् मोटर का प्रयोग जब ऐसे पम्प हाऊस या पम्प क्षेत्र में के सिवाए जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनाया गया हो और मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित हो, नहीं किया जाएगा।

133. अनुज्ञप्त परिसरों पर पहचान चिन्ह- इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक संस्थापन भण्डारकरण शैड या सर्विस स्टेशन पर उस के लिए धारित अनुज्ञप्ति की संख्या सुदृश्य रूप से अंकित होनी चाहिए।

134. नियमों और शर्तों का टांगा जाना- प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त संस्थापन, सर्विस स्टेशन या भण्डारकरण शैड में नियम 3 से 12 नियम 102 से 115, नियम 116 से 134, नियम 147 से 149 और नियम 152 से 160 के उद्धरण और अनुज्ञप्ति की शर्तें एक सुदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

135. संघ के रक्षा बलों के कब्जाधीन पेट्रोलियम- नियम 116, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133 और 134 की कोई बात संघ के रक्षा बलों के कब्जाधीन पेट्रोलियम को लागू नहीं होगी।

अध्याय 6

वर्ग 'ग' पेट्रोलियम का भंडारण, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है,

136. लागू होना- (1) इस अध्याय के उपबन्ध, अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा उपबंधित अनुज्ञप्ति के अधीन से भिन्न वर्ग 'ग' के पेट्रोलियम के भण्डारकरण को लागू होंगे किन्तु संघ के रक्षा बलों के कब्जाधीन वर्ग 'ग' के पेट्रोलियम को लागू नहीं होंगे।

(2) अध्याय 5 के उपबन्ध वर्ग 'ग' के उस पेट्रोलियम को लागू नहीं होंगे जिसका भण्डारकरण अधिनियम की धारा 7 के अधीन अनुज्ञप्ति के बिना है।

137. भण्डारकरण पर निर्बन्धन- वर्ग 'ग' पेट्रोलियम का किसी अन्य वर्ग के पेट्रोलियम के साथ भंडारकरण, इन नियमों के अन्तर्गत मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसरण में के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

138. छूट प्राप्त वर्ग 'ग' प्रपुंज पेट्रोलियम का भण्डारकरण- (1) वर्ग 'ग' प्रपुंज पेट्रोलियम का भण्डारकरण लोहे या स्टील के अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित किसी अन्य धातु से बने हुए टैंक में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट टैंक समुचित रूप से डिजाइन किया जाएगा और सन्निर्मित किया जाएगा तथा टैंक और उसकी सारी फिटिंगों का निर्माण और रख-रखाव इस प्रकार किया जाएगा कि पेट्रोलियम के चूने को रोका जा सके।

(3) वर्ग 'ग' पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए पांच हजार लीटर से अधिक क्षमता वाले सभी टैंकों के चतुर्दिक् एक अहाता बनाया जाएगा या वे गर्त के भीतर रखे जाएंगे तथा उनका निर्माण और रख-रखाव इस प्रकार किया जाएगा कि उन में उतनी अधिक मात्रा में पेट्रोलियम को, जितना कि ऐसे अहाते या गर्त के भीतर विशालतम टैंक में रखा जा सकता है चूए बिना रखा जा सके।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अहाते या गर्त में एक निकासी पाइप लगाई जाएगी जिस में कि ऐसा वाल्व लगा होगा जिस अहाते के बाहर से चलाया जा सके और वाल्व को बन्द रखा जाएगा।

(5) संरक्षित संकर्मों और ऐसे अहाते की दीवार या गर्त के किनारे के बीच कम से कम 1.5 मीटर का खुला स्थान रखा जाएगा।

139. वर्ग 'ग' प्रपुंज पेट्रोलियम का भण्डारकरण- वर्ग 'ग' अप्रपुंज पेट्रोलियम का भण्डारकरण, यदि उसकी मात्रा किसी एक समय में 2500 लिटर से अधिक हो, भण्डारकरण शेड में किया जाएगा जिसके-

(क) द्वार और निर्गम, फर्श से 30 से.मी. की ऊंचाई तक बनाए जाएंगे या

(ख) फर्श 30 से.मी. की गहराई तक रखे जाएंगे।

140. वर्ग 'ग' पेट्रोलियम के भण्डारकरण की पूर्व रिपोर्ट- प्रत्येक व्यक्ति जिसका आशय अनुज्ञप्ति के बिना 5 हजार लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग 'ग' पेट्रोलियम का भण्डारकरण का हो, मुख्य नियंत्रक को भंडारकरण प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:-

(i) नियम 138 की अनुपालना दर्शित करते हुए भंडारकरण सुविधाओं के मापमान से तैयार किए गए नक्शे और भंडारकरण परिसरों और 100 मीटर तक के प्रतिवेश का परिसरों की पहचान करते हुए स्थल-नक्शा; और

(ii) पांच सौ रुपये की संवीक्षा फीस।

अध्याय 7

अनुज्ञप्तियां

141. अनुज्ञप्ति की मंजूरी- इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तियां, प्रथम अनुसूची में उपवर्णित अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में और उन में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय किए जाने पर मंजूर की जा सकती है।

142. वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत की जा सकेगी- (1) प्ररूप 3 या प्ररूप 19 अनुज्ञप्ति उतनी अवधि के लिए मंजूर की जा सकती है जो अनुज्ञापन प्राधिकारी आवश्यक समझे किन्तु वह अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।

(2) प्रत्येक अन्य अनुज्ञप्ति जो इन नियमों के अधीन मंजूर की जाए या नवीकृत की जाए उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगी जिस वर्ष तक अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है या नवीकृत की गई है किन्तु वह अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति किसी ऐसे विशिष्ट कार्य या पर्व के लिए अपेक्षित है जिस के उस वर्ष के, जिस वर्ष तक के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है या नवीकृत की गई है, 31 दिसम्बर तक चलने की सम्भावना नहीं है तो वह उतनी अवधि के लिए, जितनी कि वस्तुतः आवश्यक हो, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकता है या नवीकृत कर सकता है।

143. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन- (1) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने या उसके नवीकरण का इच्छुक व्यक्ति ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी के समक्ष लिखित में आवेदन करेगा।

(2) यंत्र चालित यान में सड़क द्वारा प्रपुंज में पेट्रोलियम के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रारूप 7 में किया जाएगा और यंत्र चालित यान अर्थात् पुनः फ्यूएलर द्वारा वायुयानों, भारी वाहनों, मशीनरी और स्थैतिक उपस्कर में स्थल ईंधन भरने के लिए भूमि पर प्रपुंज में पेट्रोलियम वर्ग क/ख के परिवहन के लिए आवेदन प्रारूप 8 में होगा। पेट्रोलियम को आयात और भंडारण करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रारूप 9 में होगा तथा यंत्र चालित यान आधानों से (मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम वर्ग ख) निस्तारण के लिए आवेदन प्रारूप 9 'क' में होगा।

144. अनापत्ति प्रमाणपत्र - (1) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक है वहां प्रारूप 3, 11, 17, 18 या 19 में अनुज्ञप्ति से भिन्न नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन जिला प्राधिकारी को इस आशय के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के साथ अनुज्ञापन के लिए प्रस्थापित परिसर की स्थिति को दर्शाने वाले स्थल करेगा कि आवेदक प्रस्तावित परिसर के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नक्शे की दो प्रतियां भेजी जाएंगी और जिला प्राधिकारी, यदि उसे कोई आपत्ति नहीं है तो, आवेदक को ऐसा प्रमाणपत्र मंजूर कर सकती है। आवेदक ऐसे प्रमाणपत्र को प्रारूप 8 में अपने आवेदन के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) जिला प्राधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र के साथ जिला प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा के अधीन उसके द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित प्रस्थापित स्थल-नक्शे की एक प्रति होगी।

(3) यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक, उपनियम (1) के अधीन दिए गया प्रमाणपत्र रहित आवेदन को जिला प्राधिकारी को उसके विचारों के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) यदि जिला प्राधिकारी उसे निर्देश किए जाने पर अथवा अन्यथा, यथास्थिति मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को संसूचित करता है कि जिस अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है वह उसकी राय में मंजूर नहीं की जानी चाहिए, तो ऐसी अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना नहीं जारी की जाएगी।

(5) जिला प्राधिकारी यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए अपनी जांच और एन.ओ.सी. जारी करने या जारी करने से इनकार करने के कार्य को यथासंभव शीघ्र, किन्तु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर पूरा करेगा।

145. अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां - (1) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति उस में विनिर्दिष्ट शर्तों पर आधारित की जाएगी और उस में वे सब विशिष्टियां होंगी जो इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रारूप में अन्तर्विष्ट है।

(2) अनुज्ञप्त परिसर के लिए नक्शे या नक्शों की अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुमोदन के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षरयुक्त और उसे एक प्रति अनुज्ञप्ति के साथ लगाया जाएगा जो ऐसी अनुज्ञप्ति के भाग के रूप में होगा। नक्शे की एक तत्सम प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में अभिलेख के लिए सिवाय तब के जब अनुज्ञप्ति प्रारूप 16 में हो, फाइल की जाएगी।

146. अनुज्ञप्त परिसरों में फेरबदल के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक - (1) अनुज्ञप्त परिसरों में कोई फेरफार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे फेरफार के दर्शित करने वाला आरेखण (ड्राइंग) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित में अनुमोदित नहीं कर दिए जाते।

(2) अनुज्ञप्त परिसर में कोई फेरफार करने का इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष -

(i) अनुज्ञप्त परिसर के समुचित रूप से आरेखित नक्शे की तीन प्रतियां, जिसमें कि प्रस्थापित फेरफार को अलग रंग में दिखाया गया हो, तथा फेरफार के कारणों सहित प्रस्तुत करेगा :

(ii) प्रस्थापित फेरफार की संवीक्षा के लिए चार सौ रुपये फीस भेजेगा,

(3) प्रस्थापित फेरफार दर्शाने वाले नक्शे की संवीक्षा करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्थापित फेरफार किए जा सकते हैं तो वह अनुज्ञप्तिधारी को नक्शे की उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति वापिस कर देगा और अपनी मंजूरी ऐसी शर्त पर या शर्तों पर जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे, सूचित करेगा।

(4) जैसे ही मंजूर की गई फेरफार कर दी जाती है, अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए आवेदन करेगा।

147. अनुज्ञप्ति का संशोधन - (1) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा संशोधित की जा सकती है।

(2) अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए फीस पांच सौ रुपये तथा इससे अतिरिक्त रकम यदि कोई है और देनी होगी जितनी कि अनुज्ञप्ति के लिए मूलतः संदत्त फीस से उस दशा में अधिक होती जब अनुज्ञप्ति मूलतः ही ऐसे संशोधन रूप में जारी की जाती।

(3) अनुज्ञप्ति में संशोधन का इच्छुक अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा -

- (i) यदि अनुज्ञप्ति प्रपंज में पेट्रोलियम के परिवहन के लिए प्रदान की गई हो तो सम्यक्तः भरा गया और हस्ताक्षरित आवेदन प्ररूप 7 में यदि अनुज्ञप्ति री-फ्यूलर के लिए प्रदान की गई हो तो प्ररूप 9 में, यदि अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम के आयात और भंडारकरण के लिए प्रदान की गई हो तो प्ररूप 9 में और यदि अनुज्ञप्ति यंत्र चालित यानों से आधानों में मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के स्तारण के लिए प्रदान की गई हो तो प्ररूप 10 में।
- (ii) संशोधन के लिए आशयित अनुज्ञप्ति और साथ ही उससे संलग्न अनुमोदित नक्शे :
- (iii) जहां अनुज्ञप्त परिसर में कोई फेरफार कर दिया गया हो वहां नियम 147 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई फेरफार को दर्शित करने वाले समुचित रूप के आरेखित नक्शों की तीन प्रतियां;
- (iv) अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट फीस;
- (v) यदि नियम 126 के अधीन अपेक्षित हो तो, टैंक या टैंकों का परीक्षण प्रमाणपत्र;
- (vi) यदि नियम 130 के अधीन अपेक्षित हो तो सुरक्षा प्रमाणपत्र।

148. अनुज्ञप्ति का नवीकरण - (1) अनुज्ञप्ति का नवीकरण ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है :

परन्तु जो अनुज्ञप्ति मुख्य नियंत्रक द्वारा मंजूर की गई है उसका नवीकरण बिना फेरफार के मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा किया जा सकता है।

(2) प्ररूप 3 में या प्ररूप 17 में अनुज्ञप्ति से भिन्न, इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति तीन कलेंडर वर्षों के लिए नवीकृत की जा सकती है यदि अधिनियम का या उसके अधीन बनाए गए नियमों का या इस प्रकार नवीकृत अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ हो।

(3) जहां ऐसी कोई अनुज्ञप्ति जो एक वर्ष से अधिक के लिए नवीकृत की गई हो, उसके पर्यवसान के पूर्व अभ्यर्पित कर दी जाती है वहां अनुज्ञप्ति के अनवसित भाग के लिए संदत्त नवीकरण फीस अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जाएगी। परन्तु किसी ऐसे कलेंडर वर्ग के लिए नवीकरण फीस लौटाई नहीं जाएगी जिसके दौरान -

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी अभ्यर्पण के लिए नवीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है, या

(ख) अनुज्ञप्ति के प्राधिकार से कोई पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है या उसका भण्डारकरण किया है।

(4) उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदक प्ररूप 8, प्ररूप 9 या प्ररूप 10 में किया जाएगा और उसके साथ वह अनुज्ञप्ति जिसका नवीकरण होना है तथा अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुमोदित नक्शे जहां लागू हों और जहां नवीकरण फीस सही लेखा शीर्ष में जमा की गई है वहां जह दर्शित करने वाली मूल खजाना रसीद आवेदन के साथ भेजे जाएंगे।

(5) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास

उस तारीख से जिसको वह पर्यवसित होती है, कम से कम तीस दिन पूर्व पहुंच जाए और यदि आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो अनुज्ञप्ति उस तारीख तक प्रवृत्त समझी जाएगी जिसको अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करता है या जब तक कि आवेदक को यह संसूचित नहीं कर दिया जाता है कि अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार कर दिया गया है।

(6) जहां अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार कर दिया जाता है वहां नवीकरण के लिए संदत्त फीस, उसमें से अनुपाततः उतनी फीस की कटौती करके जितनी कि उस तारीख से जिससे कि अनुज्ञप्ति नवीकृत की जानी थी, आरम्भ होने वाली और जिस तारीख को नवीकरण से इंकार किया जाता है, उस तारीख तक की अवधि के लिए हो, अनुज्ञप्तिधारी को वापिस कर दी जाएगी।

(7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी कि उसकी मंजूरी के लिए ली जाती है:

परन्तु-

(i) यदि उपनियम (4) के अधीन अपेक्षित संलग्नकों के साथ आवेदन उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो अनुज्ञप्ति सामान्यतया से देय फीस से दुगुनी रकम की फीस का संदाय करने पर ही नवीकृत की जाएगी।

(ii) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संलग्नकों सहित आवेदन उसके पर्यवसान की तारीख के पश्चात् किन्तु पर्यवसान की तारीख से तीस दिन के अपश्चात् प्राप्त होता है तो अनुज्ञप्ति, ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस निमित्त की जा सकती है, सामान्यतया से देय फीस की दुगुनी रकम का संदाय करने पर नवीकृत की जा सकती है।

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के एक बार में एक कलेण्डर वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीकरण के लिए आवेदन की दशा में, प्रथम परन्तुक के खण्ड (i) या (ii) के अधीन विहित फीस, यदि संदेय हो तो केवल नवीकरण के प्रथम कलेण्डर वर्ष के लिए संदत्त की जाएगी।

(8) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को नवीकरण के लिए आवेदन उसके पर्यवसान के तीन दिन के पश्चात् प्राप्त करता है तो अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

149 अनापत्तिप्रमाण पत्र से इंकार : नियम 144 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर से इंकार करने वाला जिला प्राधिकारी ऐसे इन्कारों के कारणों को लेखबद्ध करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक को देगा :

परन्तु अपत्ति प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर दिया जाएगा।

150 अनापत्तिप्रमाणपत्र का रद्दकरण- (1) नियम 144 के अधीन मंजूर किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया जा सका है यदि जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी को स्थल का प्रयोग पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है:

परन्तु अनापत्ति प्रमाणपत्र को रद्द करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) अनापत्ति प्रमाणपत्र को रद्द करते समय जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार ऐसे रद्द करने के कारण को लेखबद्ध करेगा और अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश की एक प्रति अविलम्ब अनुज्ञप्तिधारी को और सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को देंगे।

151 अनुज्ञप्ति से इंकार : अनुज्ञप्ति मंजूर करने, नवीकृत करने या अन्तरित करने या उसमें कोई संशोधन करने से इंकार करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी भी इंकारी के कारण लेखबद्ध करेगा।

152 अनुज्ञप्ति व निलम्बन और रद्दकरण- (1) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति-

(i) रद्द हो जाएगी यदि अनुज्ञप्तिधारी को स्थल पर पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए कोई अधिकार नहीं रह जाता।

(ii) रद्द हो जाएगी यदि अनुज्ञप्तिधारी या राज्य सरकार द्वारा नियम 151 के उपनियम (1) के अनुसरण में अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के किसी उल्लंघन के कारण, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से, या केन्द्रीय सरकार के आदेश से, निलम्बित या रद्द की जा सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए यथेष्ट कारण हैं:

परन्तु-

(क) इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा:

(ख) निलम्बन की अधिकतम अवधि तीन मास से अधिक नहीं होगी: और

(ग) अनुज्ञप्ति निलम्बित हो जाने से अनुज्ञप्तिधारी नियम 148 के उपबंधों के अनुसरण में उसके नवीकरण के लिए आवेदन करने से विवर्जित नहीं हो जाएगा।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित दशाओं में अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया जा सकता-

(क) जहां अनुज्ञप्ति अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों में से किसी के या ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों के अतिक्रमण के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अन्तरिम उपाय के रूप में निलम्बित कर दी जाती है और उसकी राय में ऐसे अतिक्रमण से जनता को आसन्न खतरा होने की सम्भावना है:

परन्तु जहां अनुज्ञप्ति इस प्रकार निलम्बित की जाती है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को निलम्बन के आदेश को पुष्ट करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा: अथवा

(ख) जहां अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निलम्बित या रद्द की जाती है यदि वह सरकार समझती है कि लोकहित में या राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

(3) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी।

153 अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, निलम्बन या रद्दकरण की दशा में प्रक्रिया : (1) पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति व्यक्ति ऐसी अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, निलम्बन या रद्द की दशा में जिला प्राधिकारी को अपने कब्जाधीन पेट्रोलियम के वर्ग और मात्रा की सूचना तुरन्त देगा और उन निदेशों का पालन करेगा जो जिला प्राधिकारी, मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर उस पेट्रोलियम के व्ययन के संबंध में दे।

(2) जिला प्राधिकारी, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, निलम्बन या रद्दकरण की तारीख से तीन मास से अनधिक अवधि के लिए उस पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए जो अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के समय वस्तुतः अनुज्ञप्तिधारक के पास है, एक अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए मंजूरी दे सकता है:

परन्तु जहां पर्यवसित, निलम्बित या रद्द की गई अनुज्ञप्ति जिला प्राधिकारी से भिन्न प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई है वहां अस्थायी अनुज्ञप्ति ऐसे अन्य प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना मंजूर नहीं की जाएगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति पर प्रभार्य फीस, पर्यवसित या रद्द की गई या निलम्बित अनुज्ञप्ति पर प्रभारित फीस से अनुपाततः उतनी होगी जो स्थायी अनुज्ञप्ति की अवधि और पूरे वर्ष के बीच हैं।

154 अपीलें : (1) अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके संशोधन या नवीकरण से इन्कार या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलम्बन के किसी आदेश के विरुद्ध अपील-

(i) जहां आदेश मुख्य नियंत्रक ने पारित किया है, केन्द्रीय सरकार को की जाएगी।

(ii) जहां आदेश नियंत्रक ने पारित किया है तो मुख्य नियंत्रक को की जाएगी।

(iii) जहां आदेश जिला प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो जिला प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ अधिकारी को की जाएगी।

(iv) प्रपुंज पेट्रोलियम के प्रवहण के लिए अनुज्ञप्ति जलयानों की दशा में, नियम 33 के अधीन नियुक्त अधिकारी के ठीक वरिष्ठ अधिकारी को की जाएगी।

(2) जिला प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मंजूर करने से इन्कार या उसके रद्दकरण के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जाएगी जो उक्त जिला प्राधिकारी से ठीक वरिष्ठ है।

(3) प्रत्येक अपील लिखित में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है और पारित किए जाने के 60 दिन के भीतर पेश की जाएगी।

155. नियमों का दिया जाना—पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति के साथ नियम 3 से 12, नियम 102 से 134 नियम, 147 से 149 और नियम, 152 से 160 के उद्धरण अनुज्ञप्तिधारी को निःशुल्क दिए जाएंगे।

156. भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति का हस्तान्तरण - (1) पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के पूर्व किसी भी समय अनुज्ञप्ति का अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

2. अनुज्ञप्ति के हस्तान्तरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा—

(i) अनुज्ञप्ति धारक द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जिसमें उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता दर्शाया गया हो जिसे वह अनुज्ञप्ति का हस्तान्तरण करना तथा अनुज्ञप्त परिसरों का पूरा कब्जा देना चाहता है।

(ii) हस्तान्तरण के लिए आशयित अनुज्ञप्ति जिसके साथ अनुमोदित नक्शा संलग्न हो।

(iii) प्ररूप 9 में एक आवेदन जो उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् भरा गया है और हस्तान्तरित किया गया है जिसको अनुज्ञप्ति का हस्तान्तरण की मांग की गई है।

(iv) नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से संदत्त पांच सौ की फीस।

(3) उपनियम (2) के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों और फीस की प्राप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि वह हस्तान्तरण का अनुमोदन करता है तो, अनुज्ञप्ति पर, अपने हस्ताक्षर से, इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि अनुज्ञप्ति उस में नामित व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी गई है।

(4) जिस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति हस्तान्तरित कर दी जाती है उसे अनुज्ञप्ति के अधीन वही शक्ति प्राप्त होगी और वह उन्हीं बाध्यताओं के अधीन होगा जो मूल अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त थीं या जिनके कि वह अधीन था।

157 अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या निःशक्तता की दशा में प्रक्रिया— (1) यदि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है या अन्यथा निःशक्त हो जाता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का कारोबार चलाने वाला व्यक्ति मूल अनुज्ञप्ति की अनवसित अवधि के लिए अपने नाम में, उतनी अवधि के लिए जितनी कि उस वर्ग के सम्बन्ध में जिसमें कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु होती है या वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है अथवा अन्यथा निःशक्त हो जाता है, शेष है, नई अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवेदन करने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के कारण अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शास्ति का या अधिहरण का भागी नहीं होगा:

परन्तु इस उप नियम की कोई बात अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा इस उपनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग किया जाना प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) मूल अनुज्ञप्ति के शेष भाग के लिए नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ जिला प्राधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति के

पक्ष में जो ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर रहा है, जारी किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(3) मूल अनुज्ञप्ति की अनवसित अवधि के लिए इस नियम के अधीन आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के लिए दो सौ रुपये फीस प्रभारित की जाएगी।

158. अनुज्ञप्ति का खोना - जहां इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति खो जाती है या दुर्घटना वश नष्ट हो जाती है वहां उस नक्शे या नक्शों की, जो कि अनुज्ञप्ति से संलग्न नक्शे या नक्शों के समरूप हों, प्रतियां प्रस्तुत करने पर और दो सौ रुपये फीस का संदाय करने पर, एक दूसरी प्रति मंजूर की जा सकती है।

159. मांग किए जाने पर अनुज्ञप्ति का प्रस्तुत किया जाना- (1) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला या उसके अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर, उस स्थान पर जहां के लिए अनुज्ञप्ति लागू है, उसे अथवा उसकी अधिप्रमाणित प्रति, प्रस्तुत करेगा।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी अनुज्ञप्ति की प्रतियां:-

(क) प्रत्येक अधिप्रमाणित प्रति के लिए पचास रुपये फीस का संदाय करने पर और

(ख) अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुमोदित नक्शे या नक्शों के समरूप नक्शे या नक्शों की प्रति या प्रतियां प्रस्तुत करने पर, उस प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जा सकती हैं जिसने कि अनुज्ञप्ति मंजूर की है।

160. अतिलंघन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रक्रिया-जिला प्राधिकारी, अधिनियम या इन नियमों के अतिलंघन की मुख्य नियंत्रक द्वारा उसे की गई किसी रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना मुख्य नियंत्रक को देगा।

161. प्राधिकारियों पर कार्यपालक नियंत्रण- इस अध्याय के अधीन कार्य करने वाली केन्द्रीय सरकार से भिन्न, प्रत्येक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए करेगा:

परन्तु इस नियम की कोई भी बात मुख्य नियंत्रक की अपने अधीनस्थ अधिकारियों का नियंत्रण की कार्यपालक शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 8

पेट्रोलियम का परिष्करण

162. परिष्करणशाला का अनुमोदन-(1) कोई व्यक्ति तब तक पेट्रोलियम का परिष्करण भंजन, सुधार या सम्मिश्रण नहीं करेगा जब तक कि उस स्थान की, जहां पेट्रोलियम का परिष्करण भंजन, सुधार या सम्मिश्रण प्रस्थापित है (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् परिष्करण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), परियोजना रिपोर्ट, ऐसे विनिर्देशों और नक्शों सहित जिनमें परिष्करणशाला के टैंकों, आसोत्रों, भट्टियों, विद्युत संस्थापनों, पम्प हाउसों की सामान्य व्यवस्था, मल की निकासी, अभिक्रिया और व्ययन के लिए व्यवस्था, अग्निशमन के लिए व्यवस्था, बाड़, दरवाजे और सभी संयंत्र और भवन दिखाए गए हों, मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती।

(2) नई अपरिष्कृत तेल परिष्करण शालाओं में विभिन्न ब्लॉक, सुविधाएं, संसाधन एककों के डिजाइन और विन्यास ओआईएसडी मानक 118 में दिए गए डिजाइन दर्शन के अनुसार होंगे। यह इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित नई अपरिष्कृत तेल परिष्करण शालाओं, गैस संसाधन संस्थापनों को लागू होगा।

(3) पेट्रोलियम के परिष्करण भंजन, सुधार या सम्मिश्रण की वांछ रखने वाला कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित सहित एक आवेदन करेगा-

(i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट परियोजना रिपोर्ट और विनिर्दिष्ट तथा नक्शे तीन प्रतियों में, और

(ii) पांच हजार रुपये की संवीक्षा फीस, जो कि नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से दी जाएगी।

(4) विनिर्देशों और नक्शों के साथ परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य नियंत्रक, ऐसी और विशिष्टियां पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकता है जो वह विनिर्दिष्ट करें और अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि पेट्रोलियम इस प्रकार से परिभ्रजित, पुनरुत्पादित या सम्मिश्रित किया जा सकता है, वह आवेदक को विनिर्देशों और नक्शों का एक सेट अपने हस्ताक्षर सहित, तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, अपनी मंजूरी सहित वापिस कर देगा।

163. नक्शों और विनिर्देशों का रखा जाना- अनुमोदित नक्शों और विनिर्देशों में से प्रत्येक की एक समय-समय पर नियम 165 के अधीन मंजूर किए गए किन्हीं फेरफारों के साथ परीक्षणशाला में रखी जाएगी।

164. परिवर्तन- (1) परीक्षणशाला में ऐसा कोई परिवर्तन मुख्य नियंत्रक की लिखित पूर्व मंजूरी नहीं जाएगा जिसमें टैंकों, आसोत्रों, भट्टियों, संयंत्रों, पम्प हाउसों, विद्युत संस्थापनों या अग्निशमन सुविधाओं की सामान्य व्यवस्था या निम्न में परिवर्तन हो।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी परिवर्तन करने की वांछा रखने वाला परीक्षणशाला का अधिकारी मुख्य नियंत्रक के समक्ष निम्नलिखित के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा-

(i) प्रस्थापित फेरफारों को दर्शाने वाले विनिर्देशों और नक्शों की तीन-तीन प्रतियां और फेरफार के कारण, और

(ii) एक हजार रुपए की संवीक्षा फीस, जो कि नियम 13 में विहित रीति से दी जाएगी।

(3) मुख्य नियंत्रक परिवर्तन के लिए विनिर्देशों और नक्शों तथा कारणों की प्राप्ति पर ऐसी और विशिष्ट के पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकता है जो वह विनिर्दिष्ट करे और अपना यह समाधान हो जाने पर कि प्रस्थापित परिवर्तन किए जा सकते हैं, विनिर्देशों और नक्शों की एक प्रति अपने हस्ताक्षर सहित तथा, ऐसी शर्तों पर जो वह विहित करे, अपना अनुमोदन संसूचित करते हुए आवेदन को वापिस कर देगा।

165. अग्निसह सामग्री का प्रयोग- ऐसे सभी भवन और सुविधाएं जहां या जिनमें पेट्रोलियम की धराउठाई की जाती है, अग्निसह सामग्री से बनाए जाएंगे।

166. भण्डारकरण टैंकों की अवस्थिति- कोई भी भण्डारण टैंक किसी आसोत्र, बायलर या भट्टी से 90 मीटर से निकट पर स्थित नहीं होंगे:

परन्तु यह नियम बायलर के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए वर्ग ग पेट्रोलियम से युक्त भण्डारकरण टैंक को लागू नहीं होगा तथा ऐसा भण्डारकरण टैंक आकार में उतने से बड़ा नहीं होगा जितना कि उस आग को, जिसके लिए कि वह बायलर है, चौबीस घंटे तक बनाए रखने के लिए ईंधन के संरक्षण के लिए आवश्यक है।

167. द्रवित पेट्रोलियम गैसों के लिए भण्डारण टैंकों और सुविधाओं की अवस्थिति- द्रवित पेट्रोलियम गैसों के लिए भण्डारकरण टैंक या भराई सुविधाएं किसी आसोत्र बायलर या भट्टी से 90 मीटर से निकट या पेट्रोलियम के सम्मिश्रण या भराई के लिए किसी भण्डारकरण टैंक, पम्प हाउस या किसी सुविधा अथवा किसी संरक्षित निर्माण के नब्बे मीटर से निकट पर स्थित नहीं होंगे।

168. प्रदीप्ति (फ्लेयर) की अवस्थिति- पेट्रोलियम या द्रवित पेट्रोलियम गैसों के परीक्षण, भंजन, पुनरुत्पादन, सम्मिश्रण, भण्डारकरण या धरा-उठाई के लिए ऐसी प्रदीप्ति (फ्लेयर) से संलग्न निरसन ड्रम (नाक आउट ड्रम) और द्राव पुनः प्राप्ति पम्प (कंडेन्सेट रिकवरी पम्प) से भिन्न कोई टैंक, आसोत्र, पम्प हाउस या कोई अन्य सुविधा प्रदीप्ति (फ्लेयर) से 90 मीटर से निकट पर स्थित नहीं होगी।

169. निकास व्यवस्था- (1) इस बात से आश्वस्त होने के लिए यथेष्ट व्यवस्था की जाएगी कि परीक्षणशाला से निकलने वाला मल निस्राव और आस्राव और नदियों, सिंचाई सारणियों, जलाशयों या अग्रतटों को प्रदूषित नहीं करता है और किसी प्रकार से पशुओं या वनस्पति पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है।

(2) पम्प हाउसों से और सभी अन्य स्थलों से, जहां तेल का संरोहण किया जा सकता है, मल निस्राव यथेष्ट आकार

के एक क्षमतापूर्ण तैल अपरोहरण पद्धति से गुजारा जाएगा।

(3) सभी रासायनिक अपशिष्टों को, इससे पूर्व कि वे परिष्करणशाला के क्षेत्र से बाहर जाएं, हानिरहित कर दिया जाएगा।

(4) सभी सीवर अन्य जल निकासी प्रणाली से पृथक होंगे।

(5) सभी नालियां ऐसी यथेष्ट क्षमता की होंगी ताकि उनमें से पदार्थों का बाहर निकल बहना या पीछे की ओर बहना रोका जा सके तथा उनकी बनावट ऐसी होगी कि उनमें से होने वाला कोई च्यवन चतुर्दिक भूमि पर जाने से रोका जा सके।

(6) वे नालियां जिनमें अपशिष्ट रसायनों का प्रवहण किया जाए इस प्रकार की होंगी कि उन पर उन रसायनों का प्रभाव न पड़े।

(7) नालियों में, जहां कचरे के आगे बहने से नाली को मूंद देने की सम्भावना हो, मलवा रोक जालियां लगाई जाएंगी।

(8) बन्द नालियों में, जहां दिशा में एक साथ परिवर्तन होता हो, तथा सीधे सैक्शन में भी युक्तियुक्त दूरियों पर डंडे से सफाई के लिए नरद्वार रखे जाएंगे।

(9) जहां बंद नालियों में उपस्थित दूषित मल स्राव से अलग होने वाली गैसों को निकालने के लिए संवातनों की व्यवस्था की जाती है वहां वे ऐसे स्थान पर लगाए जाएंगे जहां उनसे खतरा या क्षोभ पैदा होने की सम्भावना न हो।

(10) सभी नालियों में ज्वाला को बढ़ने से रोकने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अग्निरोधक/जल मुड़ांस लगाए जाएंगे।

(11) जहां नालियों में गैस रोधक लगाए जाते हैं वे तेल संरोहण के प्रवाह की दिशा में बनाए जाएंगे और ऐसे गैस रोधकों को साथ संवातक लगाए जाएंगे ताकि गैस को उतनी ऊंचाई पर छोड़ा जा सके जिससे खतरा या क्षोभ पैदा न हो।

170. अग्नि और धूमपान- (1) आसोत्रों और वायलरों के भिन्न स्थानों पर कहीं कोई अग्नि, भट्टी, ताप या प्रकाश का स्रोत, जिससे ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित हो सकती है, अनुज्ञात नहीं होंगे।

(2) मुख्य नियंत्रण द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अनुमोदित स्थानों या भवनों के सिवाय, कहीं पर भी धूमपान की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

171. रख-रखाव और मरम्मत कार्य करने के लिए अनुज्ञा पत्र- (1) बंद स्थानों में जिसके अन्तर्गत बन्द नाली या नरछिद्र भी हैं, कोई भी रखरखाव या मरम्मत का कार्य करने की और प्रवेश करने की अनुज्ञा, परिष्करणशाला के अधिभोगी द्वारा प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किए गए ओ आई एस डी मानक-105 के अनुसार लिखित अनुज्ञा पत्र के अधीन और उसके अनुसार ही होंगी अन्यथा नहीं।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति, अनुज्ञा पत्र जारी करने से पूर्व, निरीक्षण करके, और जहां कहीं भी आवश्यक हो परीक्षण करके, अपना यह समाधान कर लेगा कि जलयान स्थल या उपस्कर की दशा, उस कार्य के लिए सर्वथा सुरक्षित हैं जो किया जाना है और अनुज्ञा पत्र पर उन शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा जिनके अन्तर्गत कार्य को सुरक्षापूर्वक किया जा सकता है।

(3) रखरखाव या मरम्मत कार्य करने के लिए अनुज्ञा पत्र ऐसे सीमित और उल्लिखित अवधि के लिए जारी किया जाएगा जिसके दौरान ज्ञात दशाएं सुरक्षित रहेंगी और ऐसा अनुज्ञा पत्र जलयान, स्थल या उपस्कर के पुनर्निरीक्षण और पुनर्परीक्षण के बिना नवीकृत नहीं किया जाएगा।

(4) अनुज्ञा पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए सभी गैस परीक्षण उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ऐसे यंत्र से किए जाएंगे जो ऐसे उपस्कर के विनिर्माता द्वारा, उनसे संबंधित अनुदेश निर्देशिका में इस निर्मित सिफारिश किए गए अन्तरालों पर अनुसंशोधित किये जाते हैं और उनकी जांच की जाती है।

(5) ऐसे जलयानों दशा में जिनमें लैंड फ्लूयिड से सम्मिश्रित उत्पाद थे, फ्लूयिड के प्रदाय कर्ता द्वारा अधिकथित

विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

172. अग्नि-नियंत्रण- (1) प्रत्येक अपरिष्कृत तेल परिष्करण शाला, सुगठित और प्रशिक्षित अग्नि शमन सेवा द्वारा अग्नि के विरुद्ध पूर्णतया संरक्षित होगी जिसमें तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मानक 116 के अनुसार अग्नि शमन के लिए आवश्यक सामग्री और स्थिर चल और सुवाह्य उपस्कर होंगे। यह इस नियम के प्रकाशन के पश्चात् मुख्य नियंत्रक अनुमोदित नई अपरिष्कृत तेल परिष्करण शालाओं गैस संसाधन संस्थापन को लागू होगा:

2) परिष्करणशाला में सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर जल की पर्याप्त आपूर्ति स्वतंत्र मुख्य लाइन या ग्रिड के साधनों द्वारा जिसमें पृथक्करण बल्ब लगे होंगे, उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य लाइन पर दो या दो या से अधिक अधिमान्यतः पर्याप्त क्षमता के ब्रूस्टिंग पंपों द्वारा लगातार दबाव रखा जाएगा जो मुख्य लाइन में दबाव की किसी महत्वपूर्ण कमी के समय स्वचालित रूप से कार्य कर सकें। कम से कम एक ब्रूस्टिंग पंप सामान्य विद्युत प्रदाय से स्वतंत्र होगा।

3) सभी मुख्य लाइनों में परिसंकटमय क्षेत्रों में तीस मीटर से अनधिक की दूरी पर और गैर परिसंकटमय क्षेत्र में 45 मीटर से अनधिक की दूरी के सुविधाजनक स्थानों पर बंबे फिट किए जाएंगे। ऐसे बंबे प्रचालन दशओं के लिए और चल पंपों को जोड़ने के लिए उपयुक्त डिजाइन के होंगे।

4) जहां मुख्य जल प्रदाय लाइन में व्यवधान हो सकता है वहां पर्याप्त क्षमता की स्थिर जल प्रदाय, जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

5) सभी परिष्करणशाला कार्मिकों को प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन साधनों के उपयोग में अभ्यास कराया जाएगा और चयनित परिष्करणशाला कार्मिक अग्निशमन के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किए जाएंगे।

6) मुख्य नियंत्रक उपनियम (1) से (5) के उपबंधों में से किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा या अग्निशमन के अतिरिक्त उपबंध किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, यदि वह ऐसे शिथिलीकरण या अतिरिक्त अग्निशमन उपबंधों को परिष्करणशाला के किसी वर्ग की बाबत आवश्यक समझता है।

173. पेट्रोलियम का हटाया जाना- आस्त्रोत्र से निकलने के पश्चात् सभी पेट्रोलियम सिवाय उतनी मात्रा के जितनी कि ईंधन के लिए सर्विस टैंकों में सीधी पम्प की जाती है, तुरन्त परिष्करणशाला के भण्डारकरण टैंकों में पम्प से भरी जायगी और उसका भण्डारकरण असोत्त और वायलरों के ठीक आसपास नहीं किया जायगा:

परन्तु मुख्य नियंत्रक पेट्रोलियम के अन्यथा रूप से व्यनित किए जाने की अनुज्ञ दे सकता है।

174. स्थितिक विधुत से खतरे की रोकथाम-विधुत के खतरनाक स्थैतिक चार्ज के संग्रहण की रोक थाम के लिए यथेष्ट व्यवस्था की जाएगी।

175. चेतावनी सूचनाएं- (1) अप्रधिकृत व्यक्ति, खुले प्रकाश, धूम्रपान और अन्य संकटों के निवारण की बाह्य चेतावनी की सूचनाएं परिष्करणशाला में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुदृश्य रूप से संप्रदर्शित की जाएंगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय परिष्करणशाला से एक किलोमीटर के अर्द्धव्यास के भीतर किसी/की कोई आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

176 पाइप लाइनों और केबिलों का चिह्निकन- (1) भूमि के ऊपर की सभी पाइप लाइनों और केबलों की पहचान टेप लगाकर, छापा लगाकर, स्पष्ट रूप से रंग कर के या किसी अन्य उपयुक्त पद्धति से कराई जाएगी।

(2) सड़क के आर पार जाने वाली सभी शीर्षोपरि पाइपलाइनों और केबलें का दुर्घटना से होने वाली क्षति से यथेष्ट रूप से बचाव किया जाएगा।

(3) लदाई और उतराई वाली बर्थों पर पाइप लाइनों और वाल्वों को उत्पाद की पहचान के लिए सदृश्य रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(4) सभी भूमिगत केबलों के मार्ग दृश्य चिह्नों से अंकित किए जाएंगे। कम से कम ऐसे दो चिह्न केबल के मार्ग पर किसी भी स्थान से दृष्टिगम्य होने चाहिए।

(5) सभी भूमिगत पाइप लाइनों का मार्ग दृश्य चिह्नों से या किसी अन्य प्रभावी साधन से अंकित किया जाएगा ताकि पाइप लाइनों का दुर्घटना से होने वाली क्षति से बचाव किया जा सके।

177. निरीक्षण- सभी संयंत्रों, यंत्रों और उपस्करों का, जिसके अन्तर्गत अग्नि शमन उपस्कर भी हैं, समय-समय पर निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण और परीक्षण कब किए जाएं यह व्यावहारिक और अन्य सुसंगत आधार पर निर्भर होगा तथा सभी ऐसे निरीक्षणों का अभिलेख रख जाएगा।

178. सुरक्षित प्रचालन- (1) परिष्करणशाला में नियोजित सभी प्रचालक, संयंत्रों और उपस्करों के निरापद प्रचालन में यथेष्ट रूप से प्रशिक्षित होंगे।

(2) संयंत्रों या संयंत्रों के सेक्शनों के सुरक्षापूर्वक चलाने, बन्द करने और उन्हें गैस मुक्त करने के लिए तथा आपात की दिशाओं में सुरक्षा की कार्यवाही करने के लिए प्रचालकों के लिए लिखित परिक्रियाएं स्थापित की जाएंगी।

(3) प्रचालनों के सभी प्रक्रमों पर पर्यवेक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए तथा आपात की दिशाओं में सुरक्षा की अनुसार समुचित रूप से पृथक रख जाता है या जोड़ा जाता है तथा प्रचालन के दौरान सुरक्षा प्रसुविधाएं उपलब्ध रहती हैं।

179) आग की सूचना- परिष्करणशाला के तत्समय प्रभारी व्यक्ति द्वारा परिष्करणशाला में आग की सूचना अविलम्ब मुख्य नियंत्रक को और निकटतम पुलिस थाने को की जाएगी।

180) परिष्करणशाला का बन्द होना- यदि कोई परिष्करणशाला बन्द कर दी जाती है तो उसके चतुर्दिक बाड़े के भीतर के क्षेत्र में से ऐस पेट्रोलियम, जिसका स्फुरांक 59° सेंटीग्रेड से कम हो, यथासम्भव शीघ्र हटा दिया जाएगा।

अध्याय 9

टेट्राएथिल लीड मिश्रण

181. टेट्राएथिल लीड मिश्रण को मिलाया जाना - पेट्रोलियम के साथ, उस उपस्कर में के सिवाय टेट्राएथिल लीड सम्मिश्रित नहीं किया जाएगा जो मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित किया जाए और वह ऐसे अनुपात में और ऐसी शर्तों के अधीन सम्मिलित किया जाएगा जो उसके द्वारा समय पर अवधारित किए जाएं।

182. टेट्राएथिल लीड मिश्रण का मिलाया जाना - टेट्राएथिल लीड मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित उपस्कर में के सिवाय सम्मिश्रित नहीं किया जाएगा और ऐसी मात्रा में सम्मिश्रित किया जाएगा जो सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो।

183. विशेष शर्तों का विहित किया जाना - मुख्य नियंत्रक समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा ऐसी विशेष शर्तें विहित कर सकता है जिनका अनुपालन एथिल तरल के साथ पेट्रोलियम के मिलाए जाने, लेड युक्त पेट्रोलियम की धरा उठाई या ऐसे भण्डारकरण टैंकों की, जिनमें लेडयुक्त पेट्रोलियम रखा गया हो, सफाई या मरम्मत के दौरान किया जाएगा।

184. लीडयुक्त पेट्रोलियम का रंजन- जनसाधारण के आपूर्ति किए जाने के पूर्व पेट्रोलियम और टेट्राएथिल लीड के प्रत्येक मिश्रण को पहचान के लिए रंगीन किया जाएगा।

185. पात्रों का चिह्नांकन - पेट्रोलियम और टेट्राएथिल लीड को मिश्रण वाले टैंकों से भिन्न पात्रों पर, सिवाय तब के जब वे संघ के रक्षा बलों के कब्जाधीन हों, निम्नलिखित शब्दों में एक चेतावनी रहेगी, अर्थात् :-

“चेतावनी”

इस स्पिरिट में लेड है और इसका प्रयोग केवल मोटर ईंधन के रूप में किया जाए।

अध्याय 10

पेट्रोलियम का परीक्षण

186. नमूना लेना- (1) सभी मामलों में नमूने लेने वाला अधिकारी नमूने लेने का व्यक्तिगत रूप से अधीक्षण करेगा और नमूना कम से कम एक साक्षी की उपस्थिति में लिया जाएगा। जहां नमूना बिना खुले मूल पात्र से लिया जाता है जिसमें प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम है वहां पात्र केवल उतना खोला जाएगा जितने में से नमूना शीघ्रता से पात्र में से निकाला जा सके।

(2) एक एक लीटर की क्षमता की दो बोतलों में, उनकी क्षमता के नौ बटा दस भाग तक, नमूना भरा जाएगा और उनमें डाट बंद कर दी जाएगी। डाट जहां तक जा सकती है, लगाई जाएगी और बोतल के मुंह के स्तर के समानान्तर काट दी जाएगी और डाट में पिघलाया हुआ लाख लगाया जाएगा तथा बोतल को दक्षतापूर्वक सीलबंद कर दिया जाएगा।

(3) भारत में आयात किए गए पेट्रोलियम की दशा में, नमूनों से युक्त बोतलों को सीलबंद किए जाने के पश्चात् उन पर पारेषिती के नाम, उस पोत या वाहन कि विशिष्टियों जिससे उसका आयात किया गया है, और ऐसे अन्य सुभिन्नक चिह्न, जैसे कि आवश्यक हों, सहित लेबल लगाया जाएगा।

187. नमूनों को भेजा जाना और उनका रखा जाना - नियम 186 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट बोतलों में से एक आवश्यकता पड़ने पर निर्देश के लिए परिरक्षित रखी जाएगी और दूसरी परीक्षण अधिकारी को भेज दी जाएगी।

188. नमूनों के परिदान की प्रक्रिया - (1) जब पोत के मास्टर या उसके अधिकर्ता द्वारा या आयातकर्ता के अधिकर्ता द्वारा नियम 17 या नियम 26 के अधीन अपेक्षित घोषणा कर दी जाती है जब नमूना लेने वाला अधिकारी ऐसे सभी पेट्रोलियम का आयात के स्थान पर उतारे जाने के लिए आशयित हैं। यदि आयातकर्ता ऐसी वांछा करता है तो नमूना लेने वाला अधिकारी ऐसे सभी पेट्रोलियम के नमूने भी लेगा जो किसी अन्य पत्तन या भारत में आयात के स्थान पर उतारे जाने के लिए आशयित हैं:

परन्तु यदि यह घोषणा कर दी जाती है कि पेट्रोलियम 'क' वर्ग का पेट्रोलियम है तो कोई नमूना लेना आवश्यक नहीं है।

(2) उस पोत का मास्टर या वाहन का तत्समय प्रभारी व्यक्ति, जिसके द्वारा पेट्रोलियम का आयात किया जाता है, नमूना लेने वाले अधिकारी को, निःशुल्क, ऐसे पेट्रोलियम में सम्मिलित प्रत्येक किस्म के पेट्रोलियम का, जिसका नमूना उपनियम (1) के अधीन लिया जाना है, नमूना देगा। ऐसे नमूने, यदि नमूना लेने वाला अधिकारी ऐसी अपेक्षा करता है तो, उसके द्वारा बताए गए किन्हीं पात्रों में से लिए जाएंगे :

परन्तु जहां पेट्रोलियम केसों में हो तब नमूने उस समय लिए जा सकते हैं जब पेट्रोलियम उतारा जा रहा है।

189. आयात स्थोरा के नमूनों का चयन - आयात किए जाने वाले स्थोरा में सम्मिलित प्रत्येक ब्रांड या क्वार्टी के न्यूनतम नमूनों का चयन निम्नलिखित पेट्रोलियम के अनुसार किया जाएगा -

(i) केसों में - प्रत्येक दस हजार केसों या उनके भाग के लिए एक नमूना ;

(ii) कास्को या ड्रमों में, यदि यह घोषित किया जाए कि ब्वालिटी एक समान हैं तो - प्रत्येक छह सौ किलो लिटर या उसके भाग के लिए एक नमूना ;

(iii) प्रपुंज या टैंकों में - प्रत्येक टैंक या प्रत्येक टैंक कम्पार्टमेंट से एक नमूना ।

190. मानक परीक्षण साधित्र - मानक परीक्षण साधित्र -

(क) प्रत्येक प्रकार से भारतीय मानक विनिर्देश संख्या आई. एस. - 1449 (भाग 1) (पृष्ठ 20) या (पृष्ठ 21) के, जैसा लागू हो, और तत्समय प्रवृत्त हो, अनुरूप होना चाहिए ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा परीक्षण किया हुआ होना चाहिए और प्रमाणित होना चाहिए ।

191. साधित्र का प्रमाणन - (1) जब पेट्रोलियम के स्फुरांक के अवधारण के लिए कोई साधित्र अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष मानक परीक्षण साधित्र के साथ तुलना के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह अधिकारी साधित्र का, जिसके अन्तर्गत थर्मामीटर और बैरोमीटर या एनेरॉयड भी है, परीक्षण करेगा ।

(2) अधिनियम की धारा 16 के अधीन अनुदत्त कोई प्रमाणपत्र मंजूर नहीं किया जाएगा यदि साधित्र, कोई थर्मामीटर या बैरोमीटर किसी भी प्रकार से भारतीय मानक संख्या आई. एस. - 1448 (भाग 1) (पृष्ठ 20) या (पृष्ठ 21) के जैसा कि लागू हो, और तत्समय प्रवृत्त हो, अधीन अधिकथित सहायता और अनुज्ञात भिन्नताओं से पृथक है ।

(3) किसी ऐसे साधित्र जो आई एस 1448 (भाग 1) (पृष्ठ 20) (पृष्ठ 21) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर साधित्र परीक्षण मानक के अनुरूप पाया गया है जैसा कि लागू हो और तत्समय प्रवृत्त हो, की बाबत प्ररूप 4 में प्रमाण पत्र मंजूर किया जाएगा ।

192. प्रमाणपत्र रजिस्टर - नियम 191 अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों का रजिस्टर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा प्ररूप 5 में रखा जाएगा ।

193. परीक्षण की पद्धति - (1) परीक्षण अधिकारी नमूनों का परीक्षण, भारतीय मानक विनिर्देश संख्या आई. एस. 1448 (भाग 1) (पृष्ठ 20) या (पृष्ठ 21), जैसा कि लागू हो और तत्समय प्रवृत्त हो, उपवर्णित रीति से करेगा ।

(2) सभी मामलों में कम से कम तीन नमूनों का पृथक-पृथक परीक्षण किया जाएगा । तीनों पठनों के औसत को, थर्मामीटर सुधार, यदि कोई हो के लिए और विवाद की दशा में बैरोमीटरी सुधार के लिए, यही किया जाएगा ।

(3) यदि औसत स्फुरांक 23 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्नतर नहीं तो उस समस्त पेट्रोलियम को जिसका कि वह नमूना है वर्ग ख या ग का पेट्रोलियम इस बात के अनुसार समझा जाएगा कि परीक्षण से अवधारित औसत स्फुरांक क्या है ।

(4) यदि परीक्षण किए जाने वाला पेट्रोलियम श्यान या ठोस है या उसमें तलछट अथवा प्रगाढ़कारी संघटक है तो ऐसे पेट्रोलियम का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार परीक्षण किया जाएगा ।

194. जब परीक्षणों से एकरूपता की कमी प्रकट हो तब प्रक्रिया - (1) आयतित स्थोरा से लिए गए नमूनों की परीक्षण करने के पश्चात् यदि परीक्षण अधिकारी, अपना यह समाधान करने के लिए कि कोई भी पेट्रोलियम 'क' वर्ग का पेट्रोलियम नहीं है और आगे परीक्षण करना आवश्यक समझता है तो वह सीमा शुल्क आयुक्त को तदनुसार रिपोर्ट करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, -

(क) जब परेषण केसों या कास्कों या ड्रमों में आयात किया जाता है तब सीमाशुल्क आयुक्त प्रश्नगत पेट्रोलियम को उतरवाएगा और अधिक से अधिक 1500 केसों या कास्कों या ड्रमों में स्टैक कराएगा, या नावों में उतरवाएगा, से प्रत्येक में अधिक से अधिक 1500 केस, कास्क या जिनमें ड्रम रखे तजाएंगे, तथा नमूने लेने वाला अधिकारी प्रत्येक लाट से एक नमूने का चयन करेगा और उसे परीक्षण अधिकारी को परिदत्त करेगा ।

(ख) जहां परेषण का आयात प्रपुंज मात्रा में किया जाता है वहां नमूने लेने वाला अधिकारी एक और नमूना अग्रेषित करेगा तथा सीमाशुल्क आथवा परीक्षण अधिकारी को एक और रिपोर्ट प्राप्त होने पर्यन्त, प्रश्नगत टैंक के माल के किसी भाग के

उतारे जाने को निवारित कर सकता है या उसे उतारने की अनुज्ञा नियम 21 के अधीन उपबन्धित के अनुसार दे सकता है ;

(ग) यदि पेट्रोलियम पहले ही उतारा जा चुका है और नियम 21 के अधीन उसका भण्डारकरण किया जा चुका है तो-

(i) यदि वह प्रपुंज से भिन्न अन्यथा है तो उसे लाटों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक लाट से खण्ड (क) में उपबन्धित के अनुसार नमूने का चयन किया जाएगा;

(ii) यदि वह प्रपुंज में है तो प्रत्येक पृथक भण्डारकरण टैंक से, जिसमें पेट्रोलियम है, नमूना लिया जाएगा ।

195. **परीक्षण प्रमाणपत्र** - (1) परीक्षण अधिकारी, यथासाध्य शीघ्रता से, और सामान्यतया नमूने की प्राप्ति के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर, प्ररूप 6 में एक प्रमाण पत्र तैयार करेगा और उसे पोत के फलक पर से या उस यान, जिसके द्वारा पेट्रोलियम का आयात किया जाता है, में से लिए गए पेट्रोलियम के नमूनों की दशा में परीक्षण प्रमाणपत्र को सीमाशुल्क अथवा को, और अन्य नमूनों की दशा में नमूने प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(2) परीक्षण अधिकारी, किसी सम्बद्ध व्यक्ति के निवेदन पर, प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति दो सौ रुपए फीस के संदाय पर प्ररूप 6 में देगा ।

196. **निरीक्षण और तुलना के लिए फीस** -

(1) मानक परीक्षण साधित्र के प्रत्येक निरीक्षण की फीस एक सौ रुपए होगी ।

(2) प्राइवेट स्वामित्वाधीन परीक्षण साधित्र की मानक साधित्र के साथ तुलना की फीस निम्नलिखित के अनुसार होगी

(रुपए में)

परीक्षण साधित्र	500 रुपए
बैरोमीटर	200 रुपए
थर्मामीटर	100 रुपए

197. **परीक्षण फीस** - (1) पेट्रोलियम के प्रत्येक नमूने के परीक्षण की फीस पांच सौ रुपए होगी :

परन्तु इस उपनियम के अधीन प्रभार्य कुल फीस किसी एक पोत, अन्य जलयान, रेलगाड़ी या स्थान में पेट्रोलियम के किसी एक परेषण की दशा में पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(2) प्रत्येक नमूने के अधिनियम की धारा 20 के अधीन पुनः परीक्षण की फीस एक हजार रुपए होगी । यदि मूल परीक्षण ऋटिपूर्ण साबित होता है तो यह फीस वापिस कर दी जाएगी ।

198. **प्रवेश करने, निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति** -

(1) नीचे सारणी से स्तंभ (1) में 'विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ 2 में तत्संबंधी विधि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर -

(क) ऐसे किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और तलाशी ले सकता है यदि .के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां कोई पेट्रोलियम आयात, परिवहन, भण्डारकरण, उत्पादित, परिष्कृत या अश्रित किया जा रहा है अथवा परिवहन किए जाने वाला है और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि वे अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार है, उनके संबंध में प्रयुक्त किए गए सभी पात्रों संयंत्रों और साधित्रों का निरीक्षण कर सकता है;

(ख) उनमें पेट्रोलियम के लिए तलाशी ले सकता है;

(ग) उसमें पाए गए किसी पेट्रोलियम के परीक्षण के लिए नमूने ले सकेगा और लिए गए मूल्य का नकद में संदाय कर सकेगा; और

(घ) किसी पेट्रोलियम या कोई सामग्री जिसके पेट्रोलियम होने का संदेह हो अथवा वहां प्रयुक्त किए जाने वाले

किसी उपस्कर या साधित्र को उससे संबंधित दस्तावेजों सहित जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, का अधिग्रहण कर सकेगा, निरुद्ध कर सकेगा और हटा सकेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	अधिकारिता की सीमा
(1)	(2)
मुख्य नियंत्रक और विस्फोटक नियंत्रक	सम्पूर्ण भारत
सभी जिला मजिस्ट्रेट	उनकी अपनी अधिकारिता
जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी मजिस्ट्रेट	उनके अपने अधिकार क्षेत्र
निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी प्राधिकार विस्तारित है।	वह क्षेत्र जिस पर उनका

(2) जब कभी मुख्य नियंत्रक से भिन्न कोई अधिकारी, इस नियम के अधीन किसी पेट्रोलियम या उससे संबंधित कोई सामग्री या उससे संबंधित किन्हीं दस्तोवेजों का अधिग्रहण करता है, निरुद्ध करता है या उन्हें हटाता है तो वह तुरन्त उस तथ्य की रिपोर्ट टेलीग्राम द्वारा मुख्य नियंत्रक या उस नियंत्रक को करेगा जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है जहां अधिग्रहण आदि और जहां कोई अधिकारी, जो जिला अधिकारी नहीं है, किसी पेट्रोलियम या उससे संबंधित किसी सामग्री या उससे संबंधित किन्हीं दस्तावेजों का इस नियम के अधीन अधिग्रहण करता है, निरुद्ध करता है या उन्हें हटाता है तो वह, जो मामले के तथ्यों की सूचना मुख्य नियंत्रक और उस नियंत्रक को देगा जिसकी वहां अधिकारिता है।

(3) जहां इस नियम के अनुसार कोई नमूने लिए गए हैं वहां उनका परीक्षण इन नियमों के अध्याय 10 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(4) जब कभी इस नियम के अधीन कोई पेट्रोलियम अधिग्रहण किया जाता है, तब उसे मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा परीक्षा किए जाने तक और उसके व्ययन के संबंध में उससे अनुदेश प्राप्त होने तक यथेष्ट सुरक्षा के अधीन भंडारकृत किया जाएगा।

(5) जब कभी इस नियम के अधीन तलाशियां ली गई हैं, तो वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार ली जाएंगी। पुलिस के सभी अधिकारी और जिला प्राधिकारी इस अधिनियम और नियमों के अधीन निष्पादन में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की सहायता करेंगे।

(6) जब कभी कोई व्यक्ति स्वयं या उसके नियोजन में का कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन सम्यक्तः नियुक्त किसी अधिकारी, जो उसके अधीन अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य कर रहा है के कार्य में स्वैच्छया बाधा डालता है या प्रतिरोध करता है या अन्यथा हस्तक्षेप करता है अथवा जानकारी देने से इंकार करता है या असफल रहता है अथवा जानबूझ कर झूठी या भ्रामक सूचना देता है तो उस व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन अपराध किया गया समझा जाएगा।

199. पेट्रोलियम का नष्ट किया जाना - मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक ऐसे किसी पेट्रोलियम या ऐसी सामग्री या संबंधित उपस्कर को नष्ट कर सकता है जिसकी बाबत मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है अथवा जो उसकी राय में अब भंडारकरण, परिवहन या उपयोग के योग्य नहीं रहा है। पेट्रोलियम, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या परिसर के खर्च पर नष्ट किया जाएगा।

अध्याय 11

दुर्घटना की सूचना

200. दुर्घटना की सूचना - (1) किसी दुर्घटना की, अधिनियम की धारा 27 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना तुरन्त-

(क) मुख्य नियंत्रक को टेलीफोन/फैक्स द्वारा और तार (तार का पता - विस्फोटक नागपुर) द्वारा भी दी जाएगी और चौबीस घंटे के भीतर के ब्यौरे देते हुए एक पत्र भेजा जाएगा, और

(ख) निकटतम पुलिस थाने के भार साधक आफिसर को संचार के शीघ्रतम साधन से दी जाएगी।

(2) मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि के आने पर्यन्त, या मुख्य नियंत्रक से यह अनुदेश प्राप्त होने पर्यन्त कि वह कोई और अन्वेषण या जांच नहीं करवाना चाहता है, सभी सिवाय वहां जहां कि उसका उठाया जाना ज़रूरी व्यक्तियों के बचाव के लिए और दुर्घटना में मरने वाले किन्हीं व्यक्तियों के शवों के निकालने के लिए, या रेलों की दशा में संचार व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक है, ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा।

अध्याय 12

छूट

201. छूट देने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार, मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर, असाधारण मामलों में, आदेश द्वारा पेट्रोलियम के किसी वर्ग या वर्गों को इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों से, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकती है।

202. निरसन और व्यावृत्ति - (1) पेट्रोलियम नियम, 1976 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी -

(i) उक्त नियमों के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्तियां या उनकी द्वितीय प्रतियां तथा अधिरोपित, या उदगृहीत सभी फीसों उन नियमों के तत्संबंधी उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति, मंजूर की गई, नवीकृत, अधिरोपित या उदगृहीत समझी जाएंगी; और

(ii) किसी अधिसूचना या नियम द्वारा उसके अधीन किए गए सभी अनुमोदन और प्रदत्त सभी शक्तियां, वहां तक जहां तक कि वे अधिनियम के और नियमों से संगत हैं, इन नियमों द्वारा या उनके अधीन किए गए समझे जाएंगे या प्रदत्त की गई समझी जाएंगी।

प्रथम अनुसूची

खण्ड	अनुज्ञप्ति प्ररूप	किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई	अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	फीस
1	2	3	4	5
1	3	जलमार्ग से प्रपुंज पेट्रोलियम के वहन के लिए	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी	100 टन से अनधिक सकल टन भार के पोतों और यानों के लिए जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि या भाग के लिए 5000 रुपए। अतिरिक्त सकल 50 टन या उसके भाग के लिए -1000 रुपए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 500 रु.
2	11	भूमार्ग से यंत्र चालित यानों द्वारा पेट्रोलियम के वहन के लिए	नियंत्रक	
3	12	300 लीटर से अनधिक मात्रा में वर्ग क पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण के लिए	जिला प्राधिकारी	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 200 रुपए।
4	13	25,000 लीटर से अनधिक मात्रा में प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न वर्ग ख पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण के लिए	जिला प्राधिकारी	कैलेंडर वर्ष या के लिए प्रत्येक 1000 लीटर या उसके भाग के लिए 20 रुपए।

5	14	मोटारसवारी के ईंधन के लिए पंप आउटफिट सहित टैंक या टैंकों में पेट्रोलियम के भण्डारकरण के लिए	नियंत्रक	पेट्रोलियम के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए प्रथम 50 किलोलीटर के लिए 1000 रुपए और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति अतिरिक्त किलोलीटर या भाग के लिए 15 रुपए।
6	15	किसी संस्थापन में पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण करने के लिए	मुख्य नियंत्रक द्वारा इस इस विभिन्न प्राधिकृत मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक	पेट्रोलियम के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए प्रथम 50 किलोलीटर के लिए 1000 रुपए और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 15,000 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति अतिरिक्त किलोलीटर या भाग के लिए 15 रुपए।
7	16	प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न (क) 300 लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग क पेट्रोलियम (ख) 25 हजार लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग ख पेट्रोलियम (ग) 45 हजार लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग ग पेट्रोलियम या (घ) पेट्रोलियम के भागतः एक वर्ग और भागतः दूसरे वर्ग, के आयात और भण्डारकरण के लिए	नियंत्रक	पेट्रोलियम के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए प्रथम 50 किलोलीटर के लिए 1000 रुपए और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति अतिरिक्त किलोलीटर या भाग के लिए 15 रुपए।
8	17	वर्ग क पेट्रोलियम 5000 लीटर से अनधिक मात्रा में केवल फसलों पर छिड़काव के संबंध में वायुयानों के पुनः ईंधन भरने के लिए अस्थायी भण्डारकरण के लिए	नियंत्रक	पेट्रोलियम के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए प्रथम 50 किलोलीटर के लिए 1000 रुपए और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति अतिरिक्त किलोलीटर या भाग के लिए 15 रुपए।
9	विशेष प्ररूप	अनुच्छेद 3,4,5,6,7 में उपबंधित न किए गए वर्ग के पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण के लिए	नियंत्रक	पेट्रोलियम में प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए प्रथम 50 किलोलीटर के लिए 1000 रुपए और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति अतिरिक्त किलोलीटर या भाग के लिए 15 रुपए।
10	18	यंत्र चालित यान से कंटेनरों में केरोसीन (पेट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिए	नियंत्रक	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए या उसके भाग के लिए 200 रुपए।
11.	19	पेट्रोलियम वर्ग क/ख का प्रपुंज में परिवहन यंत्र चालित यान अर्थात् रीफ्यूलर द्वारा वायुयानों, भारी यानों/मशीनरी और स्थैतिक उपस्करों का स्थल पर पुनः ईंधन भरने के लिए	नियंत्रक	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए या उसके भाग के लिए 500 रुपए।

द्वितीय अनुसूची
प्ररूप 1
(नियम 17 और 26 देखिए)

समुद्र मार्ग से पेट्रोलियम का वहन करने वाले पोत के मास्टर या अभिकर्ता द्वारा पत्तन में प्रवेश करने से पूर्व या आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता द्वारा भूमार्ग से पेट्रोलियम का आयात करने से पूर्व की जाने वाली घोषणा।

पोतका नाम
वाहन की विशिष्टियाँ

पेट्रोलियम का नाम	पोत या वाहन में कुल मात्रा	भारत में उतारे जाने वाले पेट्रोलियम की मात्रा। पत्तन का नाम या आयात का स्थान	टिप्पणियाँ
वर्ग क पेट्रोलियम जिसका प्रयोग अन्तर्दहन इंजिन में किया जा सकता है। अन्य पेट्रोलियम वर्ग क पेट्रोलियम वर्ग ख पेट्रोलियम वर्ग ग पोत के मास्टर या अभिकर्ता के हस्ताक्षर			

प्ररूप 2
(नियम 19 और 26 देखिए)
(भंडारण स्थान का प्रमाणपत्र)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं.....(पोत का नाम या वाहन की विशिष्टियाँ) द्वारा
.....(पत्तन या आयात के स्थान का नाम) में
(तारीख, मास और वर्ष) को या उसके लगभग पहुंचने वाले पेट्रोलियम के निम्नलिखित परेषणों का भण्डारण उन भण्डारण टैंकों या शैडों
में करना चाहता हूँ जिनके ब्यौरा नीचे दी गई विवरणी के स्तम्भ 1 की मद (1) और (2) में दिए गए हैं तथा यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त स्तम्भ
की मद (3) में उपलब्ध के रूप में दिखाई गई क्षमता प्रसंगत पेट्रोलियम के भण्डारण के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्त है।

आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख

विवरण

आयात तथा भण्डारण क्षमता का विवरण	वर्ग क का पेट्रोलियम	वर्ग ख का पेट्रोलियम	वर्ग ग का पेट्रोलियम
(1)	(2)	(3)	(4)
क. (i) भण्डारण टैंकों की कुल अनुज्ञप्त क्षमता			
(ii) भण्डारण टैंकों में उपलब्ध कुल क्षमता			
(iii) वर्तमान परेषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली क्षमता			

- ख (i) भण्डारकरण शैडों
की कुल अनुज्ञप्त
क्षमता
- (ii) भण्डारकरण शैडों
में उपलब्ध कुल
क्षमता
- (iii) वर्तमान परेषण
के लिए उपयोग
में लाई जाने वाली
क्षमता

प्ररूप 3

(नियम 33 और प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 1 देखिए)

जलमार्ग से प्रपुंज पेट्रोलियम के वहन के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं ----- फीस ----- रु

नीचे वर्णित जलयान के जलमार्ग से प्रपुंज पेट्रोलियम के वहन के लिए पेट्रोलियम नियम, 2001 के नियम 33 के अन्तर्गत, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और उन के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तथा इस अनुज्ञप्ति में की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्त किया जाता है ।

यह अनुज्ञप्ति तारीख *----- तक प्रवृत्त रहेगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुज्ञप्त जलयान का विवरण

जलयान का नाम -----

शासकीय संख्या -----

सकल टन भार -----

स्वामियों के नाम और पता -----

यदि निरीक्षण के समय यह ^{पाया} जाए कि अनुज्ञप्त जलयान इससे संलग्न विवरण और इन में दी गई शर्तों के अनुसार नहीं है तो अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है तथा जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है उनमें से किसी का उल्लंघन प्रथम अपराध की दशा में साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से, और पश्चात्तवर्ती प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

शर्तें

पेट्रोलियम का भण्डारकरण केवल -----

(i) जलयान निम्नलिखित ** भागों में से किया जाएगा -

(ii) निम्नलिखित रीति ** से किया जाएगा, अर्थात् -

* जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष

** भण्डारकरण के लिए जलयान के भाग और भण्डारकरण की रीति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के परामर्श से ब्यौरेवार विनिर्दिष्ट की जाएगी।

प्ररूप 4

(नियम 191 देखिए)

साधित्र प्रमाणपत्र

साधित्र

अंकित संख्या -----

निर्माणकर्ता का नाम -----

स्लाइड सं-----

थर्मामीटर सं. -----

तैल कप (आयल कप) सं -----

जल ऊष्मक कप (वाटर बाथ) सं. -----

उपरोक्त साधित्र, जिसके अंतर्गत थर्मामीटर भी है, मानक परीक्षण साधित्र के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया था और मैंने उसका मिलान तारीख ----- को किया और पाया गया कि वह विहित सीमा के अनुरूप है।

थर्मामीटर और बैरोमीटर या एनरायड पाठन (रीडिंग) में निम्नलिखित सुधार आवश्यक है।

थर्मामीटर सं. -----

बैरोमीटर सं -----

यह प्रमाणपत्र तारीख ----- से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है।

तारीख -----

संदर्भ -----

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 का धारा 15 (1) के

अधीन नियुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान।

प्ररूप 5

(नियम 192 देखिए)

साधित्र प्रमाणपत्र रजिस्टर

क्रम सं	साधित्र की परीक्षा करने वाले अधिकारी का पदाभिधान	वह स्थान जहां साधित्र प्रयोग किया जाना आशयित है	साधित्र पर अंकित संख्यांक और तारीख	प्रमाणपत्र की अंतवस्तु	वह तारीख जिसकी प्रमाणपत्र विधि मान्य नहीं रह जाएगा
---------	--	---	------------------------------------	------------------------	--

प्ररूप 6

(नियम 195 देखिए)

पेट्रोलियम परीक्षण प्रमाणपत्र

स्वामी

चिह्न (मार्क)

परीक्षण (1)

(2)

(3)

औसत थर्मामीटर

शुद्धि

नमूना पेट्रोलियम का है और (वर्ग ख के पेट्रोलियम की दशा में)

उसका स्फुरांक है ।

स्थान

तारीख

परीक्षण अधिकारी

प्ररूप 7

(नियम 143, 147 और 148)

यंत्र नोदित यानों द्वारा भूमि पर प्रपुंज में पेट्रोलियम वर्ग ^क और वर्ग 'ख' के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति के प्रदान/ संशोधन/नवीकरण/हस्तान्तरण के लिए आवेदन

नीचे सूचीबद्ध दस्तावेज इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएं।

भाग क- आवेदक द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए।

1. आवेदक का नाम और पूरा डाक पता

उस यान की विशिष्टियां जिसमें पेट्रोलियम का परिवहन किया जाना प्रस्थापित है:

(i) बनावट और माडल

(ii) इंजन संख्या

(iii) चेसिस संख्या

(iv) रजिस्ट्रीकृत संख्या

(v) यू.एल.डब्ल्यू. और आर.एल.डब्ल्यू.

(vi) यान किस तारीख तक के लिए रजिस्ट्रीकृत है

(vii) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पूरा डाक पता

(viii) कम्पार्टमेंटों की संख्या और प्रत्येक

कम्पार्टमेंट की प्रमाणित क्षमता किलोलिटरों में

कम्पार्टमेंट 1	2	3	4	5	6	7	किलोलिटरों में
संख्या							कुल क्षमता
(ix) पेट्रोलियम का वह वर्ग /वे वर्ग जिसका परिवहन ऊपर वर्णित यान से किया जाना है।							
(X) मुख्य नियंत्रक द्वारा यान की डिजाइन के आरेखण के अनुमोदन की संख्या और तारीख							

3. क्या ऊपर वर्णित टैंक यान पेट्रोलियम नियम, 2002 की तृतीय अनुसूची में अधिकथित अपेक्षाओं तथा मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के आरेखण के पूर्णतया अनुरूप है।

प्ररूप 8

(नियम 143, 147 और 148)

पेट्रोलियम क/ख का प्रपुंज में, यंत्रचालित यान अर्थात् रिफ्यूएलर द्वारा वायुयान, भारी यान/मशीनरी और स्थैतिक उपस्कर में ईंधन भरने के लिए भूमि पर परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी/संशोधन/नवीकरण के लिए आवेदन।

नीचे सूचीबद्ध दस्तावेज इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

भाग - क आवेदक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाएगा

1. आवेदक का नाम औप पूरा डाक पता
2. उस यान की विशिष्टियां जिसमें वायुयान, भारी यान/मशीनरी और स्थैतिक उपस्कर के स्थल पर ईंधन भरने के लिए पेट्रोलियम का परिवहन किया जाना प्रस्तावित है :
 - (i) मेक और मॉडल:
 - (ii) इंजन संख्या :
 - (iii) चेसिस संख्या :
 - (iv) रजिस्ट्रीकृत संख्या :
 - (v) यू.एल.डब्लू. और आर.एल.डब्लू. :
 - (vi) जिस तारीख तक यान रजिस्ट्रीकृत है :
 - (vii) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पूरा डाक पता :
 - (viii) कंपार्टमेंटों की संख्या और प्रत्येक कंपार्टमेंट की किलोलीटरों में अनुप्रमाणित क्षमता :

कंपार्टमेंट	1	2	3	4	5	6	7	किलोलीटरों में कुल क्षमता
किलोलीटर में क्षमता								
- (ix) ऊपर वर्णित यान में परिवहन किए जाने के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम का वर्ग :
- (x) मुख्य विस्फोटक नियंत्रण द्वारा यान के डिजाइन/आरेखण के अनुमोदन की संख्या और तारीख :
3. क्या ऊपर वर्णित टैंक यान पेट्रोलियम नियम, 2002 की तृतीय अनुसूची में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप हैं और क्या डिजाइन/आरेखण मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित हैं
4. उस स्थान पर पूरा डाक पता जहां यान को सामान्यतः आस्थित किया जाएगा
5. उस संस्थापन का पूरा डाक पता और अनुज्ञप्ति सं० जहां यान की लदाई की जाएगी
6. प्रयोक्ताओं और उस स्थान का पूरा नाम और पूरा डाक पता जहां सामान्य यान द्वारा, वायुयान, भारी यानों/मशीनरी, स्थैतिक उपस्कर के स्थल पर ईंधन भरने के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम वर्ग क/ख का परिवहन किया जाएगा। उन भारी यानों की विशिष्टियां जिनमें उक्त यान और पुनः ईंधन भरा जाना प्रस्थापित है।

सर्विस स्टेशन की दशा में, उस पत्र की संख्या और तारीख जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से तैयार लदाई का उस सर्विस स्टेशन से संलग्न किया जाना अनुमोदित किया गया है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियों की मेरे/हमारे द्वारा जांच कर ली गई है वे सही है। मैं/हम उस यान जिसकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और उसके अधीन बनाए नियमों तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियमों के उपबंधों के अनुसार करने का वचनबंध करता हूँ/करते हैं मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन पहले अपराध के समय साधारण कारावास जो एक मास तक विस्तारित हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक विस्तारित हो सकता है या दोनों से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से जो तीन मास तक विस्तारित हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक विस्तारित हो सकता है या दोनों से दंडनीय है।

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

भाग 2

मान्यताप्राप्त इंजीनियर द्वारा भरा जाएगा और सम्यक्तः हस्ताक्षरित होगा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि टैंकयान ड्रेलर जिसकी विशिष्टियाँ इस प्ररूप के भाग क में दी गई हैं, की परीक्षा कर ली गई है और उसे पेट्रोलियम नियम, 2002 की तृतीय अनुसूची में अभिकथित अपेक्षाओं के अनुपालन में अनुमोदित आरेखण सं. तारीख में दर्शित विशिष्टियों के पूर्णतया अनुरूप पाया गया है।

नाम

मान्यताप्राप्त अर्हता

पूरा डाक पता

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज

- 1 नियम 63 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित आरेखण की चार प्रतियां।
- 2 नियम 3 में विनिर्दिष्ट रीति से संदत्त की जाने वाली अनुज्ञप्ति फीस की अपेक्षित रकम।
- 3 मूल अनुज्ञप्ति (केवल नवीकरण/संशोधन की दशा में)।
- 4 स्थल नक्शे की चार प्रतियां जिसमें प्रचालन क्षेत्र दर्शित हो (केवल उस दशा में जहां भारी यान/मशीनरी और उपस्कर में स्थल पर ईंधन भरे जाने के लिए यान का उपयोग हो)।
- 5 उन भारी यानों/मशीनरी और स्थैतिक उपस्करों की सूची जिनका टैंक में भरण/प्रतिस्थापन अपेक्षित हो।
- 6 नियम 76(1)(ग) के अधीन यानों की लदाई के लिए अनुमोदित परिसरों के नक्शे की चार प्रतियां।

प्राधिकृत वाहन क्षमता

कंपार्टमेंट	1.	2	3	4 किलोलीटर में कुल क्षमता
-------------	----	---	---	---------------------------

किलोलीटरों में कुल क्षमता

नवीकरणों के पृष्ठांकन के लिए स्थान

(अनुज्ञप्ति, फीस में किसी रियायत के बिना अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए नवीकरणीय होगी)

नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय मुद्रा
-----------------	------------------	--

यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त यान तृतीय अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप न पाया जाए या ऐसे नियमों और शर्तों जिनके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है का उल्लंघन हो। इस अनुज्ञप्ति का धारक पहले अपराधों के समय साधारण कारावास जो एक मास तक विस्तारित हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक विस्तारित हो सकता है या दोनों से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से जो तीन मास तक विस्तारित हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय है।

प्ररूप 9

(नियम 143, 147, 148 और 156 देखिए)

पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी/संशोधन/नवीकरण/हस्तान्तरण के लिए आवेदन।

यदि आवेदक प्ररूप 14, 15, 16 या विशेष प्ररूप में अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए है तो इस आवेदन के साथ अगले पृष्ठ पर सूचीबद्ध दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए।

उत्तर इस स्तंभ में दिया जाना चाहिए।

- 1 आवेदक का नाम
 आवेदक का व्यवसाय
 आवेदक का पूरा डाक पता
2. उन परिसरों की अवस्थिति जहां पेट्रोलियम का भण्डारकरण किया जाना है।
 राज्य
 जिला
 नगर
 थाना
 निकटतम रेल स्टेशन
3. आयात और भण्डारकरण किए जाने के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम की मात्रा (लीटरों में)।
 (i) वर्ग क पेट्रोलियम
 (क) प्रपुंज
 (ख) अप्रपुंज
 (ग) योग
 (ii) वर्ग ख पेट्रोलियम
 (क) प्रपुंज
 (ख) अप्रपुंज
 (ग) योग
 (iii) वर्ग ग पेट्रोलियम
 (क) प्रपुंज
 (ख) अप्रपुंज
 (ग) योग
 सभी वर्गों के पहले से भंडारकृत पेट्रोलियम का योग
4. परिसर में पहले से भण्डारकृत पेट्रोलियम की लीटरों में मात्रा।
 (i) वर्ग क पेट्रोलियम
 (क) प्रपुंज
 (ख) अप्रपुंज
 (ग) योग
 (ii) वर्ग ख पेट्रोलियम
 (क) प्रपुंज
 (ख) अप्रपुंज

- (ग) योग
- (iii) वर्ग ग पेट्रोलियम
- (क) प्रपुंज
- (ख) अप्रपुंज
- (ग) योग
- सभी वर्गों के पहले से भंडारकृत पेट्रोलियम का योग
5. परिसर के लिए धृत अनुज्ञप्ति की संख्या और अनुज्ञप्ति धारी
- का पूरा नाम

मैं, घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरणों की मैंने जांच कर ली है और वे सत्य हैं तथा मैं उस अनुज्ञप्ति के, जो मुझे मंजूरी की जाएगी, निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध रहने के लिए वचनबद्ध होता हूँ।

आवेदक की तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पण :

1. जहां आवेदन किसी कम्पनी की ओर से किया जाता है वह कम्पनी का नाम और पता तथा प्रबन्धक या अभिकर्ता का नाम दिया जाना चाहिए और आवेदन पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रबंधक या अभिकर्ता के नाम में प्रत्येक परिवर्तन तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा और उसके हस्ताक्षर का नमूना दाखिल किया जाएगा।

2. "प्रपुंज" से अभिप्रेत है 1000 लीटर से अधिक की क्षमता के टैंक या पात्र "अप्रपुंज" से अभिप्रेत है 1000 लीटर से अनधिक क्षमता के अनुमोदित कन्टेनरों में।

प्ररूप 14, 15, 16 या विशेष प्ररूप में अनुज्ञप्ति के लिए इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज।

- (i) यथा स्थिति, नियम 131 के उपनियम (5) या नियम 14 के उपनियम (3) अधीन अनुमोदित विनिर्देशों और नक्शों की चार प्रतियां। (संशोधन रहित अनुज्ञप्ति के नवीकरण और हस्तान्तरण के लिए अपेक्षित नहीं हैं)
- (ii) अनुमोदित नक्शों और विनिर्देशों सहित अनुज्ञप्ति (अनुज्ञप्ति की प्रथम बार मंजूरी की दशा में अपेक्षित नहीं है)
- (iii) जिला प्राधिकारी से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाणपत्र" (जहां अनुज्ञप्त परिसर के स्थल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वहां अनुज्ञप्ति के नवीकरण, अन्तरण और संशोधन की दशा में अपेक्षित नहीं है)।
- (iv) अनुज्ञप्ति की मंजूरी, संशोधन या हस्तान्तरण के लिए नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से संदत्त अपेक्षित फीस की रकम।
- (v) यदि नियम 126 के अधीन अपेक्षित हो तो टैंक परीक्षण प्रमाणपत्र।
- (vi) यदि नियम 130 के अधीन अपेक्षित हो तो सुरक्षा प्रमाणपत्र।

प्ररूप 10

(नियम 143, 147 और 148 देखिए)

यंत्रचालित यानों से कंटेनरों में मिट्टी का तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान/संशोधन/नवीकरण के लिए आवेदन।

उत्तर इस स्तंभ में दिए जाएं

1. आवेदक का नाम
आवेदक का व्यवसाय
आवेदक का पूरा पता
2. उस यान की विशिष्टता जिसमें मिट्टी का तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) का परिवहन किया जाना है :
1. रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन अनुज्ञप्ति संख्या
3. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता
4. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता.....
3. प्रचालन का क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :
राज्य (1)
राज्य (2)
जिला/नगर/शहर/गली रोड/पुलिस स्टेशन
4. परिसरों की अवस्थिति जहां मिट्टी के तेल का कंटेनर भंडारित किया जाना है :
नगरपालिका/पंचायत संख्या.....
अभिभोगी का नाम और पता.....
5. क्या आवेदक को तेल कंपनी के अधिकर्ता/व्यौहारी के रूप में नियुक्त किया गया है
यदि हां तो तेल कंपनी का नाम और नियुक्ति की संदर्भ संख्या और तारीख दीजिए
मैं, घोषित करता हूँ कि उपयुक्त विशिष्टियों की मैंने जांच कर ली है और वे सही हैं तथा मैं उस अनुज्ञप्ति के जो मुझे अनुदत्त किया जाएगा निबन्धनों और शर्तों का पालन करने का वचनबद्ध करता हूँ।
आवेदन की तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण :-

1. जहां आवेदन कंपनी के निमित्त किया गया हो, वहां प्रबंधक या अधिकर्ता का नाम दिया जाना चाहिए और आवेदन पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रबंधक या अधिकर्ता के नाम में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना तुरंत दी जाएगी और उसका नमूना हस्ताक्षर अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास फाइल किए जाएंगे।
2. आवेदन दो से अनधिक प्रचालन क्षेत्रों की बाबत किया जाएगा और मिट्टी के तेल का निस्तारण उस समय सम्यक क्षेत्र में किया जाएगा।

प्ररूप 11

(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 2 देखिए)

यन्त्र चालित यानों द्वारा भू मार्ग से वर्ग क या वर्ग ख के प्रपुंज पेट्रोलियम के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति।
अनुज्ञप्ति संख्या..... फीस रुपए

श्री..... को निम्नलिखित विवरण के यान द्वारा भूमार्ग से प्रपुंज पेट्रोलियम के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और इस अनुज्ञप्ति में आगे दी गई शर्तों के अधीन मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति के
मास के दिन तक विधिमान्य रहेगी।*

जारी करने की तारीख

नियंत्रक

यान का विवरण

मेक और मॉडल

ईजन संख्या
रजिस्ट्रीकरण संख्या

चैसिस संख्या

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम

वाहन में वाहन के लिए प्राधिकृत पेट्रोलियम के वर्ग

टैंक और कम्पार्टमेंटों की प्राधिकृत वहन क्षमता

कंपार्टमेंट सं.	1	2	3	4	5	6	7	किलोलीटरों में कुल क्षमता
किलोलीटर में क्षमता								
* जारी की तारीख से एक वर्ष								

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 या उसमें अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में फीस में किसी रियायत के बिना तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगी।

नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प
-----------------	------------------	---

यदि अनुज्ञप्त यान तृतीय अनुसूची में दिए विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है या जिन नियमों और शर्तों में से किसी विनियम या शर्त जिस के अधीन यह अनुज्ञप्ति अवदत्त की जाती है उन में से किसी का उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से जो तीन मास तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां सभी सदस्यों पर अनुज्ञप्त यान में होनी चाहिए और निरीक्षक द्वारा मांग कि जाने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. केवल ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों को जो इस अनुज्ञप्ति की शर्तों से सुपरिचित हैं, अनुज्ञप्त यान को चलाने या उसका देखभाल करने के लिए नियोजित किया जाएगा।

3. अनुज्ञप्त वाहन की देखभाल निरंतर किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और कम से कम दो व्यक्तियों की जानी चाहिए जब कि उस में पांच किलोलीटर से अधिक पेट्रोलियम का परिवहन किया जा रहा है या जब वह अन्य यान का कर्षण कर रहा है:

परंतु अनुज्ञप्त यान को मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित स्थान पर बिना देखभाल के छोड़ा जा सकता है यदि उस के टैंक और कम्पार्टमेंट रिक्त हैं।

4. अनुज्ञप्त यान में सभी समयों पर निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए :-

- (क) कम से कम 9 लीटर की क्षमता वाला और तेल अग्नि को बुझाने के लिए उपयुक्त वहनीय अग्नि शामक; अग्नि शामक को सहज गम्य स्थिति में बिना ताले के रखा जाएगा और वह यान की विसर्जन टोटियों से दूरी पर होगा।
- (ख) पेट्रोलियम के ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए जिसको कि वहन किया जा रहा है एक पृथक तैलरोधी और विद्युत्ततः अविच्छिन्न होज; होजों के प्रत्येक सिरे पर तैलरोधी युग्मन (कपलिंग) लगे होंगे जो कि अनुज्ञप्त यान की विसर्जन टोट्टी और निवेश पाइप से, जिसमें, यानों में वहन किए जा रहे पेट्रोलियम को उतारा जाना हो, मेल खानी चाहिए।
- (ग) वैद्युत आबंधन के लिए एक मजबूत और लोचदार केबल; केबल कम से कम 5 मीटर लम्बा होगा और उसके प्रत्येक सिरे पर एक उपयुक्त क्लैम्प या क्लिप लगी होगी :

5. अनुज्ञप्त यान की लदाई या उतराई उस स्थान में के सिवाय नहीं की जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित किया जाये।

परन्तु अनुज्ञप्त यान में से उतराई सभी सम्यक पूर्वावधानियों के साथ और यथेष्ट पर्यवेक्षण के अधीन किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है। यदि ऐसी उतराई किसी दुर्घटना या खराबी के कारण आवश्यक है।

6. अनुज्ञप्त यान में वहन किया गया पेट्रोलियम किसी कंटेनर में या किसी मोटर वाहन के ईंधन टैंक में या किसी आन्तरिक वहन ईंधन में सीधे अन्तरित नहीं किया जाएगा।

7. यदि अनुज्ञप्त यान के कोई टैंक या कम्पार्टमेंट, पाइप, वाल्व, आपात विसर्जन नियंत्रण या सुरक्षा फिटिंग चूने लगते हैं, त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं या अन्यथा असुरक्षित हो जाते हैं तो अनुज्ञप्त यान में लदाई तब तक, जब तक कि आवश्यक मरम्मत संतोषप्रद रूप से पूरी नहीं कर ली जाती है, और टैंक या कम्पार्टमेंट के चूने की स्थिति में तब तक, जब तक कि च्यवन की पूर्णरूपेण मरम्मत नहीं कर दी जाती है और सभी टैंक या कम्पार्टमेंट पेट्रोलियम नियमों की तृतीय अनुसूची के खण्ड 5 में विनिर्दिष्ट परीक्षण में सही नहीं पाए जाते, नहीं की जाएगी।

8. अनुज्ञप्त यान में या उससे पेट्रोलियम की लदाई या उतराई से पूर्व :-

- (क) उसका इंजन बंद कर दिया जाएगा और बैटरी समुचित स्विच द्वारा अथवा अन्यथा पृथक् कर दी जाएगी।
- (ख) उसके पहियोंको बैंकों द्वारा या आड़ लगाकर भली-भांति रोक दिया जाएगा और पशुचालित यानों की दशा में जानवरों को खोल दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा।
- (ग) उसके चेसिस को उस पाइप के साथ जिसमें या जिससे उसकी उतराई या लदाई की जानी है, केबिल द्वारा वैद्युततः आबद्ध कर दिया जाएगा।
- (घ) सही भराई या विसर्जन होना चुनी जाएगी और तैलरोधी कपलिंग द्वारा दोनों छोरों पर जोड़ी जाएगी।
- (ङ) जब तक लदाई या उतराई का काम पूरा नहीं हो जाता और टैंक तथा कम्पार्टमेंट सीलबंद नहीं कर दिये जाते, तब तक कोई उत्तरदायी व्यक्ति देखभाल पर रहेगा।

9. अनुज्ञप्त यान किसी सड़क पर, घने क्षेत्र में या ऐसे स्थान पर जो ऐसे यानों की लदाई, उतराई, या ठहरने के लिए इन नियमों के अधीन लिखित रूप में अनुमोदित स्थान नहीं है, तब के सिवाय नहीं रुकेगा जब यातायात सिगनलों के कारण या निरीक्षक या नमूने लेने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे ठहरना पड़े।

10. अनुज्ञप्त यान पर धूम्रपान और किसी अग्नि या कृत्रिम प्रकाश या कोई ऐसी वस्तु अनुज्ञात नहीं होगी जिस से कि ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित हो सकती है।

11. अनुज्ञप्त यान का प्रयोग पेट्रोलियम से भिन्न किसी वस्तु या यात्रियों के वहन के लिए नहीं किया जाएगा।

12. अनुज्ञप्त यान की झलाई करके, सोल्डरिंग करके, ब्रेजिंग करके या गर्म करके रिबेट लगाकर मरम्मत करना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके टैंकों, कम्पार्टमेंटों, पाइपों और वाल्वों को पूरी तरह से साफ नहीं कर दिया जाता और उनकी परीक्षा सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं कर ली जाती तथा वह लिखित में यह प्रमाणित नहीं कर देता कि वे ज्वलनशील वाष्प या तेल से सर्वथा मुक्त हैं।

13. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना अनुज्ञप्त यान या उसकी सुरक्षा फिटिंगों में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा। अनुमोदित फेरफारों को इस अनुज्ञप्ति पर संशोधन करके पृष्ठांकित किया जाएगा।

14. किसी भी निरीक्षक या नमूने लेने वाले अधिकारी को यह अभिनिश्चित करने के लिए कि नियमों का और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है अथवा नमूने लेने के लिए, सभी युक्तियुक्त समयों पर हर सुविधा प्रदान की जाएगी।

15. अनुज्ञप्त यान में घटने वाली किसी भी दुर्घटना, लगने वाली आग या किसी विस्फोट की, यदि उस में जीवन की क्षति होती है या व्यक्तियों या सम्पत्ति की गम्भीर क्षति होती है तो उसकी रिपोर्ट अविलम्ब अधिकारिता वाले निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को की जाएगी और टेलीफोन/फैक्स और तार द्वारा भी मुख्य नियंत्रक को भी की जाएगी। (तार का पता - "विस्फोटक" नागपुर)।

वर्ग क पेट्रोलियम का किसी अन्य वर्ग के पेट्रोलियम के साथ जो इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आता हो, एक ही यान में वहन के लिए अतिरिक्त शर्तें :

शर्तें

(क) अनुज्ञप्त यान के दोनों और तथा पृष्ठ भाग पर भी सहजदृश्य रंग में दो बड़े अक्षर, जिनमें "ML" से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर से कम का नहीं होगा, छापे जाएंगे।

(ख) एक कम्पार्टमेंट की भराई पाइप, विसर्जन टोंटी और वेंट पाइप किसी अन्य कम्पार्टमेंट की भराई पाइप, विसर्जन टोंटी या वेंट पाइप के साथ नाना प्रकारेण या अन्य प्रकार से अन्तर्सम्बद्ध नहीं की जाएंगी।

(ग) वर्ग क पेट्रोलियम का वहन करने वाले प्रत्येक कम्पार्टमेंट की भराई पाइप और विसर्जन टोंटी के साथ (कम से कम) 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग का एक धातु का पट्टा मजबूती से लगाया जाएगा जिस पर "मोटर स्मिर्ट" शब्द उत्कीर्ण किया हुआ या छापे हुए होंगे। इसी प्रकार एक धातु का पट्टा जो हरे नीले या सलेटी रंग का होगा और जिस पर पेट्रोलियम के वर्ग का विवरण उत्कीर्ण दिया हुआ या छपा हुआ होगा, ऐसे अन्य वर्ग के पेट्रोलियम का वहन करने वाले प्रत्येक कम्पार्टमेंट की भराई पाइप या विसर्जन टोंटी के साथ मजबूती से लगाया जाएगा।

(घ) अनुज्ञप्त यान में सभी समयों पर प्रत्येक वर्ग के पेट्रोलियम के लिए पृथक होज ले जाये जाएंगे। प्रत्येक वर्ग के पेट्रोलियम के लिए होज के साथ मजबूती से सुस्पष्ट रूप से रंगी हुई होंगी और भराई पाइपों और विसर्जन टोंटियों के लिए अतिरिक्त शर्त संख्या (ग) के अधीन यथा विहित पहचान पट्टों से चिह्नित होंगी।

(ङ) अनुज्ञप्त यान में वहन किया जा रहा पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन के भूमिगत टैंकों में से सिवाय उतारा नहीं जाएगा।

परिवर्तनों के पृष्ठांकन के लिए स्थान

(शर्त 13 देखिए)

क्रम संख्या	परिवर्तनों का विवरण	परिवर्तनों की मंजूरी	अनुज्ञापन प्राधिकारी
		की तारीख	के हस्ताक्षर

प्ररूप 12

(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 3 देखिए)

भण्डारकारण शेड या अनुमोदित बिन में 300 लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग क के पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या..... फीस रु.

श्री को नीचे वर्णित परिसरों में, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के अधीन लीटर तक पेट्रोलियम के केवल आयात और भण्डारकरण के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति तारीख तक प्रवृत्त रहेगी।

तारीख 20 जिला प्राधिकारी

जिला प्राधिकारी

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थिति

अनुज्ञप्त परिसर में मुख्य भण्डारकरण शेड मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार का अनुमोदित बिन सम्मिलित है जो कि मकान/गली का नाम/गांव या नगर /पुलिस थाना/जिला में स्थित है।

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जा सकेगी।	नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प
---	-----------------	------------------	---

यदि अनुज्ञप्त परिसर इससे उपाबद्ध, विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति धारी प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चात्पूर्व अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय भी होगा।

1. वर्ग क पेट्रोलियम केवल :-

- (i) प्राइवेट भूमि पर उपयुक्त अदहनशील सामग्री से निर्मित भण्डारकरण शेड में रखा जाएगा; दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी के हो सकते हैं; या
- (ii) समुचित रूप से संवातित लोहे के बिन में जो कि मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित डिजाइन का होगा और खुली हवा में प्राइवेट भूमि पर रखा जाएगा, भण्डारकृत किया जाएगा।

2. भण्डारकरण शेड भूमितल के निकट दृश्य रूप से संवातित होना चाहिए। संवातकों में असंक्षरणीय धातु की तार की, जिसमें प्रति लाइनियर सेंटीमीटर कम से कम 11 मैश होंगे, दो पर्तें लगाई जाएंगी।

3. भण्डारकरण शेड किसी ऐसे भवन के भाग के रूप में या उससे संलग्न नहीं होगा जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं या काम करता है या जहां व्यक्ति किसी प्रयोजन के लिए एकत्रित होते हैं सिवाय तब के जब उसे मजबूत छत और पार्टीशन दीवार लगाकर जो कि चिनाई की गई होनी चाहिए और जिसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए, उसे अलग कर दिया जाता है।

4. यदि भण्डारकरण शेड किसी भवन में है तो वह किन्हीं सीढ़ियों के नीचे या किसी अन्य वहिर्गमन मार्ग के नीचे, जिस के आग लगने की दशा में बच निकलने के लिए उपयोग किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है, स्थित नहीं होना चाहिए।

5. कोई दो भण्डारकरण शेड या बिन या अन्य भण्डारकरण परिसर, जो एक दूसरे से छह मीटर से अधिक की दूरी पर न हो, एक ही भण्डारकरण शेड माने जाएंगे।

6. भण्डारकरण शेड या बिन में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी।

7. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में सूचना देकर भण्डारकरण शेड में कोई ऐसी मरम्मत कराने की जो ऐसे प्राधिकारी की राय में शेड की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करता है तो वह ऐसी अवधि के भीतर, जैसी कि सूचना में नियत की जाए, मरम्मत कराएगा।

8. ऐसे सभी रिक्त पात्र जिनमें वर्ग क का पेट्रोलियम रखा गया हो, सिवाय तब के जब वे साफ करने के लिए और उन्हें पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त करने के प्रयोजन के लिए खोले जाते हैं, मजबूती से तब तक बन्द रखे जाएंगे जब तक कि उन्हें पूरी तरह साफ नहीं कर दिया जाता और पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त नहीं कर दिया गया हो।

9. किसी भी पात्र की मरम्मत परिसर में नहीं की जाएगी और कोई व्यक्ति किसी पात्र की मरम्मत तब तक नहीं करेगा या कराएगा यदि उसकी जानकारी में उस पात्र में वर्ग "क" का पेट्रोलियम है या रखा गया है, जब तक कि उसने यह सुनिश्चित

करने के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां न बरती हो कि पात्र ऐसे पेट्रोलियम और हर ज्वलनशील वाष्प से मुक्त किया जा चुका है।

10. सभी समयों पर आग या विस्फोटक से दुर्घटना के निवारण के लिए यथेष्ट पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।
11. वर्ग क पेट्रोलियम के, किसी नाली, सीवर, बन्दरगाह, नदी या जलसरणी या सार्वजनिक सड़क पर बह निकलने से निवारण के लिए हर सावधानी बरती जाएगी।
12. कहीं रखे गए वर्ग के पेट्रोलियम तक और ऐसे जलयान तक जिसमें ऐसा पेट्रोलियम है या रखा गया हो, अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुँच की रोकथाम के लिए यथेष्ट पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।
13. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम की सभी प्राप्तियों और निर्गमों के दैनिक अभिलेख और लेखा ऐसे प्ररूप में रखेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किए जाए और अपने स्टॉक को और अभिलेखों को निरीक्षक या नमूने लेने वाले अधिकारी को मांग किए जाने पर दिखाएगा।
14. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर आग या विस्फोट से होने वाली किसी भी दुर्घटना की, जिसमें जन मानव जीवन की क्षति हुई है या व्यक्ति सम्पत्ति को गंभीर क्षति हुई है रिपोर्ट निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को भी अविलम्ब टेलीफोन/फैक्स और तार (तार का पता: विस्फोटक नागपुर) से, जहाँ ऐसे संचार साधन उपलब्ध है, रिपोर्ट की जाएगी।
15. निरीक्षक या नमूना लेने वाले अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन हो रहा है या नहीं, हर सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्ररूप 13

(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 4 देखिए)

25,000 लीटर से अनधिक मात्रा में वर्ग ख के प्रपुंज पेट्रोलियम के आयात और
भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

फीस रु.

श्री को नीचे वर्णित परिसरों में, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए लीटर तक वर्ग ख के पेट्रोलियम के आयात और भण्डारकरण मात्र के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर 20 तक प्रवृत्त रहेगी

तारीख 200

जिला प्राधिकारी

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थान

अनुज्ञप्त परिसर में मुख्य भण्डारकरण शेड जो कि (मकान संख्या या प्लॉट संख्या) (गली का

नाम)..... (गांव या नगर)..... (पुलिस थाना)..... (जिला) में स्थित है।

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जा सकेगी।	नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प
---	-----------------	------------------	---

यदि अनुज्ञप्त परिसर इसमें उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति धारी प्रथम अपराध के लिए ऐसे साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकता है, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय भी होगा।

शर्तें

1. पेट्रोलियम का भण्डारकरण अनुज्ञप्त शेड में किया जाएगा जो कि उपयुक्त अदहनशील सामग्री का बना हुआ होना चाहिए किन्तु बीम, रैफ्ट, कालम, दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी की हो सकती हैं। भण्डारकरण शेड का फर्श उपयुक्त रूप से इस प्रकार से बनाया जाएगा कि 30 सेंटीमीटर से अनधिक गहरा एक कंड (सम्प) या आहाता तैयार हो जाए ताकि किसी दुर्घटना या आपात की स्थिति में, उसमें अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त मात्रा का कम से कम आधा भाग आ सके और रखा जा सके।

2. भण्डारकरण शेड किसी ऐसे भवन के भाग के रूप में या उससे संलग्न नहीं होगा जिसमें कोई व्यक्ति निवास करता है या काम करता है या जहां व्यक्ति किसी प्रयोजन के लिए एकत्रित होते हैं सिवाय तब के जब उसे मजबूत फर्श या पार्टीशन लगाकर जो अदहनीय सामग्री से संनिर्मित है और लगाकर जिसमें कोई द्वार नहीं है, उसे अलग कर दिया जाता है।

3. यदि भण्डारकरण शेड किसी भवन में है तो वह किन्हीं सीढ़ियों के नीचे या ऐसे निकास मार्ग के नीचे स्थित नहीं होना चाहिए जिससे कि आग लगने की दशा में प्रयोग किए जाने की संभावना हो।

4. भण्डारकरण शेड या बिन में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

5. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित में नोटिस देकर भण्डारकरण शेड में कोई ऐसी मरम्मत कराने की जो ऐसे प्राधिकारी की राय में शेड की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि सूचना में नियत की जाए और जो सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक मास से कम की नहीं होगी, मरम्मत कराएगा।

6. कोई दो भण्डारकरण शेड जो एक दूसरे से तीन मीटर से अधिक की दूरी पर रहा हो, एक भण्डारकरण शेड माने जाएंगे।

7. वर्ग ख पेट्रोलियम अनुमोदित प्रकार के वायुरोधी टिनों या ड्रमों में ऐसे अन्य पात्रों में, जो कि आसानी से न टूट सके, पैक किया जाएगा।

8. पेट्रोलियम से युक्त ड्रम या अन्य पात्र केवल अनुज्ञप्त परिसरों में ही खोले जाएंगे और उतनी देर के लिए खोले जाएंगे जितनी पेट्रोलियम निकालने के लिए आवश्यक हो, तथा पेट्रोलियम निकाले जाने के दौरान पेट्रोलियम या उसमें से वाष्प के निकल बहने को निवारित के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

9. रखे गए पेट्रोलियम तक और ऐसे पात्रों तक जिसमें पेट्रोलियम है या रखा गया हो, अप्राधिकृत व्यक्तियों

की पहुँच को निवारित करने के लिए यथेष्ट पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

10. सभी समयों पर आग या विस्फोट से दुर्घटना को निवारित करने के लिए यथेष्ट पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

11. किसी भी पेट्रोलियम के किसी नाली, सीवर, बन्दरगाह, नदी या जलसारणी या सार्वजनिक सड़क पर बह निकलने को निवारित करने के लिए हर सावधानी बरती जाएगी।

12. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम की सभी प्राप्तियों और निर्गमों के दैनिक अभिलेख और लेखे ऐसे प्ररूप में रखेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं और अपने स्टॉक को और अभिलेखों को निरीक्षक या नमूने लेने वाले अधिकारी को मांग किए जाने पर दिखाएगा।

13. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर होने वाली किसी भी दुर्घटना आग या विस्फोट की रिपोर्ट जिसमें मानव जीवन की क्षति हुई है या व्यक्ति सम्पत्ति को गम्भीर क्षति हुई है, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट की जाएगी और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को भी अविलम्ब टेलीफोन/फैक्स और तार द्वारा भी (तार का पता "विस्फोटक, नागपुर") को भी की जाएगी।

14. निरीक्षक या नमूने लेने वाले अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन हो रहा है या नहीं, हर सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्ररूप 14

(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 5 देखिए)

मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक या टैंको में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या.....

फीस.....रु.

श्री..... को नीचे वर्णित अनुज्ञप्त परिसरों में, जो कि इससे उपाबद्ध नक्शा संख्या तारीख..... में दिखाया गया है। पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए..... किलोलीटर तक वर्ग क के साथ..... किलोलीटर तक वर्ग ख/ग के पेट्रोलियम को टैंक/टैंको में भण्डारकरण मात्र के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर 20..... तक प्रवृत्त रहेगी।

नियंत्रक

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थान

अनुज्ञप्त परिसर जिसकी सीमाएं संलग्न नक्शे में दिखाई गई है में स्थित है और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (क) वर्ग क के परिसर के पेट्रोलियम के लिए..... क्षमता के/क्रमशः..... क्षमता के भूमिगत गैस टैंक, जो विद्युतचालित/हस्ताचालित/निस्तारण पम्पों से जुड़े हुए हैं। (संख्या)
- (ख) वर्ग ख/ग के पेट्रोलियम के लिए..... क्षमता के/क्रमशः..... क्षमता के भूमिगत गैस टैंक, जो विद्युतचालित/हस्ताचालित निस्तारण..... पम्पों से जुड़े हुए हैं। (संख्या)
- (ग) एक विक्रय कक्ष/कियोस्क
- (घ) सर्विस सम्बन्धी सुविधाएं जिनमें सम्मिलित हैं।

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकरणीय होगी।	नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प
--	-----------------	------------------	---

यदि अनुज्ञप्ति परिसर इसमें उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति धारी प्रथम अपराध के लिए ऐसे साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय भी होगा।

शर्तें

- पेट्रोलियम का भण्डारण केवल एक या एक से अधिक उस क्षमता के भूमिगत और उस स्थिति वाले गैसरोधी टैंकों में किया जाएगा जो इससे संलग्न अनुमोदित नक्शे में दिखाए गए हैं।
- प्रत्येक टैंक भवन के बाहर होगा और टैंक को चिनाई किए गए या कंकरीट के गर्त में रखा जाएगा और चारों ओर से बालू, मिट्टी या चिकनी मिट्टी से इस प्रकार पैक कर दिया जाएगा ताकि टैंक और चिने गए या कंकरीट के गर्त के बीच कोई वायु क्षेत्र न रह जाए और टैंक दिखाई न पड़े। यदि टैंक झलाई किया हुआ है और उसका परीक्षण 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दबाव तक किया जा चुका है तथा उसे जमीन के अन्दर दबा दिया गया है तथा वह प्राइवेट, पट्टे पर ली गई या किराए पर ली गई भूमि है, तथा टैंक का कोई भाग, इससे संलग्न अनुमोदित नक्शे में परिसरों की अंकित सीमा के किसी बिन्दु 1.5 मीटर से कम की दूरी पर नहीं है तो इस प्रकार चिनाई किया गया या कंकरीट का गर्त अनिवार्य नहीं होगा।
- जमीन के अन्दर दबाए गए टैंक को/के ऊपर का स्थल.....
.....
से भिन्न किन्ही प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं किया जाएगा।
- किसी टैंक में, पेट्रोलियम डालने या निकालने या टैंक के संवातन या निम्मज्जन के लिए आवश्यक द्वारों से भिन्न कोई द्वार नहीं होंगे भराई और निम्मज्जन पाइपें लगभग टैंक के तल तक ले जाई जाएंगी।
- प्रत्येक टैंक में एक स्वतंत्र वेंट पाइप, जिसका एक छोर खुली हवा तक जाता हो, फिट किया जाएगा। वेंट पाइप भली-भांति समर्थित होगा और ऊंचाई में 4 मीटर से कम नहीं होगी और किसी पार्श्वस्थ भूमि या संपत्ति या किसी निकटतम विक्रय कक्ष/कियोस्क या किसी अन्य सुविधा से, जिसमें अग्नि के स्रोतों की विद्यमानता सम्भावित है, कम से कम 4 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। किसी टैंक का वेंट पाइप अन्य टैंक को वेंट पाइप के साथ अंतर्संबंध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वेंट पाइप

में खुलने वाला सिरा संक्षारणीय धातु की जाली जिसमें प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर कम से कम 11 मैश होंगे, दो परतों से ढका हुआ होना चाहिए तथा हुड लगाकर उसे उपयुक्त रूप से नीचे की ओर घुमाकर वर्षा से और संरक्षित भी रखा जाएगा।

6. अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना किसी पम्प या टैंक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा या किसी एक टैंक के स्थान पर दूसरा टैंक नहीं लगाया जाएगा। इस शर्त के अन्तर्गत मंजूर किए गए सभी परिवर्तन इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न किए जाने के लिए संशोधित नक्शे में दिखाए जाएंगे।

7. यदि अनुज्ञप्त प्राधिकारी अनुज्ञप्तिदारी को लिखित रूप में सूचना देकर अनुज्ञप्त परिसरों में कोई ऐसी मरम्मत कराने की, जो ऐसे प्राधिकारी राय में परिसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारों से अपेक्षा करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि सूचना में नियत की जाए, दो सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक मास से कम की नहीं होगी, मरम्मत कराएगा।

8. मरम्मत करने या हटाए जाने के पूर्व प्रत्येक टैंक में से सारा पेट्रोलियम और सभी ज्वलनशील वाष्प साफ कर दिए जाएंगे, जब सुस्थित टैंक को सफाई या मरम्मत के लिए खोला जाता है तब टैंक के मेनहोल के निकट तब तक कोई विद्युत या अन्य लैंप विद्युत केबल या विद्युत पंखे और ऐसी वस्तुएं, साधित्र या उपस्कर, जो ज्वलनशील वाष्प को प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं लाए जायेंगे जब तक कि टैंक सक्षम व्यक्ति द्वारा लिखित में, "गैसमुक्त" प्रमाणित नहीं कर दिया जाता। जहां टैंकों को गैसमुक्त प्रमाणित कर दिया गया है तो वहां प्रमाणपत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कम से कम तीन मास की अवधि तक परिरक्षित रखा जाएगा।

9. पेट्रोलियम को टैंक में भली-भांति युग्मित, विद्युततः अविच्छिन्न और मजबूत होज द्वारा डाला जाएगा।

10. भूमिगत टैंक को टैंकों को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय के बीच उस रीति के, और इस अनुज्ञप्ति पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विशेषरूप से पृष्ठांकित शर्तों के अधीन सिवाय नहीं भरा जाएगा।

11. पेट्रोलियम के टैंक को अन्तरित करने के दौरान टैंक लारी वैगन के ठीक आसपास किसी भी समय कोई कृत्रिम प्रकाश जिनसे ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित हो सकते हैं, विद्यमान नहीं होंगे और ऐसे अन्तरण के लिए नियोजित कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। जब भूमिगत टैंक को बैरलों पेट्रोलियम से भरा जाता है तब बैरलों से नौ मीटर की दूरी के भीतर ऐसे प्रकाश की और धूम्रपान की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

12. टैंक में से पेट्रोलियम, सिवाय उस पम्प या उन पम्पों के जरिए ऐसे स्थानों से जो इससे संलग्न नक्शे में चिह्नित किए गए हैं, निकाली नहीं जाएगा। सभी पम्प और उनके कनेक्शन और फिटिंग इस प्रकार से संनिर्मित होंगे और रखे जाएंगे ताकि वे गैसरोधी और पेट्रोलियम रोधी रहें। टैंक और पम्प के बीच पाइप कनेक्शन भूमिगत होने चाहिए।

13. मोटरयानों के टैंकों में पेट्रोलियम भरने के लिए पेट्रोलियम :-

- (क) मजबूत धातु की पाइपों से होकर अनुमोदित पम्पों द्वारा भूमिपरि स्थित 150 लीटर से अनधिक क्षमता वाले मापन टैंकों में, जो कि अनुमोदित स्थिति में लगाए गए हों, पम्प किया जाएगा, और वहां से आगे मजबूत होजों से होकर जिनमें कि सुरक्षित स्वयं बन्द होने वाला कॉक और नोजल लगे होंगे, मोटरयानों के टैंक में डाला जाएगा, अथवा
 - (ख) मजबूत धातु की पाइपों से होकर अनुमोदित पम्पों द्वारा भूमिपरि स्थित अनुमोदित क्षमता वाले सर्विस टैंकों में, जो कि अनुमोदित स्थिति में लगाए गए हों पम्प किया जाएगा, और वहां से आगे 150 लीटर से अनधिक क्षमता के मापन टैंकों में, जो कि अनुमोदित स्थिति में लगाए गए हों, मजबूत धातु होजों से होकर जाएगा। मजबूत होजों से होकर, जिसमें कि सुरक्षित स्वयं बन्द होने वाला टप और नोजल लगे होंगे, मोटरयानों के टैंकों में डाला जाएगा।
 - (ग) अनुमोदित माप वाले पम्पों जो अनुमोदित स्थिति में लगाए गए हों, के जरिए पम्प किया जाएगा, मजबूत होज से होकर जिसमें सुरक्षित स्वयं बन्द होने वाले कार्क और नोजल लगे होंगे मोटर यानों के टैंकों में डाला जाएगा।
14. मोटरयानों को पम्प से पेट्रोलियम की आपूर्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के समय के बीच की जा सकती है परन्तु यह तब जब कि :-

- (i) पम्प और यान विद्युत प्रकाश से या उसके न होने पर कियी अन्य प्रकार के प्रकाश से यथेष्ट रूप से प्रकाशित रखे जायें, तथा

- (ii) ऐसा कोई प्रकाश, जिससे ज्वलनशील वाष्प प्रज्वलित हो सकते हैं, पेट्रोलियम नियम 2002 की चतुर्थ अनुसूची के भाग ख में स्थित यथा विनिर्दिष्ट संकटमय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर न तो हो या न लाया जाए।
15. (क) किसी मोटरयान में जब उसका इंजन चल रहा हो और यान को छह यात्रियों से अधिक को किराए पर प्रवहन करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया है, जब यान में कोई यात्री हो, पेट्रोलियम नहीं डाला जाएगा, तथा
- (ख) किसी मोटरयान में जब इसमें ईंधन और उसमें बैठे हुए या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को धूम्रपान की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
16. टैंक या पम्प में से मोटर यान के साथ भली-भांति क्लैम्प किए गए या फिट किए गए किसी कन्टेनर या पात्र से भिन्न कन्टेनर या पात्र में पेट्रोलियम नहीं भरा जाएगा।

इस शर्त द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन :

- (i) तब लागू नहीं होगा जब इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के प्रयोजन के लिए टैंक साफ किया जाना नितान्त आवश्यक हो, अथवा
- (ii) पम्प के निस्तारण की शुद्धता का मानक क्षमता मापयंत्र द्वारा परीक्षण करने के लिए लागू नहीं होगा, अथवा
- (iii) 25 लीटर से अनधिक क्षमता के अनुमोदित कन्टेनर में पेट्रोलियम भरने पर तब लागू नहीं होगा जब किसी मोटरयान के ईंधन टैंक को, जिसमें से पेट्रोलियम समाप्त हो गया हो, और उस मोटरयान को पम्प पर नहीं लाया जा सकता, पेट्रोलियम की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से भरा जाना नितान्त आवश्यक है।
- (iv) दो सौ मीटर से अनधिक क्षमता वाले अनुमोदित कन्टेनर में पेट्रोलियम वर्ग ख की भराई को और ऐसा कोई यान जिसका इंजन चल रहा हो को कन्टेनर और वितरण पंप के 4.5 मीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
17. (क) इस अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्त स्थायी उपकरण के खराब हो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर अधिक से अधिक एक मास की अवधि तक सुवाह्य कर्बसाइड पम्प उपकरण का प्रयोग भी सम्मिलित है, परन्तु यह तब जब कि सुवाह्य पम्पों को लागू हैं, अनुपालन किया जाए। कोई भी पेट्रोलियम भूमि के ऊपर (सिवाय उसके जो कि पम्प में वास्तव में है) किसी भी ऐसी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा जहां भूमिगत टैंकों का प्रयोग सुवाह्य पम्प के संबंध में सुवाह्य पम्प को भूमिगत टैंक से अस्थायी रूप से जोड़ कर किया जा सकता है।
- (ख) जहां सुवाह्य पम्प को प्रयोग किया जाए वहां पम्प के छह मीटर के भीतर अधिक से अधिक 400 लीटर पेट्रोलियम रिजर्व में रखा जाएगा। इस प्रकार रखा गया पेट्रोलियम अनुमोदित कन्टेनरों में होना चाहिए और उसमें से कोई भी कन्टेनर अनुज्ञप्त परिसर के बाहर नहीं रखा जाएगा।
18. अनुज्ञप्त परिसर के प्रबन्ध करने वाला या उस पर या उसके संबंध में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य चाहे वह जो भी हो नहीं करेगा जिससे आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है और जो कार्य युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है तथा, वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसा करने से निवारित करेगा।
19. पेट्रोलियम के किसी नाली, सीवर या सार्वजनिक सड़क पर वह निकलने को निवारित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती जानी चाहिए।
20. अनुज्ञप्तधारी प्रत्येक पम्प के लिए, चाहे वह कर्बसाइड हो या सुवाह्य, सूखी बालू से कम से कम दो टिन या ड्रम और दो सुवाह्य फोम टाइप या शुष्क रसायन टाइप के अग्निशामकों की व्यवस्था करेगा दो किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार से तैयार रखे जाएंगे कि आग लगने की दशा में उनका तुरन्त प्रयोग किया जा सके।
21. उन परिसरों में जहां ऑटो एल.पी.जी. या सी.एन.जी. वितरण सुविधाएं संस्थापित की जाती हैं तो वहां, यथास्थिति, स्टेटिक और मोबाइल प्रेशर वेसेल्स (अनकायर्ड) नियम, 198 या गैस सिलेंडर नियम 1981 की अपेक्षों उपरोक्त सुविधाओं के लिए इन नियमों के अधीन अनुदत्त संबंधित अनुज्ञप्तियों की शर्तों का भी पालन किया जाएगा।

22. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर किसी भी दुर्घटना आग या विस्फोट से की सूचना जिसमें जनजीवन की क्षति हुई है या जीवन या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति हुई है, निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को और मुख्य नियंत्रक को तुरन्त तार से फोन/फैक्स से और तार द्वारा भी रिपोर्ट की जाएगी। (तार का पता: "विस्फोटक नागपुर")।
23. निरीक्षक या नमूना लेने वाले अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाधरूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन हो रहा है या नहीं, हर सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्ररूप 15

(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 6 देखिए)

संस्थापनों में पेट्रोलियम के आयात और भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या.....

फीस.....रु.

श्री..... को केवल इसमें यथा विनिर्दिष्ट वर्ग के और मात्राओं में पेट्रोलियम..... आयात करने के लिए और उसका, नीचे वर्णित और अनुमोदित नक्शा संख्या तारीख..... जो कि इससे उपाबद्ध है, में दिखाए गए स्थान पर भण्डारकरण के लिए, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर 20 तक प्रवृत्त रहेगी।

पेट्रोलियम का वर्णन

मात्रा किलोलीटरों

में अनुज्ञप्त

क वर्ग का प्रपुंज पेट्रोलियम

क वर्ग के प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न

ख वर्ग का प्रपुंज पेट्रोलियम

ख वर्ग के प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न

ग वर्ग का प्रपुंज पेट्रोलियम

ग वर्ग के प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न

योग

तारीख 20.....

मुख्य नियंत्रक

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थान

अनुज्ञप्त परिसर जिसकी विन्यास सीमाएं अन्य विशिष्टयां संलग्न अनुमोदित नक्शे में दिखाई गई हैं स्थान पर अवस्थित है तथा उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जा सकेगी।	नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प
---	-----------------	------------------	---

यदि निरीक्षण के समय अनुज्ञप्ति परिसर इसमें उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, में से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अपराध के लिए ऐसे साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चात्कर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय भी होगा।

शर्तें

1. अनुज्ञप्त परिसरों का उपयोग मुख्य नियंत्रक की लिखित अनुज्ञा के बिना पेट्रोलियम के भंडारकरण और वितरण तथा उनसे प्रत्यक्षतः सम्बन्धित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

2. पेट्रोलियम केवल भंडारकरण टैंकों और भंडारकरण तथा भराई शैडों में या इस प्रयोजन के लिए इससे उपाबद्ध नक्शे में विनिर्दिष्ट संख्या भीतर अनुमोदित स्थानों में ही रखा जाएगा।

3.(i) टैंक भली भांति डिजाइन की गई नींवों के ऊपर अधारित होंगे और या तो भूमि के नीचे दबाकर रखे जायेंगे या खुले में लगाए जायेंगे तथा चतुर्दिक् दीवार या तटबन्ध से घिरे होंगे, जो अधिक से अधिक दो मीटर ऊंचे और मिट्टी, स्टील, कंकरीट या ठोस चिनाई किए गए होंगे, ताकि वे द्रव स्थैतिक भार को पूरी तरह सहन करने में समर्थ हों। 1 मीटर से ऊंची मिट्टी, की दीवार का शिखर प्लैट सैक्शन 0.6 मीटर से कम चौड़ा नहीं होना चाहिए :

परन्तु दो मीटर से अधिक ऊंची दीवार या तटबन्ध की अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वहां दी जा सकती है जहां ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें उसकी राय में ऐसी वृद्धि की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

(ii) अहाते के भीतर की भूमि अहाते बाहर की भूमि से निम्नतर तल वाली नहीं होगी और उसका ढलान इस प्रकार से बनाया जाएगा कि वह टैंक से नाली या कुंड की ओर आधा प्रतिशत से कम न हो :

परन्तु इस, खण्ड की कोई बात उस अहाते की दशा में लागू नहीं होगी जो उचित ढलान वाले भूमिगत जल निकासी प्रणाली से होकर एक नमूने के अनुसार पर्याप्त क्षमता वाले दक्ष तेल अवरोधक से जुड़ा हुआ है।

(iii) अहाते में निकासी का नियंत्रण एक वाल्व से किया जाएगा जो आग लगने की दशा में सुगम्य, होगा और अहाते के बाहर से ही संचालित किए जाने योग्य होगा। अहाते में से भूपृष्ठ जल निकास नलियां एक दक्ष तेल अंतरोधक से होकर गुजरनी चाहिए।

(iv) जहां एक अहाते में दो या अधिक टैंकों को लगाया गया है, वहां अहाते में टैंकों की कुल क्षमता परम्परागत स्थिर छत टैंकों दशा में 60,000 किलोलीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्लवमान छत टैंकों का विशेष डिजाइन

वाले टैंकों की दशा में 1,20,000 किलो लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां एक ही अहाते में स्थिर और प्लवमान छत टैंकों दोनों का समुच्चय हो तब स्थिर छत टैंकों और प्लवमान छत टैंकों की कुल क्षमता 60,000 किलो लीटर से अधिक नहीं होगी। ऐसे अहाते को व्यापक लम्बाई-चौड़ाई की चिनाई किए गए चैनलों अथवा मध्यवर्ती दीवारों से जो कम से कम 0.6 मीटर ऊंची होनी चाहिए विभाजित किया जाएगा ताकि एक टैंक की छलकन से उसी अहाते में किसी अन्य टैंक को खतरा पहुंचने से रोका जाए।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए छोटे-छोटे टैंकों को ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक टैंक का व्यास में 9 मीटर से अधिक न हो और क्षमता में कुल मिलाकर 5000 किलोलीटर से अधिक न हो, एक टैंक माना जाएगा।

- (v) (क) जहां अहाते में वर्ग क या वर्ग ख के पेट्रोलियम का भंडारकरण किया जाता है या वर्ग ग के पेट्रोलियम का वर्ग क या वर्ग ख के पेट्रोलियम के साथ भंडारकरण किया जाता है वहां अहाते की क्षमता, अहाते में के सबसे बड़े टैंक की क्षमता का शत प्रतिशत उसी अहाते में के सभी अन्य टैंकों के आयतन को घटाने के पश्चात्, अहाते की दीवार की ऊंचाई तक, शत प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) जहां अहाते में केवल वर्ग ग पेट्रोलियम का भंडारकरण किया जाता है वहां अहाता दीवार ऊंचाई एक मीटर से कम नहीं होगी।

- (vi) अहाते के भीतर का स्थान जो टैंक या टैंकों से न भरा हुआ हो, उन आवश्यक पाइपों और वाल्वों तथा अनुमोदित विद्युत प्रकाश के सिवाय सर्वदा साफ और खाली रखा जाएगा।

4. सभी टैंकों में वेंट पाइप लगाए जायेंगे जो खुले वायुमंडल तक जाने चाहिए और उनका खुला हुआ सिरा तांबे या अन्य असंक्षारणीय धातु की तार की जाली से दो परतों से ढका हुआ होना चाहिए जिससे प्रीत लाइनियर सेंटीमीटर कम से कम 11 मैश हों, और उस पर हुड लगा हुआ होना चाहिए अथवा टैंक में अनुमोदित मोचन वाल्व या खतरनाक आंतरिक या बाह्य दबाव निवारण के लिए अन्य अनुमोदित साधन लगा हुआ होना चाहिए। एक टैंक की वेंट पाइप और मोचन वाल्व किसी अन्य टैंक की वेंट पाइप या मोचन वाल्व से अन्तर्सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।

5. किसी टैंक में ढलवां लोहे के वाल्व अनुज्ञात नहीं हैं और संस्थापन में के सभी वाल्वों पर स्थायी रूप से वाल्व को खोलने और बन्द करने के निदेश स्पष्टतया उपदर्शित करने वाली रीति में अंकित किए जाने चाहिए।

6. पम्प उस प्रकार के होंगे और केवल ऐसी स्थिति में लगाए जाएंगे, जो इससे संलग्न नक्शे में दिखाए गए हैं या दिखाई गई हैं, और वे तथा उनके सभी कनेक्शन और फिटिंग इस प्रकार से निर्मित होंगे और बनाए रखे जायेंगे ताकि पेट्रोलियम चूने से रोका जा सके।

7. कन्टेनरों के भंडारकरण या भराई शैड उपयुक्त अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होंगे। शैड आधारी दीवारों पर आधारित होगा और उसके चारों ओर इस प्रकार मजबूती से बनी हुई दीवार या तटबन्ध होना चाहिए जिससे कि 0.25 मीटर से अन्यून और एक मीटर से अनधिक गहरा कुंड या अहाता तैयार हो जाए। इस प्रकार से बना कुंड या अहाता ऐसी यथेष्ट क्षमता का होना चाहिए ताकि जितनी पेट्रोलियम की एक समय में शैड में मौजूद होने की सम्भावना है, उसकी अधिकतम मात्रा की कम से कम एक चौथाई मात्रा बिना च्यवन के उसमें रखी जा सके। कुंडों और अहातों को साफ और ज्वलनशील द्रवों के संचयन से युक्त रख जाना चाहिए।

8. वर्ग क और वर्ग ख को प्रपुंज से भिन्न पेट्रोलियम के भंडारकरण या भराई के लिए प्रत्येक अहातेदार शैड पेट्रोलियम के च्यवन के निवारण के लिए बनाई गई दीवारों के ठीक ऊपर भूमितल के निकट और छत के भी निकट यथेष्ट रूप से संवातित होना चाहिए।

9. (i) टैंक यानों की भराई, खाली किया जाना या उनका खड़ा किया जाना इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित और इससे उपाबद्ध नक्शे में दिखाई गई स्थितियों के अनुसार ही होना चाहिए। नियम 62 से 86 तक के उद्धरण स्थानीय

भाषा में और हिन्दी तथा अंग्रेजी में, प्रत्येक ऐसी स्थिति में बड़े-बड़े अक्षरों में छपवाकर सं प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

- (ii) ऐसा टैंक यान जन इन नियमों के अध्याय 3 के भाग 4 में अभिकथित अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन नहीं करेगा, उसकी अनुज्ञप्त परिसरों के भीतर लदाई या उतराई नहीं की जाएगी या उन्हें खड़ा नहीं किया जाएगा।

10. पेट्रोलियम के भंडारकरण, लदाई, उतराई या पम्प करने के लिए प्रत्येक सुविधा और किसी अन्य सुविधा, भवन, चौहदी बाड़ या संरक्षित, संकर्म के बीच संलग्न सारणी 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट के दूरी से सभी समर्थों पर रहनी चाहिए:

- (क) उस संस्थापन की दशा में जहां भूमोपरि भंडारकृत वर्ग क और वर्ग ख के प्रपुंज पेट्रोलियम की कुल मात्रा 5000 किलोलीटर से अधिक है या जहां ऐसे पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए किसी टैंक की परिधि (ख) के उपबंध के अधीन रहते हुए 9 मीटर से अधिक है, तो सारणी 1 और सारणी 2।
- (ख) किसी ऐसे संस्थापन की दशा में जहां केवल वर्ग ग पेट्रोलियम का भंडारकरण किया जाता है या जहां भूमोपरि भंडारकृत वर्ग क और वर्ग ख के प्रपुंज पेट्रोलियम की मात्रा 5000 किलोलीटर से अधिक नहीं है तथा वर्ग क या वर्ग ख के पेट्रोलियम के भंडारकरण, के लिए किसी टैंक की परिधि 9 मीटर से अधिक नहीं है, तो वहां सारणी 3 में इस नियम के प्रकाशन के पश्चात अनुमोदित सभी नई प्राथमिक परिष्करणशालाओं/संस्थापनों के विन्यास समय-समय पर यथा संशोधित तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मानक 118 के अनुरूप होंगे। यह इन परिष्करणशालाओं/संस्थापनों को लागू नहीं होगा जो मूल तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मानक 118 के प्रकाशन से पूर्व विद्यमान थी और/या निर्माणधीन थी।

इसमें किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी कूप, पम्प स्टेशन, पेट्रो-रासायनिक संयंत्र या परिष्करणशाला पर या उसके निकट किसी संस्थापन में पेट्रोलियम का भंडारकरण किया जाता है वहां उपाबद्ध सारणी 2 में दी गई रियायती दूरियां लागू नहीं होंगी और कोई भंडारकरण टैंक, जिसकी क्षमता 250 किलोलीटर से अधिक है, और कोई पेट्रोलियम भंडारकरण या भराई शेड/क्षेत्र किसी बायलर, भट्टी या अग्नि के 90 मीटर से निकट नहीं होनी चाहिए। ऐसे संस्थापन में सभी टैंक एक संस्त क्षेत्र में स्थित होंगे तथा (क) एक ही नियंत्रण के अन्तर्गत, (ख) एक ही अविच्छिन्न/बाड़े द्वारा घिरे हुए या घेरे जाने योग्य और (ग) ऐसे स्थान पर जहां कोई संरक्षित संकर्म न हो, होंगे।

सारणी 1

(अनुज्ञप्ति प्ररूप 15 की शर्त 10 (क) देखिए)

ऐसे संस्थापन में सुविधाओं से चतुर्दिक बनाए रखी जाने वाली दूरी जहां प्रपुंज वर्ग क और वर्ग ख पेट्रोलियम की भूमि के ऊपर भंडारकृत समस्त मात्रा 5000 किलोलीटर से अधिक है या जहां पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए ऐसे टैंक का व्यास 9 मीटर से अधिक है :

1. इस सारणी में, -

'ब' से बड़े टैंक का व्यास अभिप्रेत है,

'छो' से छोटे टैंक का व्यास अभिप्रेत है,

'उ' से निर्माण सम्बन्धी या संचालन संबंधी सुविधा के लिए उपयुक्त कोई दूरी अभिप्रेत है,

2. जहां अनुकल्पी दूरियां विनिर्दिष्ट की गई हैं वहां न्यूनतम दूरी का अनुपालन किया जा सकेगा।

3. सभी दूरियां प्रत्येक सुविधा के परिमाण में निकटतम स्थलों के बीच मापी जाएंगी सिवाय उस टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र के जहां केन्द्र से दूरी ऐसी लदाई/उतराई के लिए प्रत्येक दिन से मापी जाएगी।

प्रेषित	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग क और वर्ग ख
---------	--------	--------	--------	------------------

प्रेषक	पेट्रोलियम के भंडारकरण टैंक	पेट्रोलियम के भंडारकरण टैंक	पेट्रोलियम भंडारकरण टैंक	पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण भराई शेड
	1	2	3	4
1. वर्ग क पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	0.5 व या छो या	0.5 व या छो या	6 मी	15 मी
2. वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	0.5 व या छो या	0.5 व या छो या	6 मी	15 मी
3. वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	6 मी	6 मी	उ	15 मी
4. वर्ग क और वर्ग ख पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण/भराई शेड	15 मी	15 मी	15 मी	उ
5. वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण/भराई शेड	15 मी	15 मी	उ	8 मी
6. वर्ग क पेट्रोलियम के लिए टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र	15 मी	15 मी	8 मी	15 मी
7. वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र	15 मी	15 मी	उ	15 मी
8. ज्वालासह विद्युत पम्प	8 मी	8 मी	उ	8 मी
9. अज्वालासह विद्युत पम्प	15 मी	15 मी	उ	15 मी
10. कार्यालय, भवन, कर्मशाला भण्डार सुविधा फायर स्टेशन, आदि	15 मी	15 मी	8 मी	15 मी
11. संस्थापन के चारों ओर चौहद्दी बाड़ा	20 मी	15 मी	4.5 मी	15 मी

सारणी - (जारी)

वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए भण्डार-करण। भराई शेड	वर्ग क या वर्ग ख पेट्रोलियम के लिए टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र	वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र	ज्वालासह विद्युत पम्प	संस्थापन के भीतर कार्यालय भवन, कर्मशाला, भण्डार, सुविधाओं फायर स्टेशन आदि	संस्थापन के चारों ओर चौहद्दी बाड़ा	
5	6	7	8	9	10	11
15 मी	15 मी	15 मी	8 मी	15 मी	15 मी	20 मी
15 मी	15 मी	15 मी	8 मी	15 मी	15 मी	15 मी
उ	8 मी	उ	उ	उ	8 मी	4.5 मी
8 मी	15 मी	15 मी	8 मी	15 मी	15 मी	15 मी
उ	8 मी	उ	उ	उ	8 मी	4.5 मी
8 मी	उ	उ	8 मी	15 मी	15 मी	15 मी

उ	उ	उ	उ	उ	8 मी	3 मी
उ	8 मी	उ	उ	8 मी	8 मी	3 मी
उ	15 मी	उ	8 मी	उ	3 मी	उ
8 मी	15 मी	8 मी	8 मी	3 मी	उ	उ
4.5 मी	15 मी	3 मी	3 मी	उ	उ	उ

सारणी - 2

(प्ररूप 15 की शर्त 10 (ख) देखिए)

भंडारकरण टैंकों के बीच परस्पर दूरी

मद	प्लवमान छत	स्थित छत टैंक (वर्ग क और ख पेट्रोलियम)	वर्ग ग
50 मीटर तक व्यास वाले सभी टैंक	(ई + घ) / 4	(ई + घ) / 4	(ई + घ) / 6
50 मीटर से अधिक व्यास वाले सभी टैंक	(ई + घ) / 4	(ई + घ) / 3	(ई + घ) / 4

टिप्पण :

- यह सारणी ऐसे संस्थानों के लिए लागू होती है जहां भूमि के ऊपर भंडारकृत वर्ग क और वर्ग ख पेट्रोलियम की सकल भंडारकरण क्षमता 5000 क्यूबिक मी. से अधिक है या जहां पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए ऐसे टैंक का व्यास 9 मीटर से अधिक है।
- दी गई दूरी शेल से शेल तक वैसी ही डार्क में है।
- संकेत पद्धति :
“ब” मीटरों में बड़े टैंक का व्यास “घ” मीटरों में छोटे टैंक का व्यास
- यदि यथोपरि संगणित परस्पर दूरी (वर्ग क और वर्ग ख के लिए) 15 मीटर से कम है तो 15 मी. का न्यूनतम या 05 “ब” या “घ” का पालन किया जाएगा।
- वर्ग क/ख भंडारण टैंक और वर्ग ग भंडारण टैंकों के बीच की परस्पर दूरी 6 मीटर से अन्यून नहीं होगी।

सारणी 3

[अनुज्ञापित प्ररूप 15 की शर्त 10 (ख) देखिए]

निम्नलिखित संस्थापन में सुविधाओं से चतुर्दिक रखी जाने वाली दूरी -

- जहां केवल वर्ग ग पेट्रोलियम का भण्डारकरण किया जाता है,
 - जहां वर्ग क और वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम की भूमिपर भंडारकरण की जाने वाली कुल मात्रा 5000 किलो लीटर से अधिक नहीं,
 - जहां वर्ग क या वर्ग ख पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए किसी टैंक का व्यास 9 मीटर से अधिक नहीं है।
- (1) इस सारणी में ‘व्या’ से टैंक का व्यास अभिप्रेत है और ‘उ’ से निर्माण सम्बन्धी और संचालन संबंधी सुविधा के लिए उपयुक्त अभिप्रेत है।

(2) जहाँ अनुकल्पी दूरियां विनिर्दिष्ट की गई हैं वहाँ न्यूनतम दूरी का अनुपालन किया जाएगा।

(3) सभी दूरियां प्रत्येक सुविधा में निकटतम स्थलों के बीच मापी जाएगी सिवाये उस टैंक वाहन लदाई/उतराई क्षेत्र में के जहाँ दूरियां माप ऐसी लदाई/उतराई के लिए प्रत्येक दिन से लिया जाएगा।

प्रेषित प्रेषक	वर्ग क पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	वर्ग ख पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	वर्ग क पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक
	1	2	3	4
1. वर्ग क पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	0.5 व्या या 6 मी	0.5 व्या	0.5 व्या	9 मी
2. वर्ग ख पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	0.5 व्या या 6 मी	0.5 व्या	0.5 व्या	9 मी
3. वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण टैंक	0.5 व्या या 6 मी	0.5 व्या	उ	9 मी
4. वर्ग क पेट्रोलियम के लिए के लिए भंडारकरण/भराई शैड	9 मी	9 मी	9 मी	उ

1	2	3	4	
5. वर्ग ख पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण/भराई शैड	9 मी	0.5 व्या	0.5 व्या	4.5 मी
6. वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए भंडारकरण/भराई शैड	9 मी	0.5 व्या	उ	6 मी
7. वर्ग क पेट्रोलियम के लिए टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र	15 मी	9 मी	9 मी	9 मी
8. वर्ग ख पेट्रोलियम के लिए टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र	15 मी	4.5 मी	4.5 मी	9 मी
9. वर्ग ग पेट्रोलियम के लिए टैंक यान लदाई/उतराई क्षेत्र	15 मी	4.5 मी	उ	9 मी
10. ज्वालासह विद्युत पम्प	3 मी	3 मी	उ	3 मी
11. अज्वाला सह विद्युत पम्प	15 मी	4.5 मी	उ	9 मी
12. संस्थापन के भीतर कार्यालय, भवन, भंडार सुविधाएं आदि	15 मी	व्या न्यूनतम 4.5 मी	0.5 व्या न्यूनतम 3 मी	3 मी
13. संस्थापन के चारों ओर चौहद्दी बाड़ा	15 मी	व्या न्यूनतम 4.5 मी	0.5 व्या न्यूनतम 3 मी	9 मी

सारणी - (जारी)

वर्ग ख पेट्रोलियम	वर्ग ग पेट्रोलियम	वर्ग क पेट्रोलियम	वर्ग ख पेट्रोलियम	वर्ग ग पेट्रोलियम	ज्वालासह विद्युत	अज्वाला सह विद्युत	संस्थापन के भीतर	संस्थापन के चारों ओर
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------

के लिए भंडारकरण भरी शेड	के लिए भंडारकरण भराई शेड	के लिए टैंक यान लदाई/ उतराई क्षेत्र	के लिए टैंक यान लदाई/ उतराई क्षेत्र	के लिए टैंक यान लदाई/	पम्प	पम्प	कार्यालय चौहदी बाड़ा भवन, भण्डार सुविधायें आदि	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 मी	9 मी	15 मी	15 मी	15 मी	3 मी	15 मी	15 मी	15 मी
0.5 व्या	0.5 व्या	9 मी	4.5 व्या	4.5 व्या	3 मी	4.5 व्या	न्यूनतम व्या	न्यूनतम व्या
0.5 व्या	उ	9 मी	4.5 मी	उ	उ	उ	न्यूनतम 3 मी	न्यूनतम 3 मी
4.5 मी	6 मी	9 मी	9 मी	9 मी	3 मी	9 मी	9 मी	9 मी
उ	1.5 मी	9 मी	4.5 मी	4.5 मी	1.5 मी	4.5 मी	4.5 मी	4.5 मी
1.5 मी	उ	9 मी	4.5 मी	उ	उ	उ	3 मी	3 मी
9 मी	9 मी	उ	9 मी	9 मी	3 मी	9 मी	9 मी	9 मी
4.5 मी	4.5 मी	9 मी	उ	4.5 मी	1.5 मी	4.5 मी	4.5 मी	4.5 मी
4.5 मी	उ	9 मी	4.5 मी	उ	उ	उ	3 मी	3 मी
1.5 मी	उ	3 मी	1.5 मी	उ	उ	3 मी	उ	उ
4.5 मी	उ	9 मी	4.5 मी	उ	3 मी	उ	उ	उ
4.5 मी	3 मी	9 मी	4.5 मी	3 मी	उ	उ	उ	उ
4.5 मी	3 मी	9 मी	4.5 मी	3 मी	उ	उ	उ	उ

11. शर्त 10 में विनिर्दिष्ट दूरियां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उन दशाओं में कम की जा सकती हैं जहां विशेष पूर्वावधानियां बरती जाती हैं और जहां कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें, उसकी राय में, दूरियों का इस प्रकार से घटाया जाना उचित है।
12. संस्थापन में कोई परिवर्तन अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। मंजूर किए गए ऐसे परिवर्तनों को इस अनुज्ञप्ति से उपाबद्ध संशोधित नक्शे में दिखाया जाएगा।
13. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में नोटिस देकर अनुज्ञप्त परिसरों में कोई ऐसी मरम्मत कराने की जो उसकी राय में परिसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करता है तो यह ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि सूचना में नियत की जाए तथा जो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक मास से कम नहीं होगी, मरम्मत कराएगा।

14. नियम 118 में निर्दिष्ट उत्तरदायी अधिकर्ता या पर्यवेक्षक किसी व्यक्ति को ऐसे टैंक में, जिसमें पेट्रोलियम हो, प्रवेश करने की तब तक अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि:

- (क) ऐसा व्यक्ति मुख्य नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार का अनुमोदित श्वसन साधित्र नहीं पहन लेता, या
- (ख) (i) उत्तरदायी अधिकर्ता या पर्यवेक्षक टैंक के उसके द्वारा स्वयं या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण के परिणामस्वरूप पर लिखित (ओ आई एस डी मानक 105 में दिए गए विहित प्रारूप में यह प्रमाणित नहीं कर देता कि टैंक के अन्दर का वायुमंडल व्यक्तियों के प्रवेश के लिए ठीक है, तथा
- (ii) उस टैंक के, जिसकी सफाई या मरम्मत की जा रही है, मैन होल पर तुरन्त प्रयोग के लिए मुख्य नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित नमूने का कम से कम एक अनुमोदित श्वसन साधित्र तैयार नहीं रखा गया है।

इस शर्त के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अनुज्ञापत्र परिसर में तीन मास तक परिरक्षित रखे जाएंगे।

15. किसी टैंक में या उस पर अथवा ऐसे टैंक और किसी भवन या चौहद्दी के बीच रखी जाने वाली सुरक्षित दूरी के भीतर कोई ऐसा कार्य, जिसमें अग्नि का प्रयोग झलाई या गर्म कर के रिबेटिंग लगाना सम्मिलित हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि शर्त 14 के खण्ड (ख) में अधिकथित रीति से टैंक को ओ.आई.एस.डी. मानक 105 में दिए गए प्रोफार्मा में पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त प्रमाणित नहीं कर दिया जाए। जब टैंक में जल-पम्प किया जाता है या उसमें से जल निकाला जाता है तब ऊपर बनाई गई प्रकृति का कोई कार्य आगे तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि टैंक का परीक्षण पुनः नहीं कर लिया जाता और एक नया प्रमाणपत्र जारी नहीं कर दिया जाता। जब टैंक को सफाई या मरम्मत के लिए खोला जाए तब किसी भी प्रकार का कोई लैम्प चाहे वह साधारण हो या विद्युत, विद्युत टाचों, विद्युत केबल या ज्वालासह से भिन्न पंखे या आन्तरिक रूप से सुरक्षित प्रकार के पंखों से भिन्न पंखे टैंक के निकट नहीं लाए जाएंगे।

16. कोई व्यक्ति, यदि इसकी जानकारी में उस पात्र में कोई पेट्रोलियम है या रखा गया है, किसी पात्र की मरम्मत तब तक नहीं करेगा या कटाएगा जब तक कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां न बरती हो कि वह पात्र या पाइप ऐसे पेट्रोलियम और हर ज्वलनशील वाष्प से मुक्त किया जा चुका है :

परन्तु यह शर्त वर्ग ख या वर्ग ग के पेट्रोलियम वाले पात्रों की भराई और वितरण के सम्बन्ध में प्राथिक मुंहबंदी की क्रिया का प्रतिरोध करने वाली नहीं समझी जाएगी।

17. ऐसे सभी रिक्त पात्र जिनमें वर्ग क का पेट्रोलियम रखा गया हो, सिवाय वहां के जब उन्हें साफ करने के लिए और पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त करने के प्रयोजन के लिए खोला जाता है, तब तक भली भांति बन्द रखे जायेंगे जब तक कि उन्हें पूरी तरह साफ नहीं कर दिया जाता और ज्वलनशील वाष्प से मुक्त नहीं कर दिया गया है।

18. (क) आग या विस्फोट से दुर्घटना के निवारण के लिए सभी समयों पर यथेष्ट पूर्वावधानियां बरती जायेंगी।

(ख) जहां कहीं मुख्य नियन्त्रक द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाए वहां भंडारकरण टैंकों में अनुमोदित अग्नि फोम और/या जल छिड़काव वाले संलग्नों, जो सभी समयों पर समुचित व्यवस्था में रखे जायेंगे, फिट किये जायेंगे।

19. किसी भी पेट्रोलियम के किसी नाली, सीवर, बन्दरगाह, नदी, जल सरणी या सार्वजनिक सड़क पर बह निकलने के निवारण के लिए हर सावधानी बरती जाएगी और अहातों या कुंडों को किसी नाली या सीवर के सात स्थायी रूप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

20. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम की सभी प्राप्तियों और निर्गमों के दैनिक अभिलेख और लेखे ऐसे प्ररूप में रखेगा जैसे कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विहित किये जायें और अपने स्टॉक को और अभिलेखों को निरीक्षक या नमूना लेने वाले अधिकारी को मांग किये जाने पर दिखाएगा।

21. अनुज्ञप्ति परिसरों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर आग या विस्फोट से होने वाली किसी भी दुर्घटना की रिपोर्ट जिसमें मानव जीवन की क्षति हुई या व्यक्ति या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति हुई है, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के

भारसाधक को की जाएगी और मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक निकटतम को भी, अविलम्ब तार द्वारा भी (तार का पता "विस्फोटक, नागपुर") दी जाएगी।

22. निरीक्षक या नमूना लेने वाले अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसरों में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन हो रहा है या नहीं, हर सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्ररूप 16

(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 7 देखिए)

300 लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग क के प्रपुंज पेट्रोलियम या 25,000 लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग ख के पेट्रोलियम या 45,000 लीटर से अधिक मात्रा में वर्ग ग के पेट्रोलियम या वर्ग क के पेट्रोलियम का किसी अन्य वर्ग के पेट्रोलियम के साथ कुल मिलाकर 300 लीटर से अधिक मात्रा से भिन्न मात्रा में आयात और भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति।

अनुज्ञप्ति सं.....

श्री को इसमें तथा विनिर्दिष्ट वर्गों के और मात्राओं में पेट्रोलियम को, आयात करने के लिए और नीचे विनिर्दिष्ट स्थानों में, जो इससे संलग्न अनुमोदित नक्शा सं तारीख में दिखाए गए हैं, पेट्रोलियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति को अतिरिक्त शर्तों पर भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

अनुज्ञप्ति 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगी।

पेट्रोलियम का वर्णन

वर्ग क पेट्रोलियम	लीटर
वर्ग ख पेट्रोलियम	लीटर
वर्ग ग पेट्रोलियम	लीटर

तारीख 20

नियंत्रक

..... सर्किल

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थान

अनुज्ञप्त परिसर जिनकी नक्शा सीमाएं..... पर और अन्य विशिष्टियां संलग्न

अनुमोदित नक्शे में दिखाए गए हैं

यहां स्थित है।

नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों या	नवीकरण की तारीख	समाप्ति	अनुज्ञापन प्राधिकारी
उनके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जा सकेगी।	की तारीख	के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प	

यदि निरीक्षण के समय अनुज्ञप्त परिसर इससे उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उन में से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चात्तवर्ती अपराध लिए ऐसे साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय भी होगा।

1. अनुज्ञप्त परिसरों का उपयोग मुख्य नियंत्रक की लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा के बिना पेट्रोलियम के भंडारकरण और वितरण तथा उनसे प्रत्यक्षतः संबंधित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

2. पेट्रोलियम का भंडारकरण केवल ऐसे भंडारकरण शैड में किया जाएगा जो उपयुक्त अदहनशील सामग्री से संनिर्मित होंगे, परन्तु जहां वर्ग क पेट्रोलियम का भंडारकरण नहीं किया जाना है वहां बीम, रैपटर, कालम, खिड़कियां और दरवाजे लकड़ी के हो सकते हैं।

3. भंडारकरण शैड नींव की दीवारों पर आधारित होगा और उसके चारों ओर एक दीवार या मजबूती से निर्मित तटबन्धों से घिरा होगा या दीवारों और फर्श इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि अधिक से अधिक से अधिक 30 सेंटीमीटर गहरा एक कुंड तैयार हो जाए। इन पद्धतियों के संयोजन की अनुज्ञा दी जा सकती हो। इस प्रकार से बना हुआ अहाता या कुंड इतनी यथेष्ट क्षमता का होगा कि उसमें उतने पेट्रोलियम जितने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, का कम से कम आधा आ सके और वे इस प्रकार से निर्मित होंगे और बनाए रखे जायेंगे कि उसमें से कोई पेट्रोलियम द्रव के रूप में, चाहे आग लगने की स्थिति में अथवा, अन्यथा बाहर निकलने से रोका जा सके कुंडों और अहातों को साफ और ज्वलनशील द्रवों के जमा होने से मुक्त रखा जाना चाहिए।

4. यदि भंडारकरण शैड का उपयोग वर्ग क पेट्रोलियम के भंडारकरण के लिए किया जाता है तो वह भूमि तल के निकट, उन दीवारों ठीक ऊपर जो शर्त 3 में विनिर्दिष्ट कुंड बनाने के लिए तैयार की गई हों और छत के निकट भी यथेष्ट रूप से संवातित होगा। संवातकों को अच्छे ताप या अन्य असंस्कारणीय धातु की जाली की, जिसमें प्रति लाइनियर सेंटीमीटर कम से कम 11 मैश हो, दो परतों से ढका जाएगा।

5. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापन जारी को लिखित रूप में नोटिस देकर अनुज्ञप्त परिसर में कोई ऐसी मरम्मत कराने की, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करता है तो वह ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि सूचना द्वारा नियत की जाए और जो सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक मास से कम नहीं होगी, मरम्मत

कराएगा।

6. अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित रूप में मंजूरी के बिना नहीं किए जाएंगे। सभी परिवर्तन इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न किए जाने वाले संशोधित नक्शे में दिखाए जायेंगे।

7. भंडारकरण शैड और संरक्षित निर्माण के बीच सभी समयों पर निम्नलिखित दूरियां रखी जायेंगी:-

शैड में भंडारकृत पेट्रोलियम के सभी वर्गों के भंडारकरण की अनुज्ञप्त क्षमता।

शैड से बनाए रखी जाने वाली, दूरियां

	पेट्रोलियम क वर्ग	पेट्रोलियम ख वर्ग	पेट्रोलियम ग वर्ग
2500 लीटर से अधिक	6 मीटर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2500 लीटर से अधिक किंतु			
25,000 लीटर से अनधिक	7.5 मीटर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
25,000 लीटर से अधिक किंतु			
50,000 लीटर से अनधिक	9 मीटर	3 मीटर	लागू नहीं होता
50,000 लीटर से अधिक किंतु			किंतु नहीं
1,00,000 लीटर से अनधिक	12 मीटर	4.5 मीटर	3 मीटर
1,00,000 लीटर से अधिक	15 मीटर	6 मीटर	3 मीटर

जहां एक से अधिक वर्ग पेट्रोलियम का एक-साथ भंडारकरण किया जाता है वहां इस शर्त के प्रयोजन के लिए पेट्रोलियम की समस्त मात्रा उनमें से सबसे अधिक ज्वलनशील पेट्रोलियम की मात्रा समझी जाएगी।

8. शर्त 7 में विनिर्दिष्ट दूरियां अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा वहां कम की जा सकेंगी जहां स्क्रीन दीवारें लगाई जाती हैं या अन्य विशेष पूर्वावधानियां बरती जाती हैं या जहां ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें उसकी राय में ऐसी कमी की जा सकती है।

9. ड्रम या अन्य पात्र, जिनमें पेट्रोलियम हो, केवल अनुज्ञप्त परिसरों में ही खोले जायेंगे और उतने ही समय के लिए खोले जायेंगे जितना पेट्रोलियम निकालने के लिए आवश्यक है और पेट्रोलियम निकाले जाने के दौरान पेट्रोलियम या उसके वाष्प के बाहर निकल जाने से निवारण के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां बरती जायेंगी।

10. ऐसे सभी रिक्त पात्र जिनमें वर्ग क पेट्रोलियम रखा गया हो, सिवाय तब के जब के उन्हें साफ करने के लिए और पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त करने के प्रयोजन के लिए खोला जाता है तब तक भली भांति बन्द रखे जाएंगे जब तक कि उन्हें पूरी तरह साफ नहीं कर लिया जाता और पेट्रोलियम और ज्वलनशील वाष्प से मुक्त नहीं कर लिया जाता।

11. कोई व्यक्ति किसी ऐसे पात्र को, जिसमें उसकी जानकारी में कोई पेट्रोलियम है या रखा गया है, तब तक न तो मरम्मत करेगा न मरम्मत कराएगा जब तक कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वावधानियां न बरती हों कि पात्र पेट्रोलियम और किसी ज्वलनशील वाष्प से मुक्त किया जा चुका है:

परन्तु यह शर्त पेट्रोलियम के पात्रों की भराई और वितरण के सम्बन्ध में प्रायिक टांका बनाने को संक्रिया का उस दशा में प्रतिषेध करने वाली नहीं समझी जाएगी जब ऐसी संक्रियाएं भंडारकरण शैड के अंदर और बाहर किसी अनुमोदित स्थान में की जाती हैं।

12. आग या विस्फोट से दुर्घटना के निवारण के लिए यथेष्ट पूर्वावधानियां सभी समयों पर बरती जाएंगी। भंडारकरण शैड के ठीक बाहर किसी सहज पहुंचनीय स्थान पर सूखा बालू यथेष्ट प्रति में और उसका सुगमता से अनुप्रयोग करने के लिए आवश्यक साधन अथवा तेल से लगने वाली आग का उचित रूप से मुकाबला करने के लिए यथेष्ट संख्या में सुवाह्य अग्निशामक सदैव रखे जाएंगे।

13. किसी भी पेट्रोलियम के किसी नाली, सीवर, बन्दरगाह, नदी, जलसरणी या सार्वजनिक सड़क पर बह निकलने से

निवारण के लिए हर सावधानी बरती जाएगी।

14. अप्राधिकृत व्यक्तियों की रखे गए पेट्रोलियम और किसी ऐसे पात्र तक, जिसमें कि पेट्रोलियम है या रखा गया हो, पहुंच से निवारण के लिए यथेष्ट पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

15. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम की सभी प्राप्तियों और निर्गमों के दैनिक अभिलेख और लेखे ऐसे प्ररूप में रखेगा जैसे कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं और अपना भण्डार और अभिलेख निरीक्षक या नमूना लेने वाले अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर दिखाएगा।

16. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर आग या विस्फोट से होने वाली कोई दुर्घटना जिसमें जनजीवन की क्षति हुई है या जीवन या सम्पत्ति की गम्भीर क्षति हुई है, रिपोर्ट निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को टेलीफोन/फैक्स और तार द्वारा भी दी जाएगी (तार का पता: "विस्फोटक, नागपुर")।

17. निरीक्षक या नमूने लेने वाले अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश करने दिया जाएगा और ऐसे अधिकारी को, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक् रूप से अनुपालन हो रहा है या नहीं हर सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्ररूप 17

प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 8 देखिए

केवल फसल छिड़काव और वन अग्नि कार्य से संबंधित वायुयानों में पुनः ईंधन भरने के लिए 50,000 लीटर से अनधिक मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग क और वर्ग ख का अस्थायी रूप से भंडारकरण करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं

फीस रु.

श्री को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है जा स्थान पर पेट्रोलियम वर्ग क के किलोलीटर का केवल भंडारण करने के लिए है जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए होगी।

यह अनुज्ञप्ति तक विधिमान्य होगी।

तारीख

नियंत्रक

..... सर्किल

शर्तें

1. अनुज्ञप्त परिसरों का प्रयोग पेट्रोलियम के भंडारकरण या उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रयोजनों से अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

2. पेट्रोलियम ऐसे घिरे हुए आहातों में भंडारकृत किया जाएगा जिनमें शर्त (3) के अनुसार अपेक्षित सुरक्षा दूरी का पालन किया जाता है।

3. भंडारकरण परिसरों से संरक्षित संकर्मों तकसभी समयों पर निम्नलिखित सुरक्षा दूरियां बनाई रखी जाएंगी। वन अग्नि का शमन करने के लिए भंडारकरण की दशा में भंडार वन क्षेत्र से पर्याप्त दूर होगा जिससे कि परिसरों में भंडारकृत पेट्रोलियम उत्पाद किसी भी परिस्थिति में वन की अग्नि से प्रभावित न हो।

अनुज्ञप्त क्षमता (पेट्रोलियम लीटरों में)	दूरी जो सभी समयों पर स्पष्ट रखी जाएगी (मीटर)
2,500 लीटर से अनधिक	12 मीटर
2,500 लीटर से अधिक किंतु 25,000 लीटर से अनधिक	15 मीटर
25,000 लीटर से अधिक किंतु 50,000 लीटर से अनधिक	15 मीटर

- आहातों में भंडारकृत किए जाने के लिए संभावित पेट्रोलियम को अधिकम मात्रा से घिरे हुए अहातों को क्षमता 5 प्रतिशत अधिक होगी।
- अनुमोदित प्रकार के बैरलों में पेट्रोलियम को मुख्य नियंत्रक द्वारा भंडारकृत किया जाएगा।
- शर्त 3 के द्वारा अपेक्षित सुरक्षा जोन को रस्सो या अन्य उपयुक्त बाड़ द्वारा घेरा जाएगा।
- 'धूम्रपान वर्जित' का चिह्न बाड़ लगे हुए क्षेत्र के चारों ओर सुस्पष्ट रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में संप्रदर्शित किया जाएगा।
- भंडारकरण क्षेत्र को पर्याप्त संख्या में रक्षकों को व्यवस्था करके निरंतर रक्षित किया जाएगा। यदि अपेक्षित हो तो बाड़ वाले क्षेत्र के बाहर रक्षकों के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाएगी।
- ऐसे कंटेनर जिनमें पेट्रोलियम अंतर्विष्ट है, को तिरपाल से ढका जाएगा।
- फसल छिड़काव की संक्रियाओं के पूर्ण होने पर फालतू बचने वाला कोई पेट्रोलियम डिपो में वापस किया जाएगा या पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन सम्यक्तः अनुज्ञप्त परिसरों में भंडारकृत किया जाएगा।
- ऐसे ड्रम या पात्र जिनमें पेट्रोलियम अंतर्विष्ट है केवल उतने समय के लिए खोले जाएंगे जो पेट्रोलियम निकालने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार निकालते समय पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से वाष्प निकलने से निवारित करने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरती जाएगी।
- ऐसे सभी खाली पात्र जिनमें पेट्रोलियम अंतर्विष्ट है, सिवाय तब के जब वे सफाई के प्रयोजन के लिए और उन्हें पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त करने के लिए खोला जाता है, सुरक्षित रूप से बंद रखा जाएगा जब तक कि उन्हें पूर्णतया साफ न कर दिया गया हो और पेट्रोलियम तथा ज्वलनशील वाष्प से पूर्णतया मुक्त न कर दिया गया हो।
- कोई व्यक्ति ऐसे कंटेनर जिसमें उसके ज्ञान के अनुसार कोई पेट्रोलियम है या रखा गया है कि मरम्मत तब तक नहीं करेगा या करवाएगा जब तक कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त पूर्वावधानी न बरती हो कि कंटेनर पेट्रोलियम और किसी ज्वलनशील वाष्प से मुक्त कर दिया गया है।
- सभी समयों पर अग्नि से दुर्घटना या विस्फोटक के निवारण के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरती जाएंगी। शुष्क रेत की पर्याप्त मात्रा तथा उसके सुविधाजनक उपयोग के लिए आवश्यक उपस्कर या पेट्रोलियम की अग्नि का शमन करने के लिए उपयुक्त सुवाह्य अग्नि शामक आहाते की सीमाओं के तुरंत बाहर सहज गम्य स्थानों में रखे जाएंगे।
- किसी नाले, सीवर, बंदगाह, नदी, जल सरणी या सार्वजनिक सड़क पर किसी पेट्रोलियम के बह निकलने का निवारण करने के लिए हर प्रकार से ध्यान रखा जाएगा।
- किसी पेट्रोलियम और किसी अन्य कंटेनर में जिसमें पेट्रोलियम अंतर्विष्ट है या अंतर्विष्ट था किसी अप्राधिकृत व्यक्ति की पहुंच के निवारण के लिए पर्याप्त पूर्वावधानी बरती जाएगी।
- अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम की सभी प्राप्तियों और निर्गमों के दैनिक अभिलेख और खाते रखेगा तथा मांग किए जाने पर किसी निरीक्षक या नमूना अधिकारी के समक्ष पेश करेगा।

18. अनुज्ञप्त परिसरों के भीतर होने वाले किसी दुर्घटना या अग्नि विस्फोट की रिपोर्ट तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या निकतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी और अनुज्ञप्त प्राधिकारी को की जाएगी।
19. किसी निरीक्षक या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुंचा दी जाएगी और ऐसे अधिकारी को यह अभिनिश्चित करने के लिए अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का सम्यक्तः पालन किया जा रहा है, प्रत्येक सुविधा दी जाएगी।

प्रारूप 18

(प्रथम अनुसूची का खंड 10 देखिए)

यांत्रिक रूप से चालित यान से कंटेनर में मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिए अनुज्ञप्ति।

अनुज्ञप्ति सं

फीस रु.

श्री को जो का अभिकर्ता/व्यौहारी है पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए टैंक यान से कंटेनरों में मिट्टी का तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख) का प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 31 दिसंबर, 20..... तक प्रवृत्त रहेगी। टैंक यान के प्रचालन का क्षेत्र निम्नलिखित होगा :

1.

2.

तारीख.....

विस्फोटक नियंत्रक

पृष्ठांकन के नवीकरण के लिए स्थान

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फीस में बिना किसी रियायत के तीन वर्ष तक नवीकरणीय होगी।

नवीकरण की तारीख

समाप्ति
की तारीख

अनुज्ञापन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और कार्यालय
स्टाम

यदि परिसर, अनुज्ञप्ति के संलग्न शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है उनमें किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है और अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकता है या दोनों से और पश्चातवर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से जो तीन मास तक का हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति या उसकी प्राधिकृत प्रति हर समय टैंक यान में उपलब्ध रहेगी और निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर पेश की जाएगी।
2. मिट्टी के तेल का निस्तारण करने वाले टैंक यान के पास पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन प्ररूप 11 के अधीन प्ररूप में विधिमान्य अनुज्ञप्ति होगी और उसकी प्राधिकृत प्रति अनुज्ञप्त यान में रखी जाएगी तथा निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर पेश की जाएगी।
3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बैरलों में निस्तारण के प्रयोजनार्थ प्रतिदिन दो टैंक यान भार से अनधिक मिट्टी का तेल नहीं ले जाया जाएगा, मिट्टी के तेल का किसी खुदरा व्यौहारी को परिदान दिन में केवल एक बार किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रभाव का अभिलेख रखा जाएगा।
4. एक स्थान पर 2500 लीटर मिट्टी के तेल से अधिक का निस्तारण कंटेनर में नहीं किया जाएगा। किसी एक समय पर खुदरा व्यौहारी को 2500 लीटर मिट्टी के तेल से अधिक का परिदान नहीं किया जाएगा और इसका कोई भाग एक हजार लीटर क्षमता से अधिक के पात्र में परिदत्त नहीं किया जाएगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि कंटेनर में मिट्टी के तेल के निस्तारण का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेगा और अग्नि तथा विस्फोट के विरुद्ध सभी पर्याप्त पूर्वावधानियां बरतेगा।
6. "धूम्रपान वर्जित" के बोर्ड, जनभाषा और अंग्रेजी में उन परिसरों के निकट संप्रदर्शित किए जाएंगे जहां मिट्टी के तेल का निस्तारण किया जाता है।
7. निस्तारण करने वाले हौज मजबूत होने चाहिए और विद्युत रूप से अविच्छिन्न होगा और उसमें कंटेनरों को भरने के लिए उपयुक्त रेड्यूसर लगे होंगे। ऐसे रेड्यूसर में उपयुक्त वाल्व होगा जिससे की अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि आपात स्थिति में निकासी बंद करने में समर्थ हो सके।
8. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि टैंक यान से मिट्टी के तेल का निस्तारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर चूने वाले नहीं हैं।
9. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनरों में प्लाश फिट नहीं है और परिदान के लिए प्रयुक्त होने वाले रेड्यूसर का खुला छोर कंटेनर के तल तक विस्तारित हो सकता है।
10. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्वावधानियां बरती जाएंगी कि निस्तारण संक्रिया के दौरान स्थैतिक विद्युत चार्ज संचित न हो।
11. सूर्यास्त से सूर्योदय तक से समय में कोई निस्तारण नहीं किया जाएगा।
12. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करे और निस्तारण के स्थान आस-पास पेट्रोलियम का ज्वलन पैदा करने में समर्थ कोई माचिस, अग्नि, प्रकाश वस्तु या पदार्थ न हो।
13. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के स्थान के आस-पास कोई अप्राधिकृत व्यक्ति को अनुज्ञात न किया जाए।
14. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे समय पर मिट्टी के तेल का निस्तारण नहीं करेगा जब उस क्षेत्र में असामान्य दशाएं प्रवृत्त हो।
15. मिट्टी के तेल के निस्तारण के दौरान दुकानदार द्वारा मिट्टी के तेल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 72 से 80, तक 82 और 84 से पूर्णतः सुपरिचित होना

चाहिए और ऊपर वर्णित नियमों के उद्घरण ऐसे स्थान पर जहां बैरलों में निस्तारण किया जाएगा, सहज दृश्य स्थान पर सुस्पष्टतः संप्रदर्शित किए जाएंगे।

17. निस्तारण संक्रिया के दौरान शुष्क रेत की कम-से-कम दो बाल्टियां और दो शुष्क रसायन या फोम टाइप के अग्नि शामक उपलब्ध रखे जाएंगे।
18. टैंक यानों द्वारा इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को कंटेनरों में मिट्टी के तेल का निस्तारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट अनुमोदन अभिप्राप्त न किया गया हो।
19. अनुज्ञप्त परिसर के भीतर हुई ऐसी किसी दुर्घटना, अग्नि या विस्फोटक जिसमें जीवन की क्षति या संपत्ति को गंभीर क्षति हुई हो, निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी और मुख्य नियंत्रक को टेलीफोन फैक्स और तार द्वारा भी रिपोर्ट की जाएगी (टेलीग्राफिक पता "विस्फोटक, नागपुर")।

अनुज्ञप्ति

प्ररूप 19

(पेट्रोलियम नियम, 2001 की प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद (11) देखिए)

यांत्रिक रूप से चालित यानों अर्थात् रिफ्यूलर द्वारा भूमि पर प्रपंज में वर्ग क/ख पेट्रोलियम के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति।

(क) वायुयानों में पुनः ईंधन भरने के लिए पेट्रोलियम वर्ग क/ख

या

(ख) भारी यानों/मशीनरी/स्थैतिक उपस्करों में स्थल पर ईंधन भरने के लिए वर्ग क/ख पेट्रोलियम।

अनुज्ञप्ति सं.

फीस रुपए

श्री को वायुयानों/भारी यानों/मशीनरी/स्थैतिक उपस्करों में नीचे यथा वर्णित के रिफ्यूलर द्वारा स्थल पर ईंधन भरने के लिए भूमि पर पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रपंज में वर्ग क/ख पेट्रोलियम के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

जारी करने की तारीख

विस्फोटक नियंत्रक

वर्णन

1. यान में लदाई इससे संलग्न अनुमोदित नक्शा सं. तारीख में वर्णित विशेष रूप से तैयार किए गए क्षेत्र या प्ररूप 15 अथवा विशेष प्ररूप में अनुज्ञप्त भंडारकरण परिसरों में की जाती है।
2. संक्रिया के क्षेत्र और भरे जाने वाले उपस्कर-
3. रिफ्यूलर इससे संलग्न अनुमोदित आरेखण सं. तारीख और नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुरूप है:-

मेक और माडल

इंजन सं.

चेसिस सं.

रजिस्ट्रीकरण सं.

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रति हर समय अनुज्ञप्त यान में रखी जाएगी और निरीक्षक द्वारा मांग किए गए जाने पर पेश की जाएगी।
2. केवल ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति जो इस अनुज्ञप्ति की शर्तों से सुपरिचित हैं, अनुज्ञप्त यान के चालन के लिए और उसकी देख-रेख के लिए नियोजित किए जाएंगे।
3. अनुज्ञप्त यान के भरण, परिवहन और वायुयान, भारी यान/मशीनरी और स्थैतिक उपस्कर के टैंक में स्थल पर पुनः ईंधन भरने के दौरान किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसकी देख-रेख की जाएगी:

परन्तु अनुज्ञप्त यान को यदि उसके टैंक और कंपार्टमेंट खाली हों, तो मुख्य नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिखित में अनुमोदित किसी भी स्थान पर बिना देख-रेख के छोड़ा जा सकता है।

4. अनुज्ञप्त यान, तृतीय अनुसूची में अभिकथित डिलाइन और संनिर्माण अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।
5. अनुज्ञप्त यान हर समय निम्नलिखित वहन करेगा-

(क) कम-से-कम नौ लीटर क्षमता वाला सुवाह्य अग्नि शामक जो तेल-अग्नि शामक के लिए उपयुक्त हो; शामक को सहज गम्य स्थित में यान की विसर्जन टोंटियों से दूर बिना ताला बंद किए बिना रखा जाएगा;

(ख) विद्युत: अविच्छिन्न हौज जिसमें अनुज्ञप्त यान की विसर्जन टोंटी के अनुरूप तेलरोधी कपलिंग हो;

(ग) विद्युत बंधन के लिए मजबूत और लचीली केबल, कम-से-कम पांच मीटर लंबी होनी चाहिए और उसके दोनों सिरों पर उपयुक्त क्लैंप या क्लिप होगी।

6. अनुज्ञप्त यान की लदाई विशेष प्ररूप या प्ररूप 13 में अनुज्ञप्त भंडारकरण परिसरों में की जाएगी जिनमें टैंक लॉरी सुविधा हो। यान यदि पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए अनुज्ञप्त हो तो उसकी लदाई प्ररूप 12 में अनुज्ञप्त सर्विस स्टेशन से संलग्न विनिर्दिष्ट तैयार किए गए क्षेत्र में की जा सकती है। इस क्षेत्र में सर्विस स्टेशन में भूमिगत टैंक से खींची गई कड़ी पाइप लाइन परिदान पंप और यान पार्किंग स्थान होगा जो कम-से-कम 1.8 मीटर ऊंची बाड़ से पृथक किए जाएंगे। पार्किंग स्थान और भरण स्थान के चारों ओर बाड़ के भीतर कम-से-कम 4.5 मीटर खाली स्थान रखा जाएगा।

7. अनुज्ञप्त यान में लदाई नहीं की जाएगी यदि कोई टैंक या कंपार्टमेंट, पाइप वाल्व, आयात विसर्जन नियंत्रक, सुरक्षा निरपत नहीं है जब तक कि आवश्यक मरम्मत संतोषप्रद रूप से न कर दी जाए और टैंक या कंपार्टमेंट में किसी प्वयन की दशा में जब तक कि टैंक या कंपार्टमेंट के प्वयन की पूर्णतया मरम्मत न कर दी जाए और सभी टैंक या कंपार्टमेंट पेट्रोलियम नियम, 2002 की तृतीय अनुसूची के खंड 5 में विनिर्दिष्ट परिक्षण में उत्तीर्ण नहो जाएं।

8. अनुज्ञप्त यान में पेट्रोलियम की लदाई से पूर्व-

(क) इंजन को बंद कर दिया जाएगा और बैट्री को उचित स्विच द्वारा या अन्यथा पृथक कर दिया जाएगा;

(ख) इसके पहियों को ब्रेक लगा के या स्कौचिंग द्वारा सुरक्षित किया जाएगा और पशु चालित यानों की दशा में पशुओं का जुआ निकाल दिया जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा;

(ग) इसके चेसिस को एक पाइप वाली केबल द्वारा विद्युत: बंधित किया जाएगा जिसमें या जिससे लदाई या उतराई की जाएगी;

(घ) सही भरण या निस्सारण होज का चयन किया जाएगा और उसे दोनों सिरों पर तेलरोधी कपलिंग द्वारा संयोजित किया जाएगा;

(ङ) कोई उत्तरदायी व्यक्ति उसकी देख-रेख करेगा और जब तक लदाई पूरी न हो जाए और टैंक और कंपार्टमेंट सील न कर

दिया जाए करता रहेगा।

9. सिवाय तब के जब यातायात के संकेतों की मांग हो या किसी निरीक्षक अथवा नमूने लेने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, अनुज्ञप्त यान किसी सड़क, घनी अबादी वाले क्षेत्र या किसी ऐसे स्थान पर जो इन नियमों के अधीन लिखित में ऐसे यानों की लदाई, उतराई या ठहराने के लिए लिखित में अनुमोदित हो, नहीं झुकेगा।
10. अनुज्ञप्त यान में धूम्रपान और अग्नि या कृत्रिम प्रकाश या अज्वलनशील वाष्प, ज्वलित करने में सक्षम कोई वस्तु अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
11. अनुज्ञप्त यान का उपयोग यात्रियों को ले जाने या पेट्रोलियम वर्ग क/ख के परिवहन और वायुयान/भारीयान/मशीनरी/स्थैतिक उपस्कर के पुनः ईंधन भरण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। संक्रिया के क्षेत्र की विशिष्टियां संसूचित की जाएगी।
12. यान का, यथास्थिति, वायु यान, भारी यानों/मशीनरी और स्थैतिक उपस्करों के टैंकों के पुनः ईंधन भरण के दौरान किसी संरक्षित संकर्म से सर्वतोमुखी न्यूनतम 9 मीटर का अन्तर होगा। पुनः ईंधन भरण के दौरान इस सुरक्षा जोन के भीतर अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
वायुयान, टैंकों/भारी यानों/मशीनरी/स्थैतिक उपस्कर के पुनः ईंधन भरण परिसरों के निकट जनभाषा और अंग्रेजी में धूम्रपान वर्जित का बोर्ड सुस्पष्ट तथा संप्रदर्शित किया जाएगा। पुनः ईंधन भर के आस-पास कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। माचिस, अग्नि, प्रकाश या पेट्रोलियम का ज्वलनकारित करने में सक्षम कोई वस्तु या पदार्थ नहीं रखेगा।
13. अनुज्ञप्त यान से पेट्रोलियम की उतराई से पूर्व:
(क) उसके पहियों को ब्रेक या स्कौचिंग द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
(ख) उसके चेसिस को, यथास्थिति, वायुयान/भारी यान/मशीनरी और स्थैतिक उपस्कर से एक केबल द्वारा विद्युततः बांधा जाएगा।
14. पेट्रोलियम की उतराई केवल पंप द्वारा की जाएगी अर्थात् यान पर आरोपित मोटर चालित युक्ति द्वारा।
15. पुनः ईंधन भरने की संक्रियाएं अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत उत्तरदायी व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी और वह यह सुनिश्चित करेगा कि पुनः भरे जाने वाले टैंक में च्वयन नहीं है और वह मजबूत दशा में है।
16. सूर्यास्त और सूर्योदय की अवधि के दौरान पुनः ईंधन भरण अनुज्ञप्त प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट लिखित अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और न ही तब जब उस क्षेत्र में असामान्य वातावरण दशा प्रवृत्त हो।
17. कम से कम दो शुष्क रेत और दो शुष्क रसायन या फोम टाइप के अग्निशामक पुनः ईंधन भरण संक्रियाओं के दौरान उपलब्ध रखे जाएंगे।
18. अनुज्ञप्त यान में झलाई, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या तप्त रिवेटिंग द्वारा मरम्मत तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि उसके टैंकों, कंपार्टमेंटों, पाइपों और वाल्वों को पूर्णतः साफ न कर दिया गया हो और किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उनकी परीक्षा करके लिखित में प्रमाणित न कर दिया गया हो कि वे ज्वलनशील तेल वाष्प या तेल से मुक्त हैं।
19. अनुज्ञप्त यान या उसकी सुरक्षा फिटिंगों में अनुज्ञापन प्राधिकारी से लिखित पूर्व मंजूरी के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मुजूर किया गया परिवर्तन का पृष्ठांकन इस अनुज्ञप्ति पर संशोधन द्वारा किया जाएगा।
20. किसी निरीक्षक या नमूना लेने वाले अधिकारी को हर युक्तियुक्त समय पर यह अभिनिश्चित करने के लिए कि नियमों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक्तः अनुपालन किया जा रहा है। नमूने लेने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जाएगी।
21. अनुज्ञप्त यान में होने वाले किसी दुर्घटना, अग्नि या विस्फोट जिसमें मानव जीवन की क्षति व्यक्ति या संपत्ति को गंभीर क्षति हुई हो कि रिपोर्ट तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट या अधिकारिता रखने वाले निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को

की जाएगी और मुख्य नियंत्रक को टेलीफोन/फैक्स और टेलीग्राम तार द्वारा भी की जाएगी (तार पता-“विस्फोट” नागपुर)।

नवीकरण/पुष्ठांकन के लिए स्थान

(शर्त 19 देखिए)

क्र.स. परिवर्तन का वर्णन	मंजूरी की तारीख	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
--------------------------	-----------------	-----------------------------------

प्ररूप 20

(नियम 2 फ और 130 देखिए)

क. सक्षम व्यक्ति की अर्हता और अनुभव:

क्र.सं. नियम जिसके अधीन सक्षमता मान्यताप्राप्त है	अर्हता और अन्य अपेक्षाएँ	इस प्रयोजन के लिए अनुभव
1. नियम 126 और 130	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी की किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य वृत्तिक अर्हताएं। 2. परीक्षण और परीक्षाएं करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य और मानसिक रूप से स्वस्थ।	पेट्रोलियम टैंकों के निर्माण या संस्थापन के परीक्षण और पेट्रोलियम भंडारकरण संस्थापनों के प्रचालन और अनुरक्षण में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव।
2. प्ररूप 7 और 8 का भाग ख	- यथोक्त-	पेट्रोलियम परिवहन टैंकों के निर्माण या आरोपण के परीक्षण और पेट्रोलियम टैंक यानों के प्रचालन और अनुरक्षण में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव।

(ख) नियम 126, 130 या प्ररूप 7 और 8 के भाग के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता के लिए आवेदन।

1. नाम
2. जन्म की तारीख
3. यदि नियोजित है या किसी संगठन का सदस्य है तो संगठन का नाम और आवेदक का पद नाम
4. शैक्षिक अर्हता (शंसापत्रों की प्रतियां संलग्न करें)
5. वृत्तिक अनुभव की विशिष्टियां कालानुक्रम से :

संगठन का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	उत्तरदायित्व का क्षेत्र
--------------	--------------	-------	-------------------------

6. वृत्तिक निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो।

7. प्रयोजन जिसके लिए सक्षमता प्रमाणपत्र वांछित है (नियम विनिर्दिष्ट करें)।
8. क्या आवेदक को किसी कानून के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है (यदि हो तो ब्यौरे दें)।
9. कोई अन्य सुसंगत सूचना।
10. आवेदक द्वारा घोषणा :
मैं घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है। मैं वचनबद्ध करता हूँ कि -
(क) पूर्वोक्त संगठन के छोड़ने की दशा में मैं तुरन्त मुख्य नियंत्रक को सूचित करूँगा।
(ख) सक्षमता प्रमाणपत्र में अनुबंधित सभी शर्तों को पूरा करूँगा और उनका पालन करूँगा तथा मुख्य नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करूँगा।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री जिसकी विशिष्टियाँ ऊपर दी गई हैं, हमारे नियोजन में हैं और नियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित किए जाने के प्रयोजनार्थ संगठन के निमित्त उसे नाम निर्दिष्ट करता हूँ। मैं यह भी वचनबद्ध करता हूँ कि यदि सक्षम व्यक्ति हमारा नियोजन छोड़ता है तो मैं मुख्य नियंत्रक को अधिसूचित करूँगा।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम और पद नाम.....

टेलीफोन सं.

फैक्स सं.....

शासकीय मुद्रा

तृतीय अनुसूची

(नियम 63 और नियम 77 देखिए)

प्रपुंज में पेट्रोलियम के परिवहन के लिए टैंक यानों की डिजाइन और निर्माण।

1. टैंक यानों का आधारभूत डिजाइन -

- (1) प्रपुंज में पेट्रोलियम के परिवहन के लिए टैंक यान इंजीनियरी की सुस्थापित प्रथा के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे और निर्मित किए जाएंगे ताकि टैंक, नोदन, उपस्कर और अन्य समर्थक अवयवों, असमताओं, सुरक्षित रूप से चालन दक्षता और ब्रेक शक्ति के बीच सही संरचनात्मक संबंध बनाना, सुनिश्चित किया जा सके।
- (2) संधित यानों की दशा में टैंक के वाहन धुरे की भूमि पर भार अभिकल्पित सकल लदे हुए भार के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (3) टैंक की अधिकतम चौड़ाई उस यान की कुल चौड़ाई से कम होगी जिस पर कि उस टैंक को रखा गया है या जिसके द्वारा उसका कर्षण किया जा रहा है।

2. टैंक का भौतिक संनिर्माण - (1) टैंक लोहे या स्टील का जिसकी भौतिक अपेक्षाएं और मुख्य नियंत्रण द्वारा अनुमोदित धातु की या किसी अन्य सामग्री की मोटाई निम्नलिखित होगी -

(क) भौतिक अपेक्षाएं :

पराभव बिन्दु, न्यूनतम 1700 किलोग्राम/से.मी.²
 चरम सामर्थ्य न्यूनतम 1700 किलोग्राम/से.मी.²
 5 सेंटीमीटर की मानक गेज
 लम्बाई के आधार पर न्यूनतम लम्बाई 20 प्रतिशत

(ख) धातु की मोटाई :

- (क) टैंक के छोरों, पार्टीशनों, व्यारोधों (बैपुल) और स्टिफनरों की न्यूनतम मोटाई 2 मिलीमीटर से कम नहीं होगी यदि 21 लीटर प्रति सेंटीमीटर की आयतन क्षमता प्राप्त करनी है अथवा 2.7 मिलीमीटर से कम नहीं होगी यदि टैंक की आयतन क्षमता 21 लीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक है :

परन्तु टैंक के छोरों की मोटाई किसी भी दशा में खण्ड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट टैंक के खोल की मोटाई से कम नहीं होगी।

- (ख) टैंक के खोल की मोटाई की आयतन क्षमता से जो कि प्रति सेंटीमीटर लीटर में व्यक्त की जाएगी, और पार्टीशनों, बैफिलों या अन्य स्टिफनरों के बीच दूरी से और साथ ही खोल की वक्रता की त्रिज्या से संबद्ध होगी और नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी :

पाटीशनों, बेफिलों और स्टीफनों के संलग्नकों के बीच की दूरी

	90 सेंटीमीटर तक	90 सेंटीमीटर से अधिक और 135 तक	135 सेंटीमीटर से अधिक
	1.	2.	3.
I 175 सेंटीमीटर तक खोल त्रिज्या और निम्नलिखित आयतन क्षमता वाले टैंको के लिए न्यूनतम मोटाई :			
(i) 21 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	2.0 मि.मी.	2.0 मि.मी.	2.0 मि.मी.
(ii) 21 लीटर से अधिक और 27 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	2.0 मि.मी.	2.5 मि.मी.	2.5 मि.मी.
(iii) 27 लीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक	2.5 मि.मी.	2.5 मि.मी.	2.5 मि.मी.
II 175 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 225 सेंटीमीटर से अनधिक खोल त्रिज्या और निम्नलिखित आयतन क्षमता वाले टैंको की न्यूनतम मोटाई -			
(i) 21 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	2.0 मि.मी.	2.0 मि.मी.	2.5 मि.मी.
(ii) 21 लीटर से अधिक और 27 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	2.0 मि.मी.	2.5 मि.मी.	2.5 मि.मी.
(iii) 27 लीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक	2.5 मि.मी.	2.5 मि.मी.	2.5 मि.मी.
III 225 सेंटीमीटर से अधिक खोल त्रिज्या और निम्नलिखित आयतन क्षमता वाले टैंको की न्यूनतम मोटाई -			
(i) 21 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	2.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.
(ii) 21 लीटर से अधिक और 27 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.
(iii) 27 लीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.

IV. 310 सेंटीमीटर से अधिक

त्रिज्या और निम्नलिखित आयतन

क्षमता वाले टैंको की न्यूनतम मोटाई -

(i)	21 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	2.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.
(ii)	21 लीटर से अधिक और 27 लीटर प्रति सेंटीमीटर तक	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.
(iii)	27 लीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.	3.5 मि.मी.

टिप्पण : यदि टैंक में वृत्ताकार से भिन्न क्रॉस सैक्शन है तो इस सारणी के प्रयोजन के लिए त्रिज्या विचाराधीन क्रॉस सैक्शन के उस भाग के लिए अधिकतम होगी।

3. जोड़ - टैंक और उसके खोल के सभी जोड़, शीर्ष पार्टीशन, बैफिल और स्टिफर मान्यता प्राप्त अच्छी प्रथा से झलाई किए जाएंगे और किसी भी जोड़ की क्षमता इस प्रकार से जोड़ी गई पार्श्ववर्ती धातु के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

4. टैंक का कम्पार्टमेंट में विभाजन :

- (1) जब तक मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में स्पष्ट रूप से अनुज्ञात न किया जाए, वह टैंक जिसकी शुद्ध क्षमता 5 किलोलीटर से अधिक है, तेल रोधी पार्टीशनों द्वारा कम्पार्टमेंटों में विभाजित किया जाएगा और किसी भी कम्पार्टमेंट की शुद्ध क्षमता 5 किलोलीटर से अधिक नहीं होगी।
- (2) प्रत्येक पार्टीशन या तो नतोद्धरित (डिशड) होगा या वलीयित (कोरुगेटिड), प्रबलित (रेनफोर्सड), या बेल्लित (रोल्ड) होगा ऐसे सपाट पार्टीशन जो प्रबलित न हो, अनुज्ञात नहीं होंगे।

5. टैंक का परीक्षण :

- (1) टैंक के प्रत्येक कम्पार्टमेंट का परीक्षण उत्तरदायी सक्षम व्यक्ति द्वारा कम से कम 0.316 किलोग्राम/सेंटीमीटर² से अन्यून द्रव स्थैतिक दाब द्वारा किया जाएगा। दाब कम से कम एक घंटे की अवधि तक बनाए रखा जाएगा और उसका माप कम्पार्टमेंट के शीर्षस्थ भाग में लिया जाएगा। जिस कम्पार्टमेंट का परीक्षण किया जाए उस में च्यवन या दाब में गिरावट का कोई लक्षण परीक्षण के दौरान नहीं होना चाहिए।
- (2) टैंक के पार्श्ववर्ती दो कम्पार्टमेंटों का परीक्षण या उन में जल की भराई साथ-साथ नहीं की जाएगी।

6. टैंक का निबंधित करना :

- (1) टैंक को यान के साथ इस प्रकार से मजबूती के साथ निबंधित किया जाएगा कि -
 - (i) प्रतिबल का असम्यक सकेन्द्रीकरण न हो
 - (ii) यान की स्थिरता और निष्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े
 - (iii) चालू करते समय, रोकते समय और घुमाते समय टैंक और यान के बीच कोई गतिशीलता न हो।
- (2) यान के साथ टैंक को निबंधित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी आड़ें, और जकड़ने इस प्रकार से लगाई जाएगी ताकि निरीक्षण और रख-रखाव के लिए वे सहजगम्य हों।

7. विसर्जन टोंटी :

टैंक के प्रत्येक कम्पार्टमेंट में विसर्जन टोंटी फिट की जाएगी जो मजबूत बनी हुई और लगाई हुई होगी। टोंटी के विसर्जन सिरे पर चूड़ियां होगी या वह एसी डिजाइन का होगा कि होजों को उसके साथ मजबूत से जोड़ा जा सके।

8. आपात विसर्जन नियंत्रण

(1) टैंक के प्रत्येक कम्पार्टमेंट के निकास पर एक सक्षम और भरोसे योग्य उस विराम के वाल्व खोल के अन्दर की ओर या कुंड में इस प्रकार से लगा होगा कि वह खोल के एक अभिन्न अंग के रूप में रहे।

(2) उप विरामक वाल्व के संचलन यंत्र में एक गौण नियंत्रक लगाया जाएगा जो कि सहजगम्य हो किन्तु सभी भराई द्वारों और विसर्जन टोंटियों से दूर हो।

(3) उप पैरा (2) में अपेक्षित गौण नियंत्रण के साथ एक संगलनीय (फ्यूजीबल) सैक्शन होगा जिस से कि आग लगने की दशा में उप विरामक वाल्व स्वतः ही बन्द हो जाए।

(4) अन्दर स्थित उप विरामक वाल्व और विसर्जन टोंटी के बीच में एक महीन सैक्शन लगाया जाएगा जो कि दबाव पड़ने पर टूट जाएगा। महीन सैक्शन अन्दर स्थित उप विरामक वाल्व के यथासंभव निकट होगा।

9. प्रसामान्य वैट :

(1) टैंक के प्रत्येक कम्पार्टमेंट में एक स्वतंत्र निर्वात और दाब चालित वैट फिट किया जाएगा जिसका न्यूनतम कार्यकारी निर्गम द्वार 3 वर्ग सेंटीमीटर का होगा, निर्गम द्वार असंक्षारणीय धातु के तार की जाली की, जिस में प्रति सेंटीमीटर कम से कम 11 मै शो, दो परतों से ढका होना चाहिए।

(2) वैट इस प्रकार से लगाया जाएगा कि कम्पार्टमेंट के भीतर का दाब 0.21 किलोग्राम सेंटीमीटर² तक और निर्वात 5 सेंटीमीटर जल माप तक सीमित रखा जा सके।

10. अग्नि का सामना करने के लिए आपात वैट :

(1) वैट के प्रत्येक कम्पार्टमेंट में पैरा 9 द्वारा अपेक्षित सामान्य वैट के अतिरिक्त एक आपात वैट सुविधा भी फिट की जाएगी जो कि संगलनीय (फ्यूजीबल) किस्म की होगी ताकि न्यूनतम अग्निवैट निर्गम बना रहे जिसका शुद्ध क्षेत्र कम्पार्टमेंट की किलोलिटर्स में सकल क्षमता का 8+4.3 गुणा के समतुल्य वर्ग सेंटीमीटर होगा।

(2) आपात वैट इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा ताकि यान के इधर-उधर होने की दशा में वैट से निकल कर द्रव की होने वाली क्षति को रोका जा सके, सिवाय तब के जब इधर-उधर होने की स्थिति में दाब बढ़ने लगे।

(3) जहां संगलनीय (फ्यूजीबल) वैट लगाए जाएं वहां वे ऐसे एलीमेंट के सहारे चालू रके जाएंगे जो 93° सेंटीग्रेड से अनधिक तापक्रम पर काम करने लगे।

11. शीर्षस्थ भराई पाइप :

(1) भराई पाइप के अन्दर के सिरे पर एक उचित प्रकार का आस्फलन (स्प्लेश डिफिक्टो) फिट किया जाएगा और बाहर के सिरे में चूड़ियां रहेंगी। यह इस प्रकार का होगा ताकि भराई होजों के साथ च्यवन रहित कनेक्शन बना रहे।

(2) शीर्षस्थ भराई पाइप लगाए जाने की स्थिति में वह टैंक के लगभग तल तक पहुंचनी चाहिए।

(3) भराई पाइप के बाहरी सिरे पर तैलरोधी लॉकर कप फिट की जाएगी।

12. टैंक के माप की व्यवस्था :

- (1) प्रत्येक कम्पार्टमेंट में एक डिप पाइप या कोई अनुमोदित प्रकार की टैंक माप युक्ति फिट की जाएगी।
- (2) यदि डिप पाइप की व्यवस्था की जाती है तो उसे टैंक के तल तक ले जाया जाएगा और डिप पाइप का विकास कैप लगे वाँप निकास के सिवाए तार की जाली की दो पतों से आच्छादित होगा जिनमें कम से कम प्रति से.मी 11 छिद्र होंगे।
- (3) भराई पाइप के बाहरी सिरे पर तेलरोधी लॉकर कप फिट की जाएगी।
13. टैंक के पलटने का बचाव :
- (1) टैंक की सभी शीर्षस्थ फिटिंगों का यान के उस चैसिस के जिस पर वह टैंक लगा हुआ है, पलट जाने की दशा में होने वाली क्षति से बचाव किया जाएगा।
- (2) जहां टैंक की शीर्षस्थ फिटिंगों के बचाव के लिए उन्हें कोल के कंटूर के भीतर या टैंक के सात झलाई करके जोड़े गए दृढ़ कार्मिंग के भीतर बन्द करने की व्यवस्था करके बचाव किया जाए वहां ऐसी बचाव प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निकास का यथेष्ट प्रबन्ध किया जाएगा और ऐसे प्लग या कट आऊट लगाए जाएंगे ताकि मरम्मत करने से पूर्व उस सैक्शन को पूर्णरूपेण गैसमुक्त किया जा सके।
14. चिह्नानकन :
- पेट्रोलियम के परिवहन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला प्रत्येक टैंक यान चाहे वह भरा हुआ हो या खाली, टैंक यान पर, दोनों ओर तथा पीछे की ओर कम से कम 7 सेंटीमीटर ऊंचे अक्षरों में, पृष्ठभूमि से ठीक विपरीत रंग में "ज्वलनशील" शब्द तथा परिवहन किए जा रहे ज्वलनशील द्रव का सामान्य नाम, उदाहरण "मोटर स्प्रिट", "कैरोसीन" आदि सुस्पष्ट रूप से अंकित किए जाने चाहिए।

चतुर्थ अनुसूची जारी

(नियम 105 देखिए)

परिशोधनशाला/प्रसंस्करण संयंत्र/वृह संस्थापन में अनुज्ञप्ति प्रारूप 15 की शर्त 10 (क) अनुरूप परिसंकटमय क्षेत्र का विस्तार

क्रम	सुविधा की विवरण	सुविधा की अवस्थिति	सुविधा स्थान में उठाये जाने वाले/ भण्डारणकृत किए जाने वाले उत्पाद	सुविधा के मुख्य लक्षण	सुविधा का विस्तार	क्षेत्र का वर्गीकरण (प्रभाग)
1	2	3	4	5	6	7
1.	संयंत्र उपस्कर जलयान	खुले में अपने स्फुरक से ऊपर ज्वलनशील द्रव या वायु से भारी ज्वलनशील वाष्प या गैस	असामान्य दशाओं में ज्वलनशील उत्पाद मुक्त करते हैं या असामान्य दशाओं में रखरखाव के लिए उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है।	(i) परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर फर्श या भूमितल के नीचे गर्त, कुन्ड, खाइयां (किसी भी जोन) (ii) भूमितल के ऊपर परिसंकटमय क्षेत्र के ऊपर ऊर्ध्वाधर 8 मीटर तक और ऐसे स्रोत से सभी दशाओं में क्षैतिजतः 16 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र 1 परिसंकट के स्रोत से क्षैतिज समतल से 8 मीटर के परे परिसंकटमय क्षेत्र कि भूमितल के ऊपर ऊर्ध्वाधर विस्तार घटा कर 8 मीटर तक किया जा सकता है। (iii) जहां वाष्पशील उत्पाद भारी मात्रा में मुक्त हो सकते हैं वहां क्षैतिज समतल (अतिरिक्त)	1 2 2	

1	2	3	4	5	6	7
					में परिसंकट के स्रोत से 16 मीटर से परे और 32 मीटर तक, भूमितल से ऊपर सभी दिशाओं में ऊर्ध्वाधर रूप से 60 से.मी. तक विस्तृत क्षेत्र।	
1.1 संयंत्र उपस्कर, खुल में प्रसंस्करण जलयान	अपने स्फुरांक से ऊपर ज्वलनशील द्रव या वायु से भारी ज्वलनशील वाष्प या गैस	सामान्य दशाओं में ज्वलनशील उत्पाद मुक्त करते हैं या सामान्यतः रखरखाव के लिए उन्हें बार-बार खोलने की आवश्यकता होती है।	(i)	परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर फर्श या भूमितल के नीचे गर्त कुण्ड, खाइयां (कोई भी जोन)	1	
			(ii)	भूमितल के ऊपर परिसंकटमय क्षेत्र के ऊपर ऊर्ध्वाधर 8 मीटर तक और ऐसे स्रोत से सभी दशाओं में क्षैतिजतः 16 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र 1 परिसंकट के स्रोत से क्षैतिज समतल से 8 मीटर के परे परिसंकटमय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर विस्तार भूमितल के ऊपर घटाकर 8 मीटर तक किया जा सकता है।	1	
			(iii)	जहां वाष्पशील उत्पाद भारी मात्रा में मुक्त हो सकते हैं वहां क्षैतिज समतल में डिवीजन 1 परिसंकट क्षेत्र से परे 16 मीटर तक, भूमितल से ऊपर सभी दिशाओं में ऊर्ध्वाधर रूप से 60 से.मी. तक विस्तृत क्षेत्र।	1	(अतिरिक्त)
1.2 संयंत्र उपस्कर, प्रसंस्करण जलयान	भली भांति संवातित शैड	वायु से हल्की ज्वलनशील गैस	असामान्य दशाओं में ज्वलनशील उत्पाद मुक्त करते हैं या असामान्य दशाओं में रखरखाव के लिए उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है।	(i)	परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर फर्श या भूमितल के नीचे गर्त, कुण्ड, खाइयां (किसी भी जोन में)	1
			(ii)	भूमितल के ऊपर परिसंकट के स्रोत के ऊपर ऊर्ध्वाधर 8 मीटर तक और ऐसे स्रोत से सभी दशाओं में क्षैतिजतः 16 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र 1 परिसंकट के स्रोत से क्षैतिज समतल से 8 मीटर के परे परिसंकटमय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर विस्तार भूमितल के ऊपर 8 मीटर तक घटाकर किया जा सकता है।	1	
			(iii)	जहां वाष्पशील उत्पाद भारी मात्रा में मुक्त हो सकते हैं वहां क्षैतिज समतल में परिसंकटमय स्रोत से 16 मीटर से परे और 32 मीटर तक, भूमितल से ऊपर में ऊर्ध्वाधर रूप से 60 से.मी. तक का विस्तृत क्षेत्र।	2	(अतिरिक्त)
1.3 संयंत्र उपस्कर,	भली भांति संवातित शैड	वायु से हल्की ज्वलनशील गैस	सामान्य दशाओं में ज्वलनशील उत्पाद	(i)	परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर फर्श या भूमितल के नीचे	1

1	2	3	4	5	6	7
				दशाओं में रखरखाव के लिए उन्हें खोलना अपेक्षित है।	स्रोत के नीचे 4.5 मीटर के तल तक या भूमितल के ऊपर क्षेत्र, दोनों में से जो उच्चतर हो, ऊर्ध्वाधर रूप में शैड के किनारे की दीवार में न्यूनतम खुले स्थान के तल तक और क्षैतिजतः ऐसे स्रोत से सभी दिशाओं में 4.5 मीटर तक, विस्तृत क्षेत्र।	
					(ख) शैड के बाहर	2
					शैड की किनारे की दीवारों में न्यूनतम के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से 4.5 मीटर तक और किनारे की दीवार से क्षैतिजतः 3 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र।	
1.6 संयंत्र, उपस्कर और प्रक्रिया जलयान	अपर्याप्त रूप से संवातित शैड।	अपने स्फुरांक से ऊपर ज्वलनशील द्रव्य या वायु से भारी ज्वलनशील वाष्प या वायु से भारी ज्वलनशील वाष्प या गैस।	असामान्य दशाओं में ज्वलनशील उत्पाद मुक्त करते हैं या असामान्य दशाओं में रखरखाव के लिए उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है।		(क) शैड के भीतर :- शैड के भीतर का समस्त क्षेत्र जिसमें गर्त, कुण्ड, खाइयां भी सम्मिलित हैं। (ख) शैड के बाहर :- छत के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से 3 मीटर तक और क्षैतिजतः शैड के परे 3 मीटर तक का परिसंकट के स्रोत से, इनमें जो भी दूर हो। शैड से तीन मीटर या परिसंकट स्रोत से 8 मीटर परे दोनों में से जो भी अधिक दूर हो, से परे क्षैतिज समतल में, परिसंकटमय क्षेत्र का भूमितल के ऊपर ऊर्ध्वाधर विस्तार घटाकर 8 मीटर तक किया जा सकता है। 2 क्षेत्र जोन के भीतर भूमितल के नीचे गर्त, कुण्ड और खाइयां। जहां ज्वलनशील उत्पाद भारी मात्रा में मुक्त होते हैं :- जोन क्षेत्र के 16 मीटर के भीतर भूमितल के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से 60 से.मी. तक विस्तृत क्षेत्र।	
				सामान्य दशाओं में ज्वलनशील उत्पाद मुक्त करते हैं या सामान्य दशाओं में	(i) समस्त शैड (ii) शैड में सर्वोच्च खुले स्थान को 1 परिसंकट का स्रोत मानते हुए, ऐसे स्रोत से	2 (अतिरिक्त)

1	2	3	4	5	6	7
				रखरखाव के लिए उन्हें बार-बार खोलने की आवश्यकता होती है।	ऊर्ध्वाधर रूप से 8 मीटर तक और स्रोत से सभी दिशाओं में क्षैतिजतः 16 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र। परिसंकट के स्रोत से 8 मीटर के परे परिसंकटमय क्षेत्र का भूमितल के ऊपर ऊर्ध्वाधर विस्तार घटाकर 8 मीटर तक किया जा सकता है।	
					(iii) परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर गर्त, कुण्ड और खाइयाँ	
					(iv) जहाँ वाष्पशील उत्पाद भारी मात्रा में मुक्त हो सकते हैं वहाँ डिवीजन 1 क्षेत्र के 16 मीटर के भीतर की भूमितल के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से 60 से.मी. विस्तृत क्षेत्र	
1.7	निस्सारण पद्धति युक्त घिरे हुए परिसर, परिसंकटमय क्षेत्र के ऊपर ताजा वायु निस्सारण पद्धति में वायु ग्रहण 1.5 मी. से कम न हो (कोई भी जोन)	परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर (कोई भी जोन)	घिरे हुए परिसर में किसी भी ज्वलनशील उत्पाद की धरा उठाई नहीं होती हो	निस्सारण पद्धति असफल हो जाने की दशा में, विद्युत की आपूर्ति स्वतः कट जाती है या देखरेख करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही चेतावनी प्राप्त हो जाती है।	समस्त घिरा हुआ परिसर	सुरक्षित
1.8	निस्सारण पद्धति रहित घिरा हुआ परिसर।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	(क) समस्त शैड (ख) शैड के बाहर-वही जो अपर्याप्त रूप से संवातित शैड की दशा में हैं।	जैसा कि अपर्याप्त रूप से संवातित शैडों के लिए विनिर्दिष्ट है।
1.9	भलीभाँति परिक्षित वाल्वों, मीटरों, फिटिंगों सहित पाइप लाइन।	भलीभाँति संवातित परिस्थितियों में या परिसंकटमय क्षेत्र के बाहर किसी गर्त में (कोई भी जोन)	अपने स्फुरांक से ऊपर ज्वलनशील द्रव या कोई ज्वलनशील वाष्प या गैस	असामान्य दशाओं में ज्वलनशील उत्पाद मुक्त करते हैं या असामान्य दशाओं के कारण रखरखाव के लिए उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है।	(i) सुविधा के 3 मीटर के भीतर अथवा उसके नीचे गर्त (ii) पाइप लाइन फिटिंगों, वाल्वों, मीटरों से 3 मीटर के भीतर का सभी दिशाओं में क्षेत्र।	1 2
1.10	भूमोपरि टैंक (प्लवमान छत)	खुले में	अपने स्फुरांक से ऊपर कोई ज्वलनशील द्रव		(i) प्लवमान छत के ऊपर, खोल (शैल) के भीतर (ii) खोल (शैल) के 3 मीटर के भीतर (iii) टैंक के घिरे स्थान के भीतर अहाता दीवाल के उच्चतम तल तक का क्षेत्र।	1 2

चतुर्थ अनुसूची जारी

(नियम 105 देखिए)

ख - अनुज्ञप्ति के प्ररूप 15 की शर्त 10 (ख) के अनुरूप संस्थापनो और भण्डारकरण शेडों में परिसंकटमय क्षेत्र का विस्तार

अवस्थिति	क्षेत्र का वर्गीकरण	वर्गीकृत क्षेत्र का विस्तार
1	2	3
1. भूमोपरि टंकियां :	2	टैंक क्षेत्र खोल, छोरों या छत से 3 मीटर के भीतर तक।
(क) खोल, छोर या छत और घिरा हुआ क्षेत्र		आहाते के भीतर आहाते दीवार के शिखर तल तक के भीतर का क्षेत्र।
(ख) वैंट	1	वेट के खुले सिरे से सभी दिशाओं में 1.5 मीटर के भीतर तक विस्तृत क्षेत्र।
(ग) प्लवमान छत	1	छत के ऊपर और खोल के भीतर।
2. भूमिगत टैंक :	1	श्रेणी स्तर के नीचे कोई भी गर्त, बाक्स, या स्थान, जिसका कोई भाग जोन 1 या जोन 2 क्षेत्र के भीतर आता है।
भरण पाइप	2	श्रेणी स्तर के ऊपर लूज फिश कनैक्शन में 3 मीटर के क्षैतिज व्यास के भीतर 45 से.मी. तक तथा टाइटफिल कनैक्शन से 1.5 मीटर के क्षैतिज व्यास के भीतर का क्षेत्र।
ऊपर की ओर निकासी करने वाला वैंट	1	वैंट के खुले सिरे से सभी दिशाओं में 90 से.मी. तक विस्तृत क्षेत्र के भीतर
	2	खुले सिरे से 90 से.मी. से 15 मीटर तक के बीच का ऊर्ध्वाधर दिशाओं में विस्तृत क्षेत्र।
3. गर्त, कुण्ड (श्रेणी तल के नीचे)	1	गर्त/कुण्ड के भीतर का समस्त क्षेत्र, यदि कोई भाग जोन 1 या 2 क्षेत्र के भीतर आता है।
(क) यांत्रिक संवातन रहित		
(ख) यांत्रिक संवातन सहित	2	गर्त/कुण्ड के भीतर का समस्त क्षेत्र यदि कोई भाग जोन 1 या 2 क्षेत्र के भीतर आता है।
(ग) ऐसे वाल्व, फिलिंग पाइपिंग जो जोन 1 या 2 क्षेत्र के भीतर हो।	2	समस्त गर्त/कुण्ड
4. पंप, ब्लीडर निकास फिटिंग मीटर और उसी प्रकार की युक्तियां	1	जोन 2 क्षेत्र के भीतर फर्श तल के नीचे गर्त, कुण्ड या खाइयां।
(क) आंतरिक	2	ऐसी किन्ही युक्तियों के किसी भी किनारे से सभी दिशाओं में विस्तृत 1.5 मीटर के भीतर का क्षेत्र। सभी दिशाओं में विस्तारित ऐसी युक्तियों के किसी किनारे के 1.5 मीटर के भीतर। श्रेणी तल या फर्श तल के ऊपर 90
सेमी.		तक भीतर ऐसी युक्तियों के किसी भी किनारे से क्षैतिजतः 75 मीटर तक विस्तृत क्षेत्र।
(ख) बाह्य	1	जोन 2 क्षेत्र के भीतर प्लेटफार्म या भूमितल के नीचे गर्त, कुण्ड या खाइयां।

	2	ऐसी युक्तियों के किसी भी किनारे से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से.मी. के भीतर का क्षेत्र। श्रेणी तल के ऊपर ऐसी युक्तियों के किसी किनारे से क्षैतिजतः 3 मीटर के भीतर, 45 से. मी. तक विस्तृत क्षेत्र भी।
5. टैंक यान	1	जोन 2 क्षेत्र के भीतर गर्त, कुण्ड या खाइयां।
(क) तलीय लदाई या उतराई	2	कनैक्शन के स्थान से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से.मी. का क्षेत्र। श्रेणी तल के ऊपर कनैक्शन के स्थान से क्षैतिजतः व्यास में 3 मीटर तक, 45 से. मी. तक विस्तृत क्षेत्र।
(ख) वायुमंडलीय वेन्ट द्वारा ऊपर से लदाई	1	वेन्ट के खुले सिरे से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से. मी. भीतर का क्षेत्र।
	2	वेन्ट के खुले सिरे से 90 से. मी. और 1.5 मीटर के बीच का सभी दिशाओं में विस्तृत क्षेत्र। कोने के किनारे से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 सेमी के भीतर का क्षेत्र।
(ग) वाष्प पुनःप्राप्ति सहित ऊपर से लदाई	2	भरण पाइप और वाष्प पुनःप्राप्ति के कनैक्शन के स्थान से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से. मी. के भीतर का क्षेत्र।
6. कन्टेनर भरण	1	जोन 1 या 2 क्षेत्र के भीतर गर्त, कुण्ड या खाइयां।
(क) बिना दिवार के खुले शेड में	1	कन्टेनर के वेन्ट और भरण निकास द्वारा से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से. मी. के भीतर के क्षेत्र।
	2	कन्टेनर की भराई/वेन्ट द्वार से, सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से. मी. और 1.5 मीटर के बीच के क्षेत्र। वेन्ट/भराई द्वार से या भराई अहाते के, भीतर, जो भी अधिक ऊंचा हो, उससे 3 मीटर के क्षैतिज व्यास के भीतर फर्श या श्रेणी तल के ऊपर 45 से. मी. तक का क्षेत्र भी।
(ख) भण्डारकरण भरण शेड में अन्दर	1	शेड का समस्त भीतरी भाग।
छत और फर्श तल के निकट भली-भांति संवातित तथा खुले में अवस्थित	1	जोन 1 या 2 क्षेत्र के भीतर गर्त, कुण्ड और खाइयां।
	2	शेड के उच्चतम वेन्ट तल को शेड बाहर 2.5 मीटर पर किसी स्थान को जोड़ने से बनने वाले कोण के भीतर सभी दिशाओं में क्षेत्र।
7. भण्डारकरण और टैंक यानों के लिए मरम्मत गराज	1	फर्श तल के नीचे सभी कुण्ड या रिक्त स्थान।
	2	समस्त भण्डारकरण/मरम्मत गराजों के लिए फर्श या श्रेणी तल के ऊपर 45 से. मी. से ऊपर का क्षेत्र।
8. जल निकास, गढ़े, सैपरेटर्स, कम्पाउंडिंग बेसिन	1	गढ़े, सैपरेटर्स या बेसिन के ऊपर 45 से.मी. तक का क्षेत्र।
	2	किसी भी किनारे से क्षैतिजतः 45 मीटर के भीतर श्रेणी तल के ऊपर 45 से.मी. तक का क्षेत्र भी।
9. कन्टेनर भण्डारकरण	3	6 (ख) के अनुसार

10. साधारण यानों गराज, साधारण कार्यालय/
विश्रामगृह
- यदि किसी वर्गीकृत क्षेत्र के आंतरिक या बाह्य भाग के भीतर इन कमरों में जाने के लिए कोई द्वार है तो सुविधा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाएगा मानों दीवार के किनारे या पार्टीशन, जो वर्गीकृत क्षेत्र को पृथक् करता है, विद्यमान नहीं था।

ग-सर्विस स्टेशन में परिसंकटमय क्षेत्र का विस्तार

परिसंकट की अवस्थिति	वर्गीकरण का क्षेत्र	परिसंकटमय क्षेत्र का विस्तार
1	2	3
1	2	4
1. भूमिगत टैंक :	1	श्रेणी तल के नीचे कोई गर्त, कुण्ड, बाक्स या रिक्त स्थान, जिसका कोई भाग जोन 1 या जोन 2 परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर है।
(क) भरण स्थल		श्रेणी तल के ऊपर भरण स्थल से 3 मीटर के क्षैतिज व्यास के भीतर 45 से.मी. तक।
(ख) वेन्ट	1	वेन्ट के अंतिम छोर से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से.मी. के भीतर का क्षेत्र।
	2	वेन्ट के अंतिम छोर से सभी दिशाओं में विस्तृत 90 से.मी. और 1.5 मीटर के बीच का क्षेत्र।
2. परिक्षेपण पम्प या एकक	1	श्रेणी तल के जिसका कोई भाग जोन 1 या जोन 2 परिसंकटमय क्षेत्र के भीतर है, नीचे कोई गर्त, कुण्ड या बाक्स।
(क) गर्त/कुण्ड		
(ख) पम्प कैबिनेट या निर्वाहक अहाता	1	कैबिनेट/अहाते के भीतर आधार के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से 1.2 मीटर या सभी दिशाओं में क्षैतिजतः 45 सेमी. क्षेत्र।
(ग) बहिरंग	2	कैबिनेट/अहाते से 45 सेमी. से 6 मीटर के बीच का क्षेत्र जो श्रेणी तल के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से 45 सेमी. तक विस्तृत होगा।
(घ) यांत्रिक संवातन सहित अन्तरंग	2	यथोक्त
(ङ) सामान्य (गुरुत्वाकर्षण) संवातन सहित अन्तरंग	2	कैबिनेट/अहाते से 45 सेमी. से 7.5 मीटर के बीच का क्षेत्र जो श्रेणी तल के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से 45 सेमी. तक विस्तृत होगा।
3. दूरवर्ती पम्प (बहिरंग)	1	श्रेणी तल के नीचे कोई गर्त, बाक्स या रिक्त स्थान का यदि उसका कोई भाग पम्प के किनारे से क्षैतिजतः 3 मीटर की दूरी के भीतर हो।
	2	पम्प के किसी किनारे से, सभी दिशाओं में विस्तृत 90 सेमी. के भीतर फर्श या भूतल के ऊपर पम्प के किसी किनारे से क्षैतिजतः 7.5 मीटर के भीतर, 45 मीटर तक का क्षेत्र भी।
4. दूरवर्ती पम्प (अन्तरंग)	1	किसी गर्त के भीतर का समस्त क्षेत्र।
	2	पम्प के किसी भी किनारे से सभी दिशाओं में विस्तृत 1.5 मीटर के भीतर फर्श या भूतल के ऊपर पम्प के किसी किनारे से क्षैतिजतः 7.5 मीटर के भीतर, 90 मीटर तक का क्षेत्र भी।

5.	स्नेहन (ल्यूब्रीकेशन)/सर्विस कक्ष	1	गर्त के भीतर समस्त क्षेत्र।
		2	समस्त स्नेहन सर्विस/कक्ष के भीतर फर्श या श्रेणी तल के ऊपर 45 सेमी. तक का क्षेत्र।
6.	वर्ग ग या वर्ग ख पेट्रोलियम के लिए भण्डारकरण बिन या आहाता	1	समस्त बिन या आहाता।
7.	विक्रय, भंडारकरण और सामान्य विश्राम कक्ष		यदि इन कमरों में जाने का कोई रास्ता जोन 1 या जोन 2 क्षेत्र के विस्तार के भीतर है तो समस्त कक्ष को जोन 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

**पांचवीं अनुसूची
(नियम 193 देखिए)**

पेट्रोलियम के श्यान या ठोस रूप में परीक्षण की पद्धति

यदि परीक्षण किए जाने वाले पेट्रोलियम का नमूना श्यान या ठोस है या उसमें तलछट अथवा प्रगाढ़कारी संघटक हैं तो ऐसे पेट्रोलियम का परीक्षण ए.बी.ई.एल. साधित्र में निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

ठोस मिश्रण को सही आंतरिक व्यास वाले कार्क छिन्नक या अन्य समरूप कर्तक द्वारा 38.1 मिलीमीटर वाले सिलेंडरों में काटा जाएगा। ये सिलेंडर परीक्षण साधित्र के पेट्रोलियम कप में ऊर्ध्वाधर स्थिति में उतनी संख्या में रखे जाएंगे जिससे कि कप पूर्णतया भर जाए। सिलेंडर एक दूसरे के संपर्क में रहने चाहिए किंतु इतने कस कर पैक नहीं किए जाएंगे कि उनका आकार विकृत हो जाए।

कप के बीचों बीच पांच या छह सिलेंडरों को 127 मिलीमीटर तक छोटा किया जाएगा जिससे थर्मामीटर बल्ब के लिए स्थान बन जाए।

पेट्रोलियम जो श्यान है या जिसमें तलछट अथवा प्रगाढ़कारी संघटक हैं परीक्षण साधित्र के पेट्रोलियम कप में ऊर्ध्वाधर स्थिति में उतना भरा जाएगा जिससे कप पूर्णतया भर जाए।

परीक्षण साधित्र के वायु अवगाह को 38.1 मिलीमीटर की महलाई तक जल से भरा जाएगा। जल ऊष्मक को तब बढ़ाकर 80 डिग्री फारेनहीट के लगभग तापमान पर बनाए रखा जाएगा।

कप को तब अवगाह में रखा जाएगा और नमूने का ताप तब तक बढ़ने दिया जाएगा जब तक कि तेल कप में के थर्मामीटर में 75 डिग्री फारेनहीट न दर्शित करे और तब परीक्षण ज्वाला लगाई जाएगी।

यदि कोई दमक अभिप्राप्त नहीं होती तो तापमान को तेल कप में एक घंटे तक एक समान रखा जाएगा और उस समय की समाप्ति पर परीक्षण ज्वाला पुनः लगाई जाएगी।

यदि दमक अभिप्राप्त होती है तो ठोस मिश्रण पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा।

[फा. सं. पी.-11021/1/95-वितरण खण्ड-3]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव